द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २४

१४ मार्च, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

३ शिलिंग (विदेश में)

६२ नये पैसे (देश में)

39८ LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव . . . . . २६८०—८६

अनुदानों के लिये मांगें
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . . . २६८६—२७३०

दैनिक संक्षेपिका . . . . २७३१—३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से ११११, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५—६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४—८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८—८९

अनुदानों की मांगें . . . . . २७८९—२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९—२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३—३८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८३९—४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३—६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४—९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८६५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८६६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८६६–६७

सभा का कार्य २८६७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८६७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुर:स्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुर:-स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुर:स्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुर:स्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुर:स्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुर:स्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुर:स्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुर:स्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डीज़ल रेलवे इंजन

†*९५४. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, जमशेदपुर में डीज़ल से चलने वाले रेलवे इंजन बनाने का सामान मौजूद है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : नहीं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या डीज़ल रेलवे इंजनों का निर्माण करने में विदेशी सार्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिये टाटा समवाय उन से बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उसका हमारे साथ कोई सम्बन्ध नहीं और मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : १९५७ में हम ने कितने डीज़ल इंजन आयात किये ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसके लिये अलग नोटिस दें । परन्तु माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि हमने हाल ही में इस्पात कारखानों वाले क्षेत्रों के लिये १०० डीज़ल इंजन मांगे हैं । उन में से कुछ गया में इस्तेमाल होंगे और कुछ आसनसोल के निकट क्षेत्र में ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या सरकारी क्षेत्र में डीज़ल रेलवे इंजनों का निर्माण करने की कोई प्रस्थापना है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यद्यपि यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और रेलवे मंत्रालय इस बात को महसूस करता है परन्तु फिर भी अभी मैं यह नहीं कह सकता कि कोई निश्चित कार्यवाही की जायेगी या नहीं । मामला विचाराधीन है और हम ने दृढ़ निश्चय कर लिया है ।

†**श्री दामानी** : रेलवे के प्रत्येक सैक्टर में कितने डीज़ल इंजन चल रहे हैं और विद्युत-चालित इंजन और डीज़ल रेलवे इंजन को चलाने पर कितना खर्च होता है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसके लिये अलग नोटिस चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

395 LSD.—1.

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या टाटा कम्पनी के पास डीज़ल इंजन बनाने का सामान है। टाटा कम्पनी तो रेलवे नहीं चलाती वह तो रेलवे विभाग के लिये बनाये जाते हैं। अतः क्या कार्यवाही हो रही है और क्या नहीं इन सब प्रश्नों का आपस में गहरा सम्बन्ध होता है।

†श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि रेलवे में कितने और किन-किन सैक्शनों में डीज़ल इंजन चल रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ठीक कहते हैं।

†श्री दामानी : आगामी पांच वर्ष के लिये डीज़ल इंजनों की क्या व्यवस्था की गई है ...

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ये सब प्रश्न जमा रखें। रेलवे बजट पर चर्चा समाप्त हो चुकी है।

†श्री तिरुमल राव : माननीय उपमंत्री ने कहा कि डीज़ल इंजन बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तो क्या इस के लिये चितरंजन लिये उपयुक्त नहीं है ?

†श्री जगजीवन राम : शंटिंग के लिये रेलवे इंजनों के टैंडर मांगे गये हैं। टैंडर में यह भी पूछा गया है कि यदि डीज़ल इंजनों का आयात किया जाय तब उनका मूल्य क्या होगा और यदि विदेशी सार्थ के सहयोग से वे यहीं बनाये जायें तब क्या खर्च होगा। टैंडर प्राप्त होने के बाद हम सोचेंगे कि इस सहयोग का प्रयोग सरकारी क्षेत्र में किया जाये या गैर-सरकारी क्षेत्र में।

†श्री तंगामणि : अमरीका से जिन १०० विद्युत चालित रेलवे इंजनों का आयात किया जा रहा है उन में से कितने दक्षिण रेलवे को दिये जायेंगे ?

†श्री जगजीवन राम : दक्षिण रेलवे के लिये दस।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : डीज़ल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिये हम किन देशों से सहयोग प्राप्त करने की बातचीत कर रहे हैं ?

†श्री जगजीवन राम : टैंडरों पर विचार करने के बाद ही हम यह बता सकेंगे।

रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में ग्रामीण विश्वविद्यालय

+

*९५६. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुद्रपुर में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता देने के प्रश्न के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) भारत सरकार रुद्रपुर के स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये राज़ी हो गई है। एक विवरण, जिसमें यह बतलाया गया है कि वित्तीय सहायता किन शर्तों पर दी जायेगी, सभा की टेबल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) राज्य सरकार ने (१) स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के लिये कानूनी मसौदा बनाना और (२) भवनों इत्यादि के लिये ब्ल्यू प्रिंट्स (blue-prints) तैयार करने के प्रारम्भिक कार्य को शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों में से दो को शिक्षा सम्बन्धी आदर्श तथा यू० एस० ए० के लैंड ग्रान्ट कालेजों के संगठन का, ब्यौरेवार अध्ययन करने के लिये, यू० एस० ए० भी भेजा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में यह बताया गया है कि कुछ शर्तों के मुताबिक केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को इस कार्य के लिये आर्थिक सहायता देगी। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है या उन्होंने कोई दूसरी राय दी है।

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : इस के स्थापित करने के वास्ते दूसरी पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस १ करोड़ रुपये में से केन्द्रीय सरकार ७५ परसेन्ट ग्रांट देगी और २५ परसेन्ट लोन, रियेबल विध इंटरेस्ट, देगी।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विश्वविद्यालय रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है उस में और हमारे देश में जो बहुत से विश्वविद्यालय हैं उन में क्या कोई विशेष अन्तर होगा जो कि इस के लिये इतने धन की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह रूरल युनिवर्सिटी है, ऐग्रिकल्चरल युनिवर्सिटी है। इस में चार कांस्टिटुएंट कालेज होंगे। उन कालेजेज़ की जो डिगरी होगी इस विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली डिग्री अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के समान होगी और शिक्षा मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है या कि अन्य स्थानों पर भी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अभी तो एक ही की स्थापना की जायेगी परन्तु यदि वह उपयोगी सिद्ध हुई तो हम और विश्वविद्यालय भी स्थापित करेंगे। वस्तुतः पंजाब और आंध्र सरकारों ने भी प्रस्ताव रखा है। दोनों सरकारें ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती हैं।

†**श्री रंगा :** हर एक राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधान बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या इसके लिये एक अखिल भारतीय विधान बना देना ठीक नहीं था जिस से राज्य सरकारों को यह सब न करना पड़ता ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह राज्य को ही करना पड़ता है क्योंकि शिक्षा का विषय राज्य सरकारों के हाथ में है। उत्तर प्रदेश सरकार इस विश्वविद्यालय को एक १६,००० एकड़ का फार्म और कई करोड़ रुपये के मूल्य की इमारतें और अन्य वस्तुएं दे रही है। उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार को विधान बनाना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** कृषि विश्वविद्यालयों से क्या विशेष लाभ होगा ? क्या रुद्रपुर का विश्वविद्यालय सारे भारत के लिये होगा या केवल उत्तर प्रदेश के लिये ? उत्तर प्रदेश में अन्य जो लगभग आधे दर्जन विश्वविद्यालय हैं क्या उन से काम नहीं चल सकता था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** क्योंकि इस प्रकार का केवल एक ही विश्वविद्यालय होगा इसलिये इसे सारे भारत से आने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करनी होगी । अभी चार कालेज खोलने का विचार है । कृषि कालेज में १५० छात्रों को प्रवेश मिलेगा । एक कालेज पशु पालन के लिये, एक कृषि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और एक घरेलु विज्ञान का कालेज होगा । ये चार कालेज खोले जायेंगे ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या यह सच है कि इस पर जो खर्च होगा उसका अधिकांश भाग टैक्नीकल सहकारिता मिशन ने वहन करने का निश्चय किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** माननीय सदस्य का कहना ठीक है । टैक्नीकल सहकारिता मिशन ने इसकी जांच की है और यह स्वीकार किया है कि इस विश्वविद्यालय के लिये जिस सामान का आयात करना पड़ेगा उस का सारा खर्च वह वहन करेगा ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या सेवाग्राम स्थित तालीमी संघ को भी रूरल यूनीवर्सिटी में परिणत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** कृपा करके प्रश्न फिर से पूछिये ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी उठे––

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं ।

दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन

†*९५८. **श्री हेडा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मथुरा के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम कब पूरा होगा;

(ख) अब तक कितने मील लम्बी लाइन बिछाई गई है; और

(ग) क्या लक्ष्य तिथि निकल चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) लगभग जून १९५८ तक ।

(ख) ५६ मील जिन में १३ मील लम्बी वह लाइन भी शामिल है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है ।

(ग) नहीं, लक्ष्य तिथि अक्तूबर, १९५८ है ।

†**श्री हेडा :** क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि केवल २८ मील में दोहरी लाइन बिछाई गई है या कि २८ मील में दोहरी लाइन बिछाना बाकी है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** प्रश्न यह था कि अब तक कितने मील लम्बी दोहरी लाइन बिछाई गई है । मैं ने बताया कि हाल ही में खोली गई १३ मील लम्बी लाइन के समेत ५६ मील ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** अभी कितने मील में लाइन बिछाने का काम बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज़ खां : लाइन कुल ८७.७५ मील लम्बी है ।

†श्री हेडा : क्या काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है या कि विलम्ब हो रहा है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : मैं बता चुका हूं कि कार्यक्रम के अनुसार यह अक्तूबर, १९५८ में पूरा होगा। आशा है कि अब हम इसे जून तक समाप्त कर देंगे। काम समय से पूर्व पूरा हो जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सुझाव देता हूं कि जब कभी उन्हें ऐसे व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हों जो उनके राज्य के रहने वाले नहीं हैं तो वे उन्हें सम्बन्धित राज्य के सदस्यों के पास भेज दें जो कुछ जानकारी के आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि श्री हेडा के अनुपूरक प्रश्न जानकारी के बिना ही पूछे जाते हैं।

†श्री हेडा : इस से मेरा बड़ा ताल्लुक है; मुझे इसी लाइन पर जाना होता है।

†श्री रघुनाथ सिंह : परन्तु हम तो सारे भारत के प्रतिनिधि हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं। माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र छोड़ कर कुमारी अन्तरीप जाते हैं। मैं जानता हूं कि हम यहां समस्त भारत के लिये निर्णय करते हैं। परन्तु कठिनाई यह पैदा होती है। कुछ माननीय सदस्य अन्य राज्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं परन्तु वे ठीक प्रकार उन्हें समझ नहीं पाते। जब माननीय मंत्री उत्तर देते हैं तो माननीय सदस्य को चुप रहना पड़ता है और कोई दूसरा सदस्य ही अनुपूरक प्रश्न पूछता है। इसलिये स्थानीय मामलों सम्बन्धी प्रश्न यदि स्थानीय सदस्य ही पूछें तो ठीक रहेगा।

†श्री हेडा : मैं जोनल रेलवे प्रयोक्त परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं और मैं इस लाइन पर सफर करता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भारत के किसी भी भाग के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी

+

†*९६०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री तंगामणि :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की उसी श्रेणी में अथवा तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की सम्भावनाओं का पुनरावलोकन करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी क्या उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुतत कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उनका परीक्षण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी देरी क्यों हो रही है क्योंकि पहले उत्तर दिया गया था कि नवम्बर तक रिपोर्ट आ जायेगी, बाद में कहा गया था कि फरवरी में रिपोर्ट आ जायेगी, अब मार्च में भी रिपोर्ट नहीं आयी है, क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसका बहुत हद तक दारोमदार जो कमैटी है उसी पर है । हमारी यह तवक्को थी कि ६ महीने के अन्दर अन्दर वह काम कर सकेंगे, लेकिन इस कमेटी के नौ मैम्बरों में से ६ रेलवे के आफिसर्स हैं जिनको अपना काम भी करना पड़ता है और यह काम भी करना पड़ता है । इस वजह से जैसा खयाल था उससे ज्यादा वक्त लग गया है । लेकिन उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक वह रिपोर्ट आ जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : यह ताप्से समिति लगभग ९ मास पूर्व नियुक्त की गई थी और रेलवे के आय व्ययक पर चर्चा के दौरान में भी रेलवे मंत्री ने कहा था कि समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित होगा । क्या मैं जान सकता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो पहले पूछा जा चुका है । माननीय मंत्री ने बताया है कि समिति के सदस्य पदाधिकारी हैं उन्हें अपना काम भी करना होता है और समिति का भी । यदि माननीय सदस्य उत्तर को न समझें तो मुझे तुरन्त बता दिया करें तांकि उसे अंग्रेजी में दोहराया जा सके ।

†**श्री तंगामणि**: गत ९ मास में इस समिति ने किन-किन स्थानों का दौरा किया और क्या उन्हें 'कार्मिक संघों' से अभ्यावेदन भी मिले ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री एक एक करके भारत के सभी स्थानों के नाम बतायेंगे ?

†**श्री तंगामणि** : कौन कौन से ज़ोन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : समिति १५–१५ दिन के लिये चार बार दौरे पर गई । उन्होंने लगभग सब 'ज़ोनों' का दौरा किया है । उस ने एक प्रश्नावली भी प्रकाशित की और विभिन्न कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उन्होंने इन सब पर विचार किया ।

†**श्री तंगामणि** : उनके निर्देशन पद क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्देशन पदों की प्रतियां शायद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यदि आप आज्ञा दें तो आधे मिनिट में मैं इसका उत्तर दे सकता हूं । समिति के निर्देश पद ये हैं :—

१. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदौन्नति की वर्तमान पद्धति की जांच करना और उसे विस्तृत करना जो कि यदि सम्भव हो तो सभी भारतीय रेलों पर एकरूपता से लागू की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. वे शर्तें निर्धारित करना जिनके आधार पर कर्मचारियों की पदौन्नति की जा सके।

३. वह तरीका निर्धारित करना जिसके अनुसार पदौन्नति के लिये कर्मचारियों को चुना जा सके ; और

४. यदि आवश्यकता हो तो वह प्रशिक्षण निर्धारित करना जो चुने गये कर्मचारियों को पदोन्नत करने से पूर्व प्राप्त करना होगा और प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त और सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चौथे दरजे के कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है जिनके बारे में विचार किया जा रहा है और तीसरी श्रेणी में उनके प्रोमोशन में क्या कठिनाई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सारा मामला यह है कि उनकी पदौन्नति तृतीय श्रेणी में कैसे की जाये।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की इस समय संख्या कितनी है और उनको तीसरी श्रेणी में प्रोमोशन देने में क्या अड़चन है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो बड़ा सवाल है। इसलिये तो अलाहिदा नोटिस चाहिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने जिस प्रश्नावली का उल्लेख किया क्या वह जनता के प्रतिनिधियों और संसद् के सदस्यों को भी भेजा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी हां । वस्तुतः आप के कहने पर हम ने प्रश्नावली की प्रतियां संसद सदस्यों को भेजने के लिये समिति से कहा था। हम ने तुरन्त कार्यवाही करके समिति के सचिव को आपकी इस इच्छा से सूचित कर दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव है कि जब कभी कोई जांच समिति अथवा आयोग जिसका प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाना होता है कोई प्रश्नावली बाहर के लोगों को भेजे तो वह साथ ही संसद के सदस्यों को भी भेज दे । इस तरीके को जारी रखना या न रखना माननीय सदस्यों के उत्तर पर निर्भर करेगा ।

†**श्री तंगामणि :** हमें जानकारी मिलनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा में निर्देशन पद बार बार क्यों पूछे जाते हैं ? वे अधिसूचनाओं में प्रकाशित हो जाते हैं । पहले, राजपत्र की प्रतियां संसद के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाती थीं । ये अब भी भेजी जा सकती हैं । सरकार उन्हें भेजने के बारे में विचार कर सकती है। इस से यह लाभ होगा कि माननीय सदस्य सभा में बार-बार निर्देशन पद नहीं पूछेंगे और वह समय अन्य प्रश्नों को दिया जा सकेगा ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** राज पत्र हर एक सदस्य को मिलता है ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** जी नहीं ।

†**श्री करमरकर :** सब को मिलता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मिलता है तो ठीक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने समिति को सूचित कर दिया था और प्रश्नावली की प्रतियां संसद सदस्यों को भेजने के लिये कह दिया था परन्तु हमें तो वे नहीं मिलीं। क्या माननीय मंत्री समिति को पुनः याद दिलाने की कृपा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समिति ने प्रश्नावली न भेजी हो तो अब भेज दे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आप ने निर्देश दिया था कि मंत्री वह सुझाव समिति को भेज दें। हम ने वह सुझाव समिति को भेज दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समिति उस पर अमल न करे तो मंत्रालय को चाहिये कि वह कुछ प्रतियां टाइप करके सदस्यों को भेज दे। संसद सदस्यों की अवहेलना क्यों की जाये जबकि अन्तिम निर्णय उन्हीं को करना है। यह तो बड़ी अजीब बात है। माननीय मंत्री इसकी जांच करें। समिति के छः सदस्य रेलवे पदाधिकारी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे सरकार की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते।

†**श्री शाहनवाज खां** : समिति ने अपनी कार्यवाही लगभग समाप्त कर ली थी और वह अपना प्रतिवेदन तैयार करने वाली है। क्या आपकी यह इच्छा है कि अब भी प्रश्नावली भेजी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उस से कोई लाभ न होगा। अब यह मामला सभा के समक्ष आयेगा और उन्हें प्रश्नावली और प्रतिवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायेगी। ऐसे मामलों में संसद सदस्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। अन्तिम निर्णय तो उन्हीं को करना होता है। यदि हम ही संसद और इसके सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे तो देश के अन्य लोग भी इसका सम्मान नहीं करेंगे। यह सभा देश की विधान सभाओं की सरताज है। ठीक है कि हर एक सदस्य हर विषय में दक्ष नहीं होता और उसे संसार के हर एक मामले में जानकारी नहीं होगी परन्तु हम ने किसी न किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। उन में से कुछ एक उस प्रश्नावली का उत्तर भेजेंगे कुछ नहीं भेजेंगे परन्तु इस कारण हमें प्रश्नावली को रोकना नहीं चाहिये।

रेनीगुण्टा में पटाखों का विस्फोट

†*९६३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेनीगुण्टा स्टेशन के अधिकारियों ने १६ अक्तूबर, १९५७ को पटाखों की २३ पेटियां जला दी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) क्या मंगाने वालों को उनका मुआवजा दिया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने नहीं। इन्हें विस्फोटकों के उपमुख्य निरीक्षक ने नष्ट किया था।

(ख) विस्फोटकों के उपमुख्य निरीक्षक ने इन्हें भारतीय विस्फोटक-पदार्थ नियम, १९४० के नियम १०७ के अधीन लोक-हित में नष्ट किया था क्योंकि इन पेटियों में विस्फोटकों के प्रतिबंधित या अनधिकृत मिश्रण थे।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : क्या इन्हें रेलवे अधिकारियों की अनुमति से या उनकी जानकारी में नष्ट किया गया था ?

†श्री शाहनवाज़ खां : इन्हें रेलवे अधिकारियों की अनुमति से नष्ट नहीं किया गया था। रेलवे अधिकारियों को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी। विस्फोटकों के उप-मुख्य निरीक्षक ने इन्हें खतरनाक समझा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन उसे इन्हें नष्ट करने का अधिकार है। यह इस विषय की हिदायतों के अनुरूप ही था।

†श्री तंगामणि : पिछले सत्र में इन विस्फोटों के बारे में चर्चा हुई थी। उस समय हमें बताया गया था कि यह विस्फोट केवल अमोर्सेज़ के कारण हुए। क्या केवलें अमोर्सेज को ही नष्ट किया गया या पटाखों तक को नष्ट कर दिया गया है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : केवल अमोर्सेज ही नहीं, वरन् ऐसी अन्य विस्फोटक सामग्री को, जिनमें पटाखे भी शामिल हैं, नष्ट किया गया जिनमें उचित से अधिक मात्रा में विस्फोटक पदार्थ थे। उन में कहीं अधिक मात्रा में विस्फोटक पदार्थ थे।

†श्री आचार : क्या इन्हें नष्ट करने से पहले भेजने वालों या मंगाने वालों को कोई नोटिस दिया गया था ?

†श्री शाहनवाज़ खां : इस प्रकार के पदार्थों को नष्ट करने से संबंधित हिदायतों के अनुसार विस्फोटकों के उप मुख्य निरीक्षक को नष्ट किये गये पदार्थ का थोड़ा नमूना रखना पड़ता है। उन्हें उस नमूने का थोड़ा सा अंश इस माल के मालिकों के सुपुर्द कर देना पड़ता है ताकि यदि वे बाद में आपत्ति उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, और मालिकों को सूचना दे दी गयी थी।

†अध्यक्ष महोदय : यानी, नष्ट करने के बाद। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें नष्ट करने से पहले भेजने वाले को, यदि वह चाहे तो, आपत्ति उठाने का कोई अवसर दिया गया था ?

†श्री शाहनवाज़ खां : कोई अवसर देना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इतनी जानें जा चुकी थीं और सम्पूर्ण देश इन पर उत्तेजित था। हम इस मामले में और आगे खतरा उठाना नहीं चाहते थे।

†श्री अ० क० गोपालन : मंगाने वालों को यह सामान सौंप देने का प्रस्ताव क्यों नहीं किया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : उस बीच कुछ लोगों की जानें और नष्ट हो जातीं। उनके इन्हें लेने के लिये आने से पहले ही कुछ व्यक्ति इस विस्फोट से उड़ न जाते ? यही होता। यहां हम इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। कटपड़ी अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से १८ मील दूर है और रेनीगुण्टा चितूर से सिर्फ ६ मील दूर है। यहां बहस हो चुकी है। भारत भर में २१ जानें गयी हैं। एक सांस में तो हम तत्काल कार्यवाही करना चाहते हैं और दूसरी सांस में इस तरह का माल भेजने वालों के हित की रक्षा भी करना चाहते हैं जो जानबूझ कर सभी तरह के पटाखे भेजते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीग्राफ वर्कशापों के कर्मचारी

†*९६४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, अलीपुर और बम्बई की टेलीग्राफ-वर्कशापों में काम करने वाले ७,००० औद्योगिक श्रमिकों को कम छुट्टियां और अन्य सुविधायें मिल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें डाक तथा तार विभाग के तीसरी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के स्तर तक लाने के बारे में तबसे कुछ निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) डाक तथा तार वर्कशापों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों की छुट्टियों और अन्य सुविधाओं संबंधी नौकरी की शर्तों की तुलना अन्य नियमित कर्मचारियों से नहीं की जा सकती क्योंकि ये बिल्कुल ही भिन्न आदेशों से शासित होते हैं ।

(ख) श्रमिक संघ की इस मांग की ओर कि उनका वर्गीकरण तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के रूप में किया जाये, उस जांच आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पारश्रमिक के ढांचे की जांच करने के लिये नियुक्त किया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को अब तक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और यदि हां, तो क्या वेतन आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : तार-वर्कशापों के औद्योगिक श्रमिक १९४८ के फैक्टरीज ऐक्ट और उससे संबंधित स्थायी आदेशों द्वारा शासित होते हैं । उनकी नौकरी की शर्तें और निबंधन अन्य नियमित सरकारी कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न हैं जो मूल भूत नियमों, अनुपूरक नियमों तथा उन सभी नियमों से शासित होते हैं जिनका नाम बताने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक श्रमिकों को ४० और ५० प्रतिशत स्थायी और अर्द्ध स्थायी बनाया गया है ? क्या औद्योगिक श्रमिकों को अर्द्धस्थायी बनाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर**: इसके लिये मुझे पृथक पूर्व-सूचना चाहिये, लेकिन स्थायी बनाने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । श्रमिकों को उनकी नौकरी के प्रक्रम के अनुसार स्थायी बना दिया जाता है ।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या यह सच नहीं है कि फैक्टरीज ऐक्ट से शासित होने वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को डाक विभाग के औद्योगिक श्रमिकों की अपेक्षा अधिक उदारतापूर्ण सुविधायें प्रदान की जाती हैं, और यदि हां, तो यह भेद-भाव क्यों ?

†**श्री राज बहादुर** : इस का उत्तर देने में मुझे अनिवार्य रूप से तुलना करनी पड़ेगी । मेरे पास पूरा विवरण है, और यदि आवश्यक हो तो उसे पढ़कर सुना दूं । किसी माने में उनकी हालत अच्छी हो सकती है—किसी में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक सम्बन्धी सुविधायें

+

†*९६५. { श्री नौशीर भरूचा :
{ श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले जिन गांवों में डाकखाने नहीं होते थे उनमें यात्री बसों पर लेटर बक्सों की सुविधा दी जाती थी ;

(ख) क्या बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम की डाक ले जाने वाली बसों पर लेटर बक्स लगाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब से दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) निगम द्वारा अनुमोदित नमूने के लेटर बक्सों के बनते ही ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नौशीर भरुचा** : बम्बई राज्य में कितनी बस रूटों पर यह सुविधा दी जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्यतया, गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा चलायी जाने वाली बसें तो अब भी लेटर-बक्स ले जाती हैं । राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रमों ने लेटर बक्स के नमूने और उनके लिये वसूल किये जाने वाले किराये के बारे में कुछ आपत्तियां उठायी थीं । इस बारे में कुछ बात चीत हुई थी और समझौता हो गया है । नमूने का अनुमोदन हो चुका है और इन के बनते ही यह लगा दिये जायेंगे ।

श्री नौशीर भरुचा : मेरा प्रश्न भिन्न था । मैं यह जानना चाहता था कि क्या सभी रूटों पर यह सुविधा दी जायेगी या एक एक करके दी जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जितनी अधिक रूटों पर संभव होगा उन सब पर । लेकिन राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रमों की अधिकांश रूटों पर उन्होंने आमतौर पर लेटर बक्स लगाने में कठिनाई बताई है

†**श्री रंगा** : क्या यह सुविधा अन्य राज्यों में भी प्रदान की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक गैर-सरकारी बसों का सम्बन्ध है, यह पहले से ही मौजूद हैं । लेकिन राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रमों में तो हैदराबाद तक में कुछ कठिनाई थी । वहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था होने वाली है ।

श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि भारत के लगभग कुल ७ लाख गांवों में से केवल ५२,३३८ गांवों में ही डाकखाने हैं ; और यदि हां, तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन डाक खानों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री राज बहादुर : यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो गांवों की कुल संख्या ५$^{1}/_{2}$ लाख है, ७ लाख नहीं ; यह संख्या तो स्वतंत्रता से पहले की है। दूसरी बात यह है कि ५७,००० गांवों में डाकखाने हैं, ५२,००० में नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह आंकड़े मुझे मंत्री महोदय ने संसद् में ही बताये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । हमें यहां बहस में नहीं पड़ना है। यह प्रश्न केवल बसों में लेटर-बक्सों की व्यवस्था से ही संबंधित है ।

श्री स० म० बनर्जी : मेरा प्रश्न इससे उत्पन्न होता है क्यों कि डाकखानों की कमी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य बात यह है कि यहां हमें क्या सामान्य चर्चा करनी है ? माननीय सदस्य इन सभी बातों को मांगों संबंधी वाद-विवाद के लिये सुरक्षित रखें ।

अनाजों की खपत

+

†*९६८. { **श्री गोरे** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाजों की खपत में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक निदेश में यह सलाह दी है कि वह औपचारिक समारोहों में अतिथियों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दें ; और

(ख) यदि राज्य सरकारों की इस पर कुछ प्रतिक्रिया हुई हो तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वह खाद्य-सामग्री बर्बाद न होने देने, चावल की खपत कम से कम स्तर पर लाने और इन के स्थान पर अन्य खाद्य-सामग्री के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही करें । इस संबंध में जिन कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया था उन में एक यह भी थी कि जिन समारोहों में अनाज से बना भोजन परोसा जाने वाला हो उन में आमंत्रित किये जाने वाले अतिथियों की संख्या सीमित कर दें ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह बताया गया है कि राज्य-सरकारों ने क्या कार्यवाही की है या क्या विचार प्रगट किये हैं ? **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

†**श्री गोरे** : इस सभा में हमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में अनाज की कमी है । विवरण से यह प्रतीत होता है कि राज्यों ने खाद्य-पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिये कुछ भी कार्यवाही नहीं की है । इस को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है कि उन्हें तत्काल कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

†**श्री अ० म० थामस** : यह एक ऐसा मसला है जिसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि इस का पालन कराना वाकई कठिन है, और यदि राज्य सरकारों में इस के प्रति उत्साह न हो तो इन प्रतिबन्धों के प्रयोजन को क्रियान्वित करना संभव नहीं भी हो सकता है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थिति में यह प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर सूखे का प्रभाव भले ही हो, लेकिन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को देखते हुए खाद्यान्न के मामले में वहां की स्थिति कमोबेश संतोषप्रद है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** : क्या इस का मतलब यह हुआ कि जब वह खाने के लिये मांग करें तब तो हम जल्दी से खाना उन के पास भेज दें, लेकिन जब वह प्रतिबन्ध लगाने से इंकार कर दें उस समय हम कुछ भी न करें ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने सभी सरकारों को लिख कर उन को यह आवश्कता बताई है कि वह चावल की खपत को जितना कम कर सकें कर दें और उन के स्थान पर दूसरे खाद्य-पदार्थ लें । साथ ही हम ने उन से यह भी कहा है राज्य सरकारें इस ढंग से कार्यवाही न करें जिस से डर की भावना फैल जाये ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह प्रतिबन्ध कमी वाले राज्यों के लिये ही हैं या बचत वाले राज्यों के लिये भी हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या बचत वाले राज्यों पर यह प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : भारत कुल मिला कर एक इकाई है । और देश के एक भाग की खाद्य-स्थिति का दूसरे भाग पर असर पड़ता है । इसलिये समान नीति आवश्यक है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस दृष्टि से कि . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ! क्या यहां सामान्य चर्चा हो रही है ? माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय ने उस का यह उत्तर दे दिया कि हम समान नीति रखना चाहते हैं । जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है यह बात यहीं खत्म हो जानी चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों से खाद्य की बर्बादी कम से कम करने के के बारे में जो बात कही है उस के होते हुए भी क्या सरकार को यह मालूम है कि मौलाना आजाद के लिये शोक की अवधि में पंजाब में सरकारी तौर पर बड़ी ही शानदार दावत दी गयी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । हम एक बात को छोड़ कर दूसरी पर जा रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने आदेश जारी कर भोजन-व्यवस्था प्रतिष्ठानों से कहा है कि वे सप्ताह के कुछ ही दिनों में अपने ग्राहकों को चावल परोसें, क्या संघ सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई सूचना मिली है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप कितने चावल की बचत हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी नहीं : हमें कोई खबर नहीं मिली है ।

१२ वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र

†*६६६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ वर्ष वाले राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जब १२ वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद पूर्णतया परिपक्व होने पर डाकखानों में प्रस्तुत किये जाते हैं तब भी समय पर उन का भुगतान नहीं किया जाता ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ऐसे कुल प्रमाण पत्रों का मूल्य कितना है जो १५ जनवरी, १९५८ के पहले डाकखानों में पेश किये गये थे लेकिन जिन का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, थोड़े से ऐसे हैं ।

(ख) ऐसे प्रमाणपत्रों का कोई हिसाब नहीं रखा गया है जो १५ जनवरी, १९५८ से पहले डाकखानों में पेश किये गये थे लेकिन जिन का अभी भुगतान नहीं हुआ है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के पेश किये जाने के बाद उन के लिये भुगतान में असाधारण विलम्ब होने की वजह से जो निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उस का ध्यान रखते हुए, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन प्रमाण पत्रों में रुपया लगाने के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, क्योंकि इस सम्बन्ध में हम कमी का अनुभव कर रहे हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह धारणा गलत है कि हर बार ही देर होती है, क्योंकि देर केवल वहीं होती है जहां किसी विशेष प्रमाणपत्रों में या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो उस राशि का दावा करना है, कुछ दोष पाया जाता है । हम ने देखा है कि इन प्रमाणपत्रों को तैयार करने में कुछ प्रविधिक और लिपिकों की ग़लतियां रह गयी हैं । तब हम ने वित्त मंत्रालय को बताया और उन्हों ने एक व्यापक आदेश से इन अनियमितताओं को माफ़ कर दिया । अब उन्हों ने मंडलों के पोस्टमास्टर जनरल को भी यह अधिकार दे दिया है कि वह उन ग़लतियों को माफ़ कर सकते हैं जो लिपिकों की वजह से हुई हों । मेरा ख्याल है कि इस कार्यवाही से भविष्य में होने वाली कठिनाई से बचा जा सकेगा ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : चालू वर्ष के लिये जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उस में कितनी कमी रह गयी है ?

†श्री राज बहादुर : मेरे ख्याल से यह प्रश्न यदि वित्त मंत्रालय से पूछा जाये तो ज्यादा अच्छा हो ।

†श्री हेडा : क्या इस बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के, विशेष रूप से उन के जिन के निवासी अनपढ़ हैं, डाकखानों में संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिले नहीं और यद्यपि पोस्टमास्टर उन व्यक्तियों को भली प्रकार जानता था फिर भी प्रविधिक आधार पर उस ने भुगतान नहीं किया ?

†श्री राज बहादुर : यदि प्रमाणपत्र भुगतान के लिये उसी डाकखाने में पेश किया जाये, जिस ने उसे जारी किया था, तब तो अधिक कठिनाई नहीं होती । मेरे ख्याल से कुछ असाधारण मामलों में ही कठिनाई होगी । लेकिन परिपक्व होने के बाद जिन प्रमाण पत्रों को उन डाकखानों में न कर के जिन्हों ने उन्हें जारी किया था अन्य डाकखानों में पेश किया जाय तो इस मामले में भी कुछ कठिनाई हो सकती है । लेकिन कोई भी पहचानने वाला व्यक्ति सदैव इस कठिनाई को हल कर देता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हावड़ा के गुड्स एकाउंट्स आफिस में भ्रष्टाचार

+

†*९७०. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या रेलवे मंत्री ११ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के गुड्स एकाऊंट्स आफिस में भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) जिस कर्मचारी को विभाग ने मुअत्तल कर दिया था क्या उसे फिर से काम पर आने के लिये कह दिया गया है ; और

(ग) क्या विभागीय जांच के अलावा विशेष पुलिस संस्थापन ने भी जांच की थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जांच के लिये जिन ७६ मामलों की सूची बनायी गयी थी उन में से ११ में अनुशासन की कार्यवाही की जा चुकी है।

(ख) इस प्रकार पर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां, दो मामलों में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि लेखे के प्रभारी अधिकारियों ने विशेष पुलिस प्रतिष्ठापन से आवश्यक जांच के पश्चात् यह स्पष्ट निर्णय कर लिया था कि श्री आर० के० मज़ूमदार से अपनी नौकरी पर पुनः आने के लिये कहा जाये ; सुपरिन्टेन्डेन्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया यद्यपि उस के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम यहां वैयक्ति मामलों पर विचार करेंगे ? प्रश्न कालीन घंटे में सामान्य प्रवृत्ति वाले प्रश्न ही पूछे जाने चाहियें । वैयक्तिक विषय यहां नहीं उठाने चाहियें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भ्रष्टाचार जांच समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये व्यक्ति विशेष को मुअत्तिल रखा गया । क्या यह सच है कि बड़े अधिकारियों द्वारा यह निर्णय कर लेने पर भी कि उसे पुनः नौकरी में रखा जाये ऐसा नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहती हैं कि समिति के समक्ष साक्ष्य देने के कारण एक व्यक्ति को प्रपीड़ित किया गया और उच्च अधिकारियों द्वारा उसे मुक्त कर देने पर भी उसे नौकरी पर पुनः नहीं रखा गया ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय सदस्या ने रेलवे मंत्री का ध्यान इस की ओर आकृषित किया था और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि साक्ष्य देने के कारण किसी भी व्यक्ति को प्रपीड़ित नहीं किया जायेगा । संभव है उक्त कर्मचारी के विरुद्ध साक्ष्य देने के अतिरिक्त अन्य बात हो तो उस पर पृथक् रूप से विचार किया जायेगा । केवल समिति के समक्ष साक्ष्य देने से ही किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इन विषयों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया तो वह अवश्य ही इस पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं ने भरसक प्रयत्न किया है। मैंने कागज पत्र तथा अन्य बातें भी उन्हें बताई हैं। मैं एक सिद्धान्त सम्बन्धी बात और जानना चाहती हूं। क्या सरकार द्वारा नियुक्त निकाय के समक्ष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दिया गया साक्ष्य गोपनीय नहीं समझा जाता है और क्या सरकारी विभाग में इस प्रकार के आरोप लगाने के पश्चात् विभागीय जांच की जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

†**श्री रंगा** : क्या जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं उन्हें साक्ष्य बता दिया जाता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम इसे कैसे रोक सकते हैं ? रेलवे अपने कर्मचारियों को क्या गारण्टी देती है कि जिन कर्मचारियों से उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये कहा जाता है वे उच्च अधिकारी इन कर्मचारियों को तंग नहीं करेंगे ? यह एक गम्भीर विषय है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : यह सामान्य स्वरूप वाला प्रश्न है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। इस विशेष मामले में, लेखे के सम्बन्ध में अनियमितता के ७६ मामलों का पता लगाया गया। सर्वप्रथम, असिस्टेंट अधिकारियों द्वारा जांच की गई। तब आवश्यक समझे जाने की स्थिति में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गई और कुछ मामलों में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच हुई। अतः प्रत्येक मामले पर उस की गम्भीरता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या केवल यह चाहती हैं कि साक्ष्य देने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये अन्यथा उत्पीड़न हो सकता है। इस के लिये कुछ विधि निर्धारित करना चाहिये ।

†**श्री रंगा** : क्या माननीय उपमंत्री ने इन विषयों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया है क्योंकि वे कर्मचारियों के सामान्य हितों से सम्बन्धित हैं। अन्यथा वे कर्मचारी किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देंगे ।

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्या ने यह बात मुझे बताई है और मैं ने ध्यानपूर्वक उस पर विचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्पीड़न नहीं होगा ।

†**श्रीमती पार्वतीकृष्णन्** : बात केवल एक विषय से ही सम्बन्धित नहीं है। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त के अनुकरण करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। भ्रष्टाचार आदि के बारे में जानकारी देने वाले अनेक कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं ने मंत्रालय से नहीं परन्तु प्रशासन से बातचीत की है। तब उन के बारे में क्या कार्यवाही की जाती है--उन्हें आरोप-पत्र का उत्तर देना पड़ता है और उन से समुचित मार्ग अपनाने के लिये कहा जाता है। समुचित मार्ग का अर्थ है वही अधिकारी विशेष जो उस में अन्तर्ग्रस्त है। अतः इस प्रकार के मामलों में क्या किया जायेगा ? व्यक्ति की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। अन्यथा वह तो समुचित मार्ग में ही जकड़ जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज़ खां : मैं उस धारणा को अस्वीकृत करता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी देने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । मैं सभा को यह बता दूं कि जब भी प्रत्यक्षत: कोई बात होती है तो हम रेलवे बोर्ड की सतर्कता शाखा में उसे भेजते हैं या सीधी जांच का आदेश देते हैं । हम स्वयं इंसपेक्टरों को भेज कर इस की जांच करते हैं और वे अधिकारी कभी प्रकट रूप से सामने नहीं आते हैं ।

†श्रीमती पार्वतीकृष्णन् : एक साधारण बात और है ।

†अध्यक्ष महोदय : ये सब व्यापक बातें हैं । अनेक प्रश्न पूछने की कोशिश की जाती है । यदि इन अधिकारियों को बताये बिना ही कार्यवाही की जाये तो निरोधक अधिनियम लागू हो जायेगा और माननीय सदस्य इस के विरुद्ध हैं । अत: यह बृहद् प्रश्न है । माननीय मंत्री इस प्रश्न की अधिक सूक्ष्म जांच करें । इस के लिये तरीके ढूंढे जायें । यदि लोगों को यह मालूम हुआ कि उन के विरुद्ध कार्यवाही होने का भय है तो वे आगे नहीं आयेंगे । इस विभाग के मंत्री ही नहीं सभी मंत्रियों को यह देखना चाहिये कि इस प्रकार लोगों को परेशान न किया जाये । इस सम्बन्ध में एक नीति होनी चाहिये कि क्या किया जाये, किस प्रक्रिया का आय लिया जाये । माननीय मंत्री ने इस पर ध्यान दे दिया है । दूसरा प्रश्न ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, एक प्रश्न और है । इस विशिष्ट मामले में कितने अधिकारी मुअत्तिल किये गये हैं ।

†श्री शाहनवाज़ खां : अभी अनेक मामलों में जांच की जा रही है और इस स्थिति में जानकारी समय से पूर्व होगी ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

†अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का उत्तर देने दीजिये । नहीं तो कोई यह नहीं समझेगा कि प्रश्न क्या है । माननीय सदस्या जानना चाहती हैं कि उक्त ७६ व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति मुअत्तिल रखे गये हैं ।

†श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान्, ये ७६ व्यक्ति नहीं हैं, प्रत्युत लेखे में अनियमितता के ७६ मामले हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : कितने मुअत्तिल किये गये हैं ? प्रश्न यह है ।

†श्री शाहनवाज़ खां : एक अधिकारी हटा दिया गया है ; एक मुअत्तिल किया गया है ।

अजनी स्टेशन पर इंजन की टक्कर

+

†*९७२. { **श्री तंगामणि :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ जनवरी, १९५८ को मध्य रेलवे के अजनी स्टेशन पर लोको शेड में एक शंटिंग इंजन की दूसरे इंजन से टक्कर हो गई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई रेलवे कर्मचारी घायल हुए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । १५ फरवरी, १९५८ को (२६ फरवरी १९५८ को नहीं) जब नं० एन अप लोकल का खाली रेक आजानी के लोको शेड की ओर ले जाया जा रहा था तो इस का इंजन लोको शेड में एक छोटे बंद साइडिंग में प्रवेश करते समय साइडिंग में खड़े एक अन्य इंजन से टकरा गया ।

(ख) केवल ५३० रुपये ।

(ग) जी हां, खाली रेक में यात्रा करने वाले तीन रेलवे कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि लोकल ट्रेन के रेक के गलत शंटिंग के कारण ही यह दुर्घटना हुई और यदि ड्राइवर ब्रेक का प्रयोग नहीं करता तो काफी नुकसान होता और यदि हां, तो एक बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिये ड्राइवर को क्या पुरस्कार दिया गया है अथवा उस की पदोन्नति की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस प्रकार तर्क नहीं करना चाहिये । एक साधारण प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ड्राइवर को कोई पुरस्कार दिया जायेगा अथवा नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि जो माननीय सदस्य उस पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं जो ड्राइवर को दिया जा सकता है । यह निर्णय करना सरकार का काम है कि कोई इनाम दिया जाये अथवा नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : इस मामले में विशेष रूप से,——

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के प्रश्न सरकार के लिये परेशानी पैदा करते हैं । जब विरोधी पक्ष सत्ता, रूढ़ होगा तो एक दिन उन्हें भी यह बात अनुभव होगी । प्रश्नकालीन घंटे में हम इन बातों को नहीं ले सकते हैं । यह बजट सम्बन्धी सामान्य चर्चा या रेलवे बजट पर चर्चा नहीं हैं । एक साधारण प्रश्न होना चाहिये । "कोई पुरस्कार दिया गया है अथवा नहीं । मैं प्रश्न कालीन घंटे में किसी प्रकार के सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दूंगा । प्रश्न के घंटे का उपयोग इस कार्य के लिये नहीं किया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या ड्राइवर को पुरस्कार दिया गया है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जहां तक हमारी जांच का परिणाम है ड्राइवर ही इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी था और पुरस्कार देना तो दूर की बात है उसे दंड़ित करना पड़ेगा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

†**अध्यक्ष महोदय** : वस्तुतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभा में मेरे बार-बार कहने पर भी कि व्यक्ति विशेष के मामले यहां नहीं उठाये जाने चाहियें सदस्य उन पर आग्रह कर रहे हैं । आचरण और अनुशासन के सम्बन्ध में किसी को मत भेद नहीं है । यह अनुशासन के लिये प्रतिष्ठाजनक नहीं है । मामले की जांच का सरकार को सदैव अवसर प्राप्त होना चाहिये । और जांच के पश्चात् उन का निष्कर्ष भिन्न हो सकता है । क्या प्रश्नकालीन घंटे में मैं इस बात का निर्णय करूं कि ड्राइवर पुरस्कार का पात्र है अथवा दंड का भागी ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही ग है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह दुर्घटना २५ फरवरी को हुई थी; जांच कर ली गई है और अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या रेक लगाने के लिये गलत लाइन सेट करने से ही यह दुर्घटना हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : दुर्घटना का क्या कारण है ? यह प्रश्न है ।

†श्री शाहनवाज खां : दुर्घटना के कारण की भी जांच हो रही है ।

†श्री तंगामणि : ड्राइवर वहां था ।

†अध्यक्ष महोदय : यह उनकी अन्तिम राय नहीं है । जांच के पहले कोई नहीं बता सकता कि किसका क्या कारण है ? दूसरा प्रश्न ।

अहमदाबाद स्टेशन यार्ड का नवनिर्माण

†*९७३. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद स्टेशन के मीटर गाज रेलवे यार्ड के नवनिर्माण सम्बन्धी योजनाओं का निर्णय किया है ;

(ख) प्रस्तावित मीटर गाज यार्ड के बारे में जमीन और उसकी स्थापना के सम्बन्ध में क्या सरकार को बम्बई राज्य से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित मीटर गाज यार्ड के फलस्वरुप माधोभाई मिल कोलोनी का कुछ भाग अथवा समूची कोलोनी ही अपवर्जित हो जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) जी हां किन्तु प्रस्ताव सम्बन्धी ब्यौरा ऊंची विचाराधीन है ।

†श्री याज्ञिक : क्या इस संम्बन्ध में अन्यत्र स्थान ढूंढ़ने के लिये बम्बई सरकार से कहा गया है कि पश्चमी रेलवे प्रबन्ध से मिलकर नया यार्ड इस प्रकार बनायें कि माधोभाई मिल कोलोनी के उद्योग की रक्षा हो सके ?

†श्री शाहनवाज खां : माधोभाई मिल कोलोनी और वहां रहने वाले लोगों के बारे में हमें अनेक ऊच्चावेदन प्राप्त हुए हैं । बम्बई सरकार से बातचीत चल रही है । अभी किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†श्री याज्ञिक : क्या स्टेशन यार्ड के नवनिर्माण की योजना इस वर्ष क्रियाविन्त की जायेगी अथवा अगामी वर्ष ?

†श्री शाहनवाज खां : हम इसे इसी वर्ष क्रियाविन्त करने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु यह जमीन अधिग्रहण करने पर निर्भर है । जिस समय जमीन मिल जायेगी हम यथा समय शीघ्र इसे क्रियाविन्त करेंगे ।

†श्री याज्ञिक : क्या सरकार से किसी वैकल्पिक भूमि के बारे में विचार किया है जो माधोभाई मिल कोलोनी के सदृश ही है जिस पर वस्तुत : रेलवे का आधिपत्य है और जहां पर रेलवे की अनेक इमारतें और सम्पदा है । और इसे अधिग्रहण भी सरलता से किया जा सकता है ।

†श्री शाहनवाज खां : वेकलिपक स्थान के चुनाव की व्यावहारिकता भी विचाराधीन है और हम बम्बई सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ी की टक्कर

+

†*९७४. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री खाडिलकर :
श्री आसर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ फरवरी, १९५८ को दक्षिण रेलवे में माधवनगर और नान्द्रे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी और बैलगाड़ी में टक्कर हो गई;

(ख) क्या यह सच है कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और अन्य तीन व्यक्ति घायल हो गये; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मृतक एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। २७ फरवरी १९५८ को १२ बज कर ५० मिनट पर नं० २३५ अप (लोंडा-पूना) सवारी गाड़ी दक्षिण रेलवे के मिराज-पूना सैक्शन पर माधवनगर और नान्द्रे स्टेशनों के बी लेबल क्रासिंग (जिस पर कोई आदमी नियुक्त नहीं है को पार करती हुई बैलगाडी में धंस गई।

(ख) तीन व्यक्ति मरे—दो घटनास्थल पर और एक अस्पताल जाते समय मार्ग में। तीन व्यक्ति घायल हुए—इन में से एक को गम्भीर चोट आई और दो को साधारण चोटें पहुंचीं।

(ग) जी नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी हुई या नहीं, और अगर इन्क्वायरी हुई तो उस से क्या जाहिर हुआ कि उस में दोष किस का था।

श्री शाहनवाज खां : इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी से यह साबित हुआ कि रेलवे का इस में कोई कसूर नहीं था और जो बुलकार्ट वाला था उसका कसूर था।

श्री ब्रजराज सिंह : यह तहकीकात सरकारी अधिकारियों की तरफ से हुई थी या किसी स्पेशल ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण की से हुई थी ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे अधिकारियों की तरफ से।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ऐक्सिडेंट में रेलवे पार्टी की हैसियत से थी या नही ?

अगर रेलवे पार्टी की हैसियत से थी तो इस की तहकीकात किसी स्पेशल ट्राइब्युनल न्यायाधिकरण के द्वारा होनी चाहिये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कैसे उत्पन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री एन्थनी पिल्ले : उत्तर में कहा गया था कि सरकार कोई क्षतिपूर्ण देने का विचार नहीं रखती है। क्या हम जान सकते हैं कि सरकार कोई क्षतिपूर्ति क्यों नहीं देगी ?

†अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अन्य व्यक्ति उत्तरदायी है।

†श्री एन्थनी पिल्ले : उन्होंने यह नहीं कहा है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है।

†श्री गोरे : यह हिन्दी में था।

†श्री याज्ञिक : बैल गाड़ी रेलवे इंजन से कैसे टकरा गई? क्या वहां पर कोई दरवाजा या किसी किस्म की बाड़ नहीं थी जिस से बैल गाड़ी लाइन पर आने से रुक जाती जब कि रेल गाड़ी गुजर रही थी ।

†श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में कहा, दुर्घटना दिन की रोशनी में १२.५० पर हुई लगभग दोपहर के १बजे। यह एक ऐसा समपार है जहां कोई गेटमैन नहीं होता। लाइन बिल्कुल साफ थी। यदि इस के बावजूद भी कोई लाइन पर दौड़ने की जोखिम उठाता है तो हमें उस के लिये दुःख है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक समपार पर दरवाजा नहीं बनाया जा सकता।

मनीपुर में बस दुर्घटना

†*९७५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ फरवरी, १९५८ को मनीपुर में उखरूल रोड, पर नुंगसांग कोंग पर पुल के टूट जाने और एक बस के नदी में उलट जाने के परिणामस्वरूप हुई घटना में एक औरत समेत चार व्यक्ति मारे गये और सात अन्य सख्त घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घातक दुर्घटना पुल की कमजोर दशा के कारण हुई;

(ग) यदि हां, तो पुल के बारे में पूर्व सूचना न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दुर्घटना की कोई सरकारी जांच की मांग की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना गाड़ी के अधिक भारी होने और पहाड़ी मार्ग पर से बहुत तेज रफ्तार से चलने के कारण हुई। इस सड़क पर चेतावनी का एक पट्टा लगा हुआ है कि १५ हंडरवेट से ऊपर के भार की गाड़ी इस सड़क पर नहीं चलनी चाहियें।

(घ) जी नहीं ।

†श्री ले० अचौ सिंह : क्या यह सच है कि पुल १९५५ में अस्थायी आधार पर लकड़ी के सामान से बनाया गया था और लोहे का सामान उस में प्रयुक्त नहीं किया गया था। यदि यह सच है तो पुल की मरम्मत समय पर क्यों नहीं की गयी थी ?

†श्री राज बहादुर : जैसे मैं ने कहा, यह केवल अस्थायी पुल है और इस स्थान पर कोई स्थायी पुल नहीं है। अस्थायी पुल केवल अस्थायी कार्यों के ही लिये था जिस से यातायात पूरी तरह से न रुक जाये। नोटिस बोर्ड पर यह साफ चेतावनी दे दी गई थी कि एक विशिष्ट रफ्तार के आगे गाड़ी

†मूल अंग्रेजी में

नहीं चलायी जानी चाहिये। गाड़ी का भार भी दिया गया था। इस के बावजूद भी यदि बहुत भीड़ वाली बस के ड्राइवर ने बस चलायी तो हम इस में कुछ नहीं कर सकते। जांच होने से पहले दुर्घटना के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराना हमारी जिम्मेवारी नहीं है।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी जावेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह गैर-सरकारी बस थी। पर मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ के अध्याय ८ के उपबन्ध लागू होंगे और दावे सम्बन्धित बीमा समवायों से करने होंगे।

रेलवे लाइनों की तोड़फोड़

†*६७६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री आसर :
श्री म० ना० सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १ मार्च, १६५८ के "स्टेट्समैन" में छपी इस आशय की खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि १४ वर्ष के स्कूल के एक बालक की बुद्धि तत्परता से दो आदमियों को पकड़वाया जो शुक्रवार २८ फरवरी, १६५८ की सायंकाल नई दिल्ली में राउज एवेन्यू के समीप रेलवे लाइन को तोड़ फोड़ रहे थे अन्यथा जिस के कारण एक भयंकर रेलवे दुर्घटना हो सकती थी; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). समाचार का निर्देश उस घटना की ओर है जो २८ फरवरी, १६५८ की सुबह (शाम को नहीं) उत्तर रेलवे के नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के बीच ६५४–६-७ मील पर हुई थी। दो व्यक्तियों को, जिन पर रेलवे लाइन से रेल एंकर हटाने का आरोप लगाया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस विभाग इस विषय की जांच कर रहा है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** एक छोटे बालक की बुद्धि तत्परता को देखते हुए, क्या उस को इस के लिये कोई पुरस्कार दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** अभी से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर परीक्षा ही क्यों न रखी जाये। हम मनुष्यों का जीवन बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें यह जान कर खुशी है कि जीवन बच गये हैं। इस बारे में और अधिक क्या करना है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मेरे विचार में एक गलत धारणा उत्पन्न की गयी है कि केवल "एंकर" के हटा देने से, दुर्घटना हो सकती है। यह इस्पात का एक बहुत छोटा टुकड़ा होता है जो कि पटरी को लाइन में रखने के लिये लगाया जाता है। एक एंकर के हटाने मात्र से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। वस्तुतः बहुत या कई एंकरों के हटा देने से भी दुर्घटना नहीं हो सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : अखबारों से यह मालूम होता है कि यह जो तीन आदमी थे वह रेलवे सर्विस में थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन का ताल्लुक किसी यूनियन से है, या कोई सैबाटियर ऐक्टिविटी (विध्वसांत्मक कार्यवाही) थी जिस से उन का सम्बन्ध था और इसलिये वह रेलवे लाइन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह रेलवे पर टैम्पोरेरी तौर पर काम कर रहे हैं, पक्के नहीं हैं। अब पुलिस इन्क्वायरी कर रही है। मालूम नहीं किसी पार्टी के साथ उन का ताल्लुक है या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय पर जांच की जा रही है।

मोकामा एक्सप्रेस में लूट

†*९७७. { **श्री तंगामणि :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ फरवरी, १९५८ को मोकामा एक्सप्रेस के एक तृतीय श्रेणी के कम्पार्टमेंट के यात्रियों को पूर्व रेलवे के मेमारी और रसूलपुर स्टेशनों के बीच सशस्त्र गिरोह ने लूट लिया;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी को कैसे रोका गया; और

(ग) लूट का और क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) खतरे की जंजीर खींच कर।

(ग) २५ फरवरी, १९५८ को ३०५ अप 'मोकामा एक्सप्रैस' को मेमारी-रसूलपुर सैक्शन पर ५२/२१ मील पर खतरे की जंजीर खींच कर रोका गया। लगभग १५ व्यक्तियों का एक गिरोह तृतीय श्रेणी के डिब्बे नं० टी० पी० टी० एच० ५८६५ में घुस गया और उस ने उस में बैठे यात्रियों को लूटा। सात यात्रियों से छूरे और गुप्तियां दिखा कर और उन को मारने की धमकी दे कर ६८५ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति छीन ली गयी।

†**श्री तंगामणि :** क्या किसी यात्री को जिनसे सम्पत्ति लूटी गयी, कोई चोट आई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** कोई खास चोट नहीं आई। उन्हों ने यात्रियों को छुरे और गुप्तियां दिखायीं और उन से धन छीन लिया। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जब वे लूट कर भागने लगे, तो कुछ यात्रियों ने गाड़ी से उतर कर उन का पीछा किया। निकट के गांवों के कुछ व्यक्तियो ने भी उन का साथ दिया और उन में से छः को गिरफ्तार कर लिया।

†**श्री तंगामणि :** क्या पुलिस दल को बुलाया गया था और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि छः व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस दल ने दुर्घटना के बाद कोई गिरफ्तारी की ?

†अध्यक्ष महोदय : उनको पुलिस को सौंप दिया गया है या छोड दिया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : उनको पुलिस को सौंप दिया गया है और जांच की जा रही है ।

ईंधन उपभोग समिति

†*९७८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री श्रीनारायण दास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त ईंधन उपभोग समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) १६ नवम्बर १९५७ से ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन का अध्ययन करने वाली समिति

†*९५३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय संघ के विभिन्न भागों में जल वायु सम्बन्धी परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का किस प्रकार गठन किया गया है और क्या इसने कार्य करना शुरू कर दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विद्युत प्रशुल्क

†*९५५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने उत्तर प्रदेश जलविद्युत प्रथा के विद्युत प्रशुल्क के प्रश्न की जांच की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसी जाच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :(क) और (ख). राज्य सरकार की प्रार्थना पर 'केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग' उत्तर प्रदेश जलविद्युत व्यवस्था के विद्युत प्रशुल्क के प्रश्न की जांच कर रहा है लेकिन उसने अपनी सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

दिल्ली की पर्वत श्रृंखलायें

*९५७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उत्तरी और दक्षिणी पर्वतश्रृंखलाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने इन दो पर्वतश्रृंखलाओं के वृक्षहीन क्षेत्रों में जंगल लगाने और उन में, जहां संभव है, छोटे-छोटे रमणीक स्थलों के विकास के लिये एक योजना बनाई है ताकि इन क्षेत्रों में मनोरंजक और सौन्दर्यमय स्वरूपों का सुधार हो ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिये ३.८५ लाख रुपये की राशि रखी गयी है जिस में से अब तक ५७,००० रुपये खर्च किये गये हैं ।

उड़ीसा में चावल और धान के मूल्य

†*९५९. **श्री रा० च० माझी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चावल और धान की बिक्री के लिये निर्धारित मूल्य उड़ीसा के अन्य भागों की अपेक्षा उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों अर्थात् मयूरभंज, सुन्दरगढ़, कोडापुट में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां । उड़ीसा सरकार ने इन क्षेत्रों के कुछ भागों में जनता की अधिक क्रय-शक्ति को ध्यान में रखते हुए और कम मूल्य वाले स्टाक के सीमावर्ती राज्यों में चोरी छिपे भेजे जाने को रोकने की दृष्टि से निर्गम मूल्य अधिक रखा है ।

गन्ने का मूल्य

†*९६१. **श्री बाली रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने हाल ही के वर्षों में फैक्टरियों को दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सभा पटल पर वह संकल्प रखा जाता है जिस पर भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने २७ फरवरी, १९५३ को विचार किया था। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख) संकल्प में निर्दिष्ट उप समिति ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये एक वर्ष (अर्थात् १९५५–५६) के परिणामों को छोड़ कर समिति को अभी अपना प्रतिवेदन नहीं भेजा है। तीन अन्य राज्यों के परिणाम निकाले जा रहे हैं। १९५६–५७ और १९५७–५८ के आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और उस में संशोधन किये जा रहे हैं।

इंदौर-उज्जैन रेलवे लाइन

***९६२. श्री क० भे० मालवीय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उज्जैन और इन्दौर के बीच बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : लगभग मई, १९५८ तक।

विशाखापटनम पत्तन

†***९६६. श्री ब० स० मूर्ति** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने विशाखापटनम पत्तन के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) पत्तन में क्या प्रस्तावित सुधार किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज़ बहादुर)** : (क) अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है परन्तु विषय विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दामोदर नदी परियोजना का जल-कर (वाटर टैक्स)

†***९६७. श्री घोषाल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर नदी परियोजना के जल का (वाटर टैक्स) की क्या दर है; और

(ख) इस कर से कितनी आय हुई है और जिन राज्यों ने जल का उपयोग किया है उन दरों से अभी कितनी धन राशि लेनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]**

भांडागार योजनायें

†***९७१. श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ के लिये खाद्यान्नों के सहकारी क्रय-विक्रय और सहकारिता के आधार पर उस की व्यवस्था करने और माल गोदाम में भरने के बारे में कार्यक्रम के प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्ष १९५८–५९ के अन्तर्गत कितने वित्तीय खर्च का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३४]

स्थानीय निकायों के लिये आदर्श अधिनियम का प्रारूप

*९७९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय निकायों के लिये एक आदर्श अधिनियम का रूप तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कार्य देर से देर कब तक पूरा होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्थानीय निकायों के लिये आदर्श अधिनियम अभी तैयार नहीं हुए हैं ।

(ख) जैसे ही ये प्रतियां उपलब्ध होंगी लोक सभा पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

(ग) और (घ). सन्निहित कार्य जटिल सा है और देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों में इस विषय पर विधान के प्राथमिक सर्वेक्षण तथा तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता थी । इस कार्य ने कुछ समय ले लिया । तथापि नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिये इस मास के अन्त तक तथा जिला बोर्डों के लिये मई १९५८ के अन्त तक आदर्श अधिनियमों के प्रारूप तैयार होने की आशा है ।

दिल्ली में फल परिरक्षण

*९८०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में फल परिरक्षण का प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी ; और

(ग) इस प्रशिक्षण के लिये एक बार में कितने प्रशिक्षार्थी चुने जायेंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) एक कोर्स के प्रशिक्षण की अवधि केवल ६ सप्ताह है ।

(ग) ३० से ४० प्रशिक्षार्थी प्रत्येक कोर्स के लिये, प्रशिक्षण केन्द्र के स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, चुने जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा परियोजना की उच्च स्तरीय नहर

†*९८१. डा० राम सुभग सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर योजना का अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के निर्माण में कितना खर्च आयेगा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :(क) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी प्रविधिक मंत्रणा समिति ने अभी योजना को अन्तिम रूप से नहीं माना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†*९८२. श्री ब० स० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पूर्वी तट' में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये कोई सामूहिक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से स्थान मछली पकड़ने के लिये चुने गये ; और

(ग) इन स्थानों पर मशीनों का उपयोग किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). भारत सरकार ने 'पूर्वी तट' में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये कोई सामूहिक सर्वेक्षण नहीं किया है। इस कार्य के लिये तूतीकोरिन और विशाखापटनम में तट से बाहर की इकाइयों की स्थापना पर विचार हो रहा है ।

(ग) जी हां ।

पूर्णा परियोजना, बम्बई राज्य

†*९८३. श्री पांगरकर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २९ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई और विद्युत मंत्रणा समिति को बम्बई राज्य सरकार से पूर्णा परियोजना प्रारम्भ करने के कारण बताते हुए कोई पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : जी नहीं ।

मदुरै में टेलीफोन एक्सचेंज

†*९८४. श्री तंगामणि : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २८ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में स्वयंचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हो गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनबन्ध संख्या ३५]

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में चोरियां व अपराध

†*१८५. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों में गाड़ियों में चोरियों व हत्याओं की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इनको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६ की तुलना में १९५७ में चलती गाड़ियों में चोरियों व हत्याओं की थोड़ी सी संख्या बढ़ गई है ।

(ख) कुछ राज्यों में सामान्य रूप से अपराधों में वृद्धि हुई है । तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में सूखे के कारण से भी रेलवे में अपराधों की वृद्धि हुई है । हत्याओं का दु:साहस के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं बताया जा सकता ।

(ग) चलती गाड़ियों में ऐसे अपराधों को रोकने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :

(१) आवश्यक माल व पार्सल गाड़ियों पर रक्षा के लिये रेलवे आरक्षी बल के सिपाहियों को तैनात करना ।

(२) प्रभावित क्षेत्रों में रेल की पटरी के किनारे गश्ती दस्तों की नियुक्ति करना ।

(३) मूल्यवान वस्तुओं वाले डिब्बों में दोहरी रिविटिंग करना व उनमें ई० पी० ताले लगा कर उन्हें अधिक सुरक्षित बनाना ।

(४) रात्री के समय मुख्य मुख्य सवारी गाड़ियों पर जी० आर० पी० के सिपाहियों की नियुक्ति करना ।

(५) डिब्बों में सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करना जैसे कुंडियां, सलाखें इत्यादि ।

(६) अपराधियों से सावधान रहने के लिये बड़े बड़े इश्तहार निकलवाना ।

चिदाम्बरम् रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†१२६४. श्री इलयापेरुमाल : क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चिदाम्बरम रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च १९५९ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी

१२६५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६-५७ में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये (१) मनोरंजन, (२) कैंटीन सुविधाओं, (३) बच्चों की शिक्षा, (४) ऋणों और (५) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गयी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विमान परिवहन करार

१२६६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने राष्ट्रों के साथ हमारे विमान परिवहन करार हैं;

(ख) कितने देशों को भारत द्वारा हवाई अड्डों की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और उनमें से प्रत्येक से कितनी आय होती है; और

(ग) किन किन देशों में भारतीय विमानों को इसी प्रकार की हवाई अड्डों की सुविधायें प्राप्त हैं और उसके लिये उन्हें कितना शुल्क देना पड़ता है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १६, इनमें से एक के साथ अभी समझौता होना बाकी है ।

(ख) एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें जरूरी सूचना दी गई है सदन के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर बाद में रख दी जायेगी ।

विमान सेवाओं के कर्मचारियों के लिये रहने के मकान

१२६७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवा कर्मचारियों के रहने के लिए मकान बनकर तैयार हो गये हैं;

(ख) क्या ये कर्मचारियों को रहने के लिये दिये जा चुके हैं या नहीं; और

(ग) कर्मचारियों को ये क्वार्टर देने के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, जनाब । स्टाफ की ज़रूरत के अनुसार क्वार्टर बनाने का काम जारी रहता है ।

(ख) जैसे ही क्वार्टर बनकर तैयार हो जाते हैं वह कर्मचारियों को दे दिये जाते हैं ।

(ग) "रूल्स आफ एलौटमेण्ट आफ रेज़ीडेंशियल क्वार्टर्स टू स्टाफ पोस्टेड एट वेरियस सिविल एयरोड्रोम्स" की एक कापी पार्लियामेन्ट की लाइब्रेरी में रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखदी गई है । देखिये संख्या एल० टी० ६००/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

जहाज़ बनाने का उद्योग

†१२६८. **श्री दामानी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजनिर्माण उद्योग में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) इस उद्योग में भारत में किन किन देशों के टैक्निशियन कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारत से कितने व्यक्ति विदेशों में गये हैं;

(घ) किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ङ) क्या जापान से जहाज़ बनाने का सामान देने व जहाज़ निर्माण उद्योग में प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस सम्बन्ध में केवल सरकारी क्षेत्र से ही सूचना उपलब्ध हो सकी है। उसके हिसाब से प्रश्न के भिन्न भागों का उत्तर नीचे दिया जाता है :—

(क) हिन्दुस्तान नौप्रांगण (प्राइवेट) लिमिटिड, विशाखापटनम, में ८०; और इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलौजी, खड़गपुर में ४८।

(ख) फ्रांस।

(ग) अभी तक केवल १३ व्यक्तियों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

(घ) किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस बारे में एक विस्तृत विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ङ) यदि आवश्यक समझा गया तो बात की जायेगी।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भांडागार

†१२६९. **श्री राम कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में राज्य-वार कितने भांडागार खोले गये हैं; और

(ख) ये किन किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७-५८ में केन्द्रीय भांडागार निगम ने चार राज्यों में किराये के स्थानों पर भांडागार खोले हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

बम्बई

१. अमरावती २. गोंडिया ३. सांगली

मैसूर

४. देवेंगेर ५. गडग

आन्ध्र प्रदेश

६. वारंगल

उड़ीसा

७. बारगढ़

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और फाजिल्का के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

†१२७०. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फाजिल्का के बीच कोई फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । जब तक सरकार के पास अतिरिक्त भार वहन करने के लिये उपयुक्त साधन नहीं हो जाते, तब तक सरकार किसी नये प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती है, और ऐसी दशा में भी वह विभिन्न मांगों की प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए ही विचार करेगी ।

पशुपालन

†१२७१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५७ के दौरान में पंजाब राज्य को पशुपालन के लिये कितना रुपया दिया है; और

(ख) राज्य में दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थों की वर्तमान प्रति व्यक्ति औसत दैनिक खपत कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) पंजाब राज्य को १९५७-५८ के दौरान में पशुपालन के लिये २०.०९ लाख रुपये दिये गये हैं ।

(ख) १९५१ की जनगणना के आधार पर राज्य में दूध तथा दूध-निर्मित पदार्थों की प्रति व्यक्ति वर्तमान औसत दैनिक खपत १३.६५ औंस है ।

सुपर फास्फेट्स

†१२७२. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५७ में सुपर फासफेट का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) ब्रिटेन व अमेरिका की तुलना में भारत में इसके निर्माण में नाइट्रोजन व फासफोरस २०५ का कितना प्रयोग होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १,४१,६७८ टन ।

(ख) १९५५-५६ में इनकी खपत के अनुपात के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

	नाइट्रोजन		फासफोरस २०५
भारत . .	१	:	०.०९
ब्रिटेन . . .	१	:	१.३
अमेरिका . . .	१	:	१.०७

†मूल अंग्रेजी में

समुद्री घास

†१२७३. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तटीय जलों में पाये जाने वाली समुद्री घास को खाद्य पदार्थों के रूप में आप्यकिक अम्ल (एलगिनिक एसिड) अथवा आप्यकोय (एलगिनेट), शोधक पदार्थ (क्यीनसर्स), श्लेषाम (कोलौपड्स), विटामिन आदि जैसे औद्योगिक पदार्थों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी बनाने के लिये कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस कार्य का विस्तृत विवरण देने वाला तथा इसके परिणामों के बारे में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मत्स्य गवेषणा केन्द्र, मंडयम कैम्प में समुद्री घास को उपयोगी बनाने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं । इनसे यह पता चला है कि इसको मनुष्य के भोजन, खाद, चारा, अगर आदि अनेक कामों में प्रयोग में लाने के लिये काफी सम्भावनाएं हो सकती हैं ।

लोगों की जानकारी के लिये "समुद्री घास" नामक एक पुस्तिका छप रही है । इसमें यह बताया गया है कि समुद्री घास का कुटीर उद्योग के आधार पर किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है । कुटीर उद्योग के आधार पर समुद्री घास के उपयोग के सम्बन्ध में एक टिप्पण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८**]

औड़िहार स्टेशन पर रेल के ऊपर का पुल

१२७४. **श्री सरजू पांडे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद-कटिहार रेलवे लाइन के औड़िहार स्टेशन पर रेल के ऊपर पुल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां रेल के ऊपर पुल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस काम पर अनुमानित खर्च की मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ग) अगर आवश्यक इस्पात समय पर मिल गया, तो काम सम्भवतः १९५८-५९ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

राजस्थान में औद्यानिकी[1] का विकास

†१२७५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४९ से ३१ मार्च, १९५७ तक प्रति वर्ष राजस्थान सरकार को औद्यानिकी के विकास के लिये कितनी राशि अनुदान अथवा वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है ; और

(ख) इसमें से राजस्थान सरकार ने प्रति वर्ष कितना रुपया उपयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Horticulture.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) राजस्थान की सरकार को इस अवधि में औद्यानिकी के विकास के लिये अनुदान अथवा वित्तीय सहायता के रूप में कोई राशि नहीं दी गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्यान्नों का सम्भरण

†१२७६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९५८ तक केन्द्र द्वारा भिन्न भिन्न दुर्भिक्षग्रस्त राज्यों को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में अगस्त से अक्तूबर, १९५७ के बीच सूखे की स्थिति रही है। इन राज्यों को १९५७ में व १९५८ में जनवरी मास में केन्द्र द्वारा निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्न दिये गये हैं :—

(मात्रा '००० टनों में)

राज्य	**१९५७ में**	**१९५८ में** (३१ जनवरी तक)
बिहार . .	५११.२	६५.८
मध्य प्रदेश . .	४६.०	०.८
उड़ीसा . . .	१५.६	१.५
उत्तर प्रदेश . . .	३५९.६	२३.७
पश्चिमी बंगाल	६९४.५	५५.३

रेलवे में वार्धक्य-निवृत्त कर्मचारी

†१२७७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १ जनवरी, १९५८ तक रेलवे में तीसरी व चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारी वार्धक्य निवृत्त हुए ; और

(ख) इन रिक्तियों के कारण कितने और लोगों को भर्ती किया गया है अथवा पदोन्नति दी गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा पटल के पर रख दी जायेगी।

कृषि कालेज, कानपुर

†१२७८. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के कृषि कालेज ने केन्द्र को सहायता देने के लिये कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई राशि स्वीकृत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को कृषि कालेज, कानपुर में कृषि इंजिनियरिंग की स्नातकोतर कक्षाएं चालू करने के लिये वित्तीय सहाता देने के लिये प्रार्थना की है।

(ख) जी नहीं।

ट्रेन एग्ज़ामिनर्स

†१२७९. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :
श्री गणपति राम : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) दक्षिण-पूर्व रेलवे और (२) पूर्व रेलवे में १ जनवरी, १९५६ से ३१ जनवरी १९५८ के दौरान में गाड़ियों के ट्रेन एग्ज़ामिनर्स के ग्रेड 'डी', वेतनक्रम १००–१८५ रुपये और ग्रेड 'सी', वेतनक्रम १५० से २२५ रुपये प्रतिमास, में अधिकार्षिकी प्राप्त कर्मचारियों की दुबारा नियुक्ति द्वारा कितने स्थान भरे गये हैं ; और

(ख) ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दुकानें

†१२८०. **श्री कुम्भार**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ;

(ख) इन दुकानों पर गल्ले के क्या भाव हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कभी कमी वाले क्षेत्रों में और अधिक दुकानें खोलने का कोई विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ७२० ।

(ख) चावल, धान और गेहूं के प्रति मन के दामों की सीमा नीचे दी जाती है :—

चावल : १७ रु० ८१ नये पैसे से २१ रु० २५ नये पैसे तक

धान : १०.०० रुपये से १२ रु० ८० नये पैसे तक

गेहूं : १४ रु० ५० नये पैसे (यह कीमत आयात किये जाने वाले स्थान से ३ मील के भीतर के स्थानों के लिये है ; ३ मील से अधिक दूरी के स्थानों के लिये उसमें वहां तक ले जाने का वास्तविक माल भाड़ा और जोड़ दिया जाता है ।)

(ग) यदि आवश्यकता हुई तो सरकार और दुकानें खोल सकती है ।

परती भूमि

†१२८१. { **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० में विभिन्न राज्यों में कितनी परती भूमि थी तथा उसमें से कितनी भूमि कृषि अथवा निवास के लिये आवंटित की जा चुकी है ; और

(ख) उक्त भूमि में से कितनी भूमि भूमिहीन अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को आवंटित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) तथा (ख). विभिन्न राज्यों में खाली पड़ी कृषियोग्य खाली भूमि के बारे में एक वक्तव्य लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९**] जहां तक भाग (क) तथा (ख) के शेष प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है वह संविधान के अनुच्छेद २४६ (३) व सप्तम अनुसूची की सूची २ की संख्या १८ के अनुसार जिसमें यह कहा गया है कि "कृषि भूमि का हस्तान्तरण व अन्य संक्रामण", "भूमि सुधार" और "उपनिवेषण" राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है । अतः उनको कितनी भूमि का आवन्टन किया गया है उसके बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

गिर के शेर

†१२८२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में गिर जंगल से चन्द्रप्रभा वन ले जाये गये शेर अभी जीवित हैं ; और

(ख) यह योजना कहां तक सफल सिद्ध हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां।

(ख) ये पशु बिल्कुल अच्छी हालत में हैं। क्योंकि यह इस प्रकार का पहला प्रयोग है इसलिये अभी यह बता सकना कठिन है कि यह योजना सफल सिद्ध हुई है अथवा नहीं।

रेलवे स्टेशनों पर हथकरघों के कपड़े की बिक्री

†१२८३. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ के दौरान में कितने रेलवे स्टेशनों पर हथकरघों के कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये दुकानें खोली गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १९५७–५८ में इस प्रकार की कोई दुकानें नहीं खोली गई हैं।

सितम्बर, १९५७ में कटिहार स्टेशन पर वर्तमान ठेकेदार को जो कि फुटकर चीज़ें बेचता है, हथकरघे का कपड़ा बेचने की भी अनुमति दी गई है।

दिल्ली में चलते फिरते औषधालय

१२८४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने चलते–फिरते औषधालय कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इनसे कितने लोगों ने लाभ उठाया है ; और

(ग) इनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कितने नगर क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली में इस समय १० चलते- फिरते औषधालय कार्य कर रहे हैं। इनमें से ८ सरकारी तथा २ निजी हैं।

(ख) १९५७ में लगभग १,४७,९८५ ।

(ग) इन १० औषधालयों में से ७ ग्राम-क्षेत्रों में तथा ३ नगर क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

दिल्ली के लिये स्वास्थ्य योजनायें

†१२८५. **श्री राधा रमण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली की उन योजनाओं का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे कि जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में तपेदिक के मरीजों के इलाज में सुधार करने और अस्पतालों में ऐसे रोगियों की अधिक संख्या की भर्ती कर सकने के उद्देश्य से उनके लिये शैय्याओं की संख्या बढ़ाने, परिवार आयोजन केन्द्र खोलने, गुप्त रोगों के इलाज के लिये क्लिनिक खोलने, आदि के लिये सम्मिलित की गई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : क्षय रोगियों के उपचार में सुधार करने और वर्तमान अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या बढ़ा कर और नये अस्पताल खोलकर अधिक रोगियों

†मूल अंग्रेजी में

के उपचार की व्यवस्था करने के लिये और परिवार नियोजन तथा यौन सम्बन्धी रोगों के अस्पताल खोलने के लिये दिल्ली की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें शामिल की गई हैं ;

योजना का नाम	योजना में दी गई व्यवस्था
	(लाखों रुपयों में)
१. इर्विन अस्पताल का विस्तार (१२० अतिरिक्त शैय्यायें)	१८.८६ रुपये
२. शाहदरा अस्पताल दिल्ली (५० शैय्यायें)	१३.२५ रुपये
३. शाहदरा में पागल खाना, दिल्ली (१०० शैय्यायें)	१५.८३ रुपये
४. इर्विन अस्पताल में बाहर के रोगियों के विभाग का विस्तार	११.९० रुपये
५. किशन गंज क्षेत्र में एक सौ शैय्याओं वाला अस्पताल	२३.५० रुपये
६. हिन्दू राओ अस्पताल का विस्तार (१०० शैय्यायें)	१४.५० रुपये
७. विक्टोरिया जनाना अस्पताल (४० अतिरिक्त शैय्यायें)	अन्य योजनाओं में जो बचत होगी उस से इसके लिये व्यवस्था की जायेगी
८. दो टी० बी० क्लिनिक शाहदरा और पहाड़गंज	८.६७ रुपये
९. चार टी० बी० क्लिनिक (नगरीय क्षेत्र)	१९.०० रुपये
१०. टी० बी० कालोनी जिसमें १५०० शैय्यायें होंगी	१९.०० रुपये
११. काफी बढ़े हुए क्षय रोग वाले रोगियों को अलग रखने के लिये २५० शैय्यायें	१२.९ रुपये
१२. दो यौन रोग क्लिनिक	४.५७ रुपये
१३. छः परिवार नियोजन केन्द्र (दो नगरीय क्षेत्रों में और चार ग्राम्य क्षेत्रों में)	२.५७ रुपये
१४. कुष्ठ रोग अस्पताल, दिल्ली	२.८७ रुपये
१५. पांच प्रसूत केन्द्र	२.४७ रुपये
१६. ४ स्वास्थ्य केन्द्र	८.१६ रुपये
१७. ग्राम्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र	५.१० रुपये

पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१२८६. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिये कितने सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्वीकृत किये गये और उनके लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा खर्च हुई; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में वास्तव में ऐसे कितने खंड खोले गये ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख).

	आवंटित किये गये और खोले गये	खर्च का अनुपातत: खर्च	खर्च की गई राशि
सामुदायिक विकास	५ परियोजनायें और १४ खंड	४३३.३	३९१.०
राष्ट्रीय विस्तार सेवा	३० खंड	६७.५	७५.७

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में खेती वाली जमीन

†१२८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है;

(ख) कुल सिंचित क्षेत्र कितना है;

(ग) कृषि योग्य परती भूमि कितनी है; और

(घ) वन–क्षेत्र कितना है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

(क) लगभग १५२,००० एकड़ ।

(ख) लगभग २०,००० एकड़ ।

(ग) लगभग ६५,००० एकड़ ।

(घ) लगभग २,३८३,००० एकड़ ।

नई दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र में बन्दरों की मृत्यु

†१२८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित **प्रश्न संख्या** १९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २० मार्च, १९५७ की शाम को नई दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र में कई ट्रकों में भरे हुए बन्दरों की मृत्यु के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मुकदमे की सुनवाई २४ फरवरी, १९५८ को थी परन्तु उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि दो अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और उसे १० मार्च, १९५८ तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

योगाभ्यास

†१२८९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद ने मनुष्य के मन और शरीर पर योगाभ्यास के प्रभावों का अध्ययन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसने इस विषय में अपना प्रतिवेदन तैयार किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने एक योजना बनाई है जिसमें यह देखा जायेगा कि योगाभ्यास का मनुष्य के मन और शरीर के कृत्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आशा है कि १ अप्रैल, १६५८ से कार्य शुरू हो जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

१२६०. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोटखाई–जुब्बल–रोड़ू और संगूरी—रोड़ू रोड कब तक तैयार हो जायेगी?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : कोटखाई–जुब्बल–रोड़ू सड़क पहले से ही जीप चलाने योग्य है। यह आशा की जाती है कि यदि पर्याप्त कोष उपलब्ध हो गया तो पुल और पुलियों सहित यह सड़क मार्च, १६६० तक मोटर चलाने योग्य हो जायेगी।

सूंगरी—रोड़ू सड़क को अभी तक मापा नहीं गया है। आशा की जाती है कि यदि पर्याप्त कोष उपलब्ध हो गया तो मार्च, १६६० तक यह सड़क जीप चलाने योग्य हो जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में डाक घरों का खोला जाना

†**१२६१. श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६ और १६५७ में आन्ध्र प्रदेश में कितने प्रयोगात्मक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोले गये और भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में कितने;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व तलंगाना क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां डाक सप्ताह में केवल दो या तीन बार बांटी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने गांवों में डाक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे स्थानों पर निकट भविष्य में डाक सुविधायें बढ़ाने की योजनायें बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

(क)	आंध्र प्रदेश	भूतपूर्व हैदराबाद राज्य (तलंगाना क्षेत्र)
१६५६ में	६००	१७५
१६५७ में	६२८	१०३

(ख) जी हां; ८००२ गांवों में हर रोज डाक बटती है, ११६१ गांवों में सप्ताह में दो बार और ५४४ गांवों में सप्ताह में तीन बार।

(ग) कोई नहीं

(घ) और (ङ). जी हां, आगामी तीन वर्ष में डाक बांटने वाले १८६ अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने ५२४ डाक घर खोलने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन का उत्पादन

†१२९२. श्री बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ के पश्चात् राज्यवार पटसन के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(ग) १९५२ के पश्चात् फार्मों ने वर्षवार कितनी मात्रा में बढ़िया बीज का वितरण किया ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]

रामगुंडम-निजामाबाद रेल सम्पर्क

†१२९३. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रामगुंडम-निजामाबाद रेल सम्पर्क के परिवहन सर्वेक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत का अनुमान है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). अभी नहीं । रेलवे प्रशासन से कहा गया था कि वह आय, वित्तीय मामलों और निर्माण पर लागत आदि का पुनः प्राक्कलन उन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार करे जो रेलवे बोर्ड ने बताई हैं । रेलवे प्रशासन से अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

इम्फल-दीमापुर रोड पर यात्री परिवहन

†१२९४. श्री लें० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५७ और जनवरी, १९५८ में इम्फल-दीमापुर रोड पर यात्री परिवहन की अधिक भीड़ रही ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य परिवहन बसों में कुल कितने यात्रियों ने सफर किया ;

(ग) इतने अधिक परिवहन के लिये व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य परिवहन की जो बसें बर्मा रोड, और टिड्डिम रोड पर चलती थीं वे हटा ली गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) सभी मार्गों पर ७७,१३३ और इम्फल-दीमापुर मार्ग पर बीच के स्टेशनों को मिलाकर ७२,६३३ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इस में मनीपुर राज्य परिवहन और जनता दोनों का ही लाभ था कि राज्य परिवहन सब मार्गों पर मोटर गाड़ियों और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने की बजाये कुछ एक मार्गों पर ही कुशलतापूर्वक परिहन को चलायें ।

बरेली के व्यापारियों को माल डिब्बों का सम्भरण

†१२९५. **श्री वाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे बरेली और आस पास के जिलों के व्यापारियों को माल डिब्बे देने में असमर्थ रही जिस के फलस्वरूप अनावृष्टि वाले क्षेत्रों को खाद्य का सम्भरण करने में रुकावट पैदा हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). फरवरी, १९५८ को समाप्त होने वाले छः मास में बरेली और आस पास के जिलों के जो पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर रेलवे जिला में पड़ते हैं, उन मुख्य स्टेशनों से जहां से खाद्य भेजा जाता है कुल १६८३ माल डिब्बों में खाद्य भर कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पूर्व के स्टेशनों--उत्तर बिहार और उत्तर बंगाल (अनवृष्टि वाले क्षेत्र में) में भेजा गया था । पूर्वगामी वर्ष की समनुवर्ती अवधि में इन क्षेत्रों के लिये ८२७ माल डिब्बे भेजे गये थे । इस से पता चलता है कि १०३ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

२. यदि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही देखा जाये तो फरवरी, १९५८ तक के छः मास में १७८१५ माल डिब्बों में अनाज (जिसमें आयात किया हुआ अनाज भी शामिल है) भरकर गोरखपुर से आगे भेजा गया जब पूर्वगामी वर्ष की समनुवर्ती अवधि में केवल १३६८४ माल डिब्बे ही भेजे गये थे । परन्तु इतने माल डिब्बे देने के बावजूद अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और बंगाल के लिये माल डिब्बों का और भी पंजीयन किया हुआ था परन्तु नमक, कपड़ा और सरकारी वस्तुओं को भी ले जाया जाना था इस लिये यह मांग पूरी नहीं की जा सकी । हाल ही में इन क्षेत्रों के लिये आयात किये गये खाद्य में कमी होने से पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर स्थानीय अनाज काफी मात्रा में भेजा जा रहा है और आशा है कि अगले कुछ दिनों में इज्जतनगर जिले के स्टेशनों पर खाद्य के लिये हुए पंजीयन पूरे हो जायेंगे ।

सल्फेट आफ अमोनिया का मूल्य

†१२९६. { **श्री बालो रेड्डी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सल्फेट आफ अमोनिया का मूल्य कम करने के बारे में विचार कर रही है जिस से कि देश में उत्पादन बढ़ सके ; और

(ख) क्या रासायनिक उर्वरकों के मूल्य निश्चित करते समय सरकार कृषकों और उनके संगठनों के प्रतिनिधियों से परामर्श करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) सल्फेट आफ अमोनिया के मूल्य को शीघ्र ही पुन: निश्चित किया जायेगा जबकि इस से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

(ख) नहीं । सरकार इस बात का सुनिश्चय कर लेगी कि उर्वरक का मूल्य काश्तकारों के लिये मितव्ययतापूर्ण रहे ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन सिंचाई योजनायें

†१२९७. श्री बाली रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास योजना और सामुदायिक परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में कितने एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष में वास्तव में कितनी भूमि में सिंचाई की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजनाओं से ९० लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस में से लगभग आधी कृषि विकास योजनाओं के अन्तर्गत और आधी राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत होगी ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष में छोटी सिंचाई योजनाओं से जितने क्षेत्र की सिंचाई हुई उस के पूरे प्रगति प्रतिवेदन अभी सब राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं । परन्तु आशा है कि दो वर्ष में जो सफलता मिली है वह पूर्ण योजना काल के लिये निर्धारित लक्ष्य का ४० प्रतिशत है ।

रेलवे दुर्घटना

१२९८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १८ जनवरी, १९५८ को प्रात: काल पूर्व रेलवे की ७०७ अप एक्सप्रेस जमानिया स्टेशन से मुगलसराय जाते समय धीना स्टेशन के सिगनल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिस से कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १८ जनवरी, १९५८ को सुबह लगभग ४ बज कर १८ मिनट पर जब ७०७ अप मालगाड़ी पूर्व रेलवे के दानापुर-मुगलसराय सेक्शन के जमानिया और धीना स्टेशनों के बीच जा रही थी, इंजन से इक्कीसवें डिब्बे का दाहिना अगला जरनल टूट गया जिस की वजह से १७ डिब्बे पटरी से उतर गये ।

सारडीन मछली का तेल

†१२९९. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग में सारडीन मछली के तेल का क्या प्रयोग होता है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि हाल ही के महीनों में मालाबार तट पर बहुत ज्यादा सारडीन मछलियां पकड़ी गई और वहां सारडीन का तेल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है जिस के परिणामस्वरूप उस का मूल्य आधे से भी कम रह गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) सारडीन का तेल मुख्यतः चमड़ा कमाने, इस्पात के परिप्रोक्षण, नावों पर रोग़न करने जिस से वे खराब न हों, कीटाणु नाशक साबुन बनाने, छपाई की रोशनाई, मोम बत्तियां, और रंग रोग़न बनाने के काम में आता है ।

(ख) जी हां । ४ गेलन के टीन का जो औसतन मूल्य ३४ रुपये था वह १० रुपये हो गया है । मूल्य गिरने का कारण संगठित विपणन और किस्मों पर नियंत्रण न होना है ।

दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा

१३००. श्री वाजपेयी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा करना एक कानूनी अपराध है जिस का दण्ड ५० रुपये जुर्माना तथा न देने पर १५ दिन की साधारण कैद है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५७ में कितने व्यक्तियों को उक्त अपराध में दण्डित किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन ।

रेल के किराये

१३०१. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९३९ और १९४६ की तुलना में जनवरी, १९५८ में प्रति सौ मील का रेल किराया कितना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): प्रति सौ मील के हिसाब से किराये की दर बताना संभव नहीं है । आम तौर पर किराये दूरी के आधार पर लगाये गये थे, इसलिये प्रति सौ मील की दर कुछ दूरी से मेल नहीं खाती ।

१९३९, १९४६ और १९५८ में प्रमुख रेलों के किराये के आधार संलग्न बयान में बताये गये हैं सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

इन के अलावा, १९३९ और १९४६ में सिंधिया स्टेट रेलवे, धौलपुर स्टेट रेलवे, बारसी लाइट रेलवे आदि कई छोटी-छोटी रेलें भी थीं, जो बाद में प्रमुख रेलों में मिला दी गयीं और जिस के फलस्वरूप वर्तमान क्षेत्रीय रेलें बनीं ।

हिमाचल प्रदेश में जल संभरण योजना

†१३०३. श्री नेक राम नेगी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कुनिहर और थियोग के लिये जल संभरण की योजना किस तिथि तक कार्यान्वित हो जायेगी ; और

(ख) पीने का पानी जमा करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने जो टैंक खरीदे हैं उन की संख्या और कुल लागत क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) थियोग जल संभरण योजना मार्च, १९६० तक और कुनिहर जल संभरण योजना सितम्बर, १९५९ तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ।

(ख) १०१ स्टोरेज टैंक पीने का पानी जमा करने के लिये खरीदे गये हैं और उन पर कुल ७२,८०४ रुपये लागत आई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में मेवों की खेती

१३०४. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के ज़िला महासू की चीनी तहसील में चिलगोजा, बादाम और पिस्ते की खेती में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक इन फलों के कितने पौधे खेती करने वालों को बांटे जा चुके हैं और उस का क्या परिणाम हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) **चिलगोजा**––चीनी के स्थान पर वन ज़खीरे में लगभग ३००० पौधे उगाये गये हैं ।

पिस्ता––चीनी के सूखे फल अनुसन्धान स्टेशन में कुछ पौधे लगाये गये हैं और उन की बढ़ौतरी पर देखभाल की जा रही है ।

बादाम––यह फल लगभग ११० एकड़ भूमि में लगाया गया है ।

(ख) **चिलगोजा**––कुछ नहीं । आगे बोने के लिये सन्तोषजनक टैक्नीक निश्चित होने पर बांटने का कार्य शुरू किया जायेगा ।

बादाम––११,००० पौधे

पिस्ता––३० पौधे ।

ये पौधे अभी बहुत छोटे हैं और इन में फल लगने शुरू नहीं हुए ।

त्रिपुरा सामुदायिक विकास खंड

†**१३०५. श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के धामनगर डिवीज़न में करदनपुर तहसील को, जिस में आदिम जातियों की जनसंख्या अधिक है, सामुदायिक विकास खंड की गतिविधियों से अलग रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा के कम विकसित भाग के लिये एक नया और बहुप्रयोजनीय खंड चालू किया जायेगा ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का संकेत धर्मनगर सब डिवीज़न की कंचनपुर तहसील की ओर है जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। समस्त राज्य क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कंचनपुर तहसील को भी इस में शामिल कर लिया जायेगा । सम्भव है कि यह बहुप्रयोजनीय खंड न हो क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत किये गये ऐसे सब खंडों पर कार्य शुरू हो गया है ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं की हड़ताल

†**१३०६. श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ फरवरी, १९५८ को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं ने हड़ताल की थी; और

(ख) इस के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१३०७. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में उत्तर रेलवे की नंगल बांध लाइन के प्रत्येक स्टेशन कर्मचारियों के लिये बनाये गये क्वार्टरों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) क्या इस लाइन पर अब भी रहने के क्वार्टरों की कमी है ;

(ग) क्या इस लाइन पर रेल कर्मचारियों के लिये और नये क्वार्टर बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । नंगल बांध पर अत्यावश्यक कर्मचारियों के लिये तीसरी श्रेणी के २ यूनिट और चौथी श्रेणी के ४ यूनिट क्वार्टर पंजाब सरकार से परामर्श कर के, वहां बनाने का विचार है क्योंकि यह उस सरकार के हिसाब में डाला जायेगा ।

(घ) क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रस्थापना पर अन्तिम निर्णय होने और पंजाब सरकार से यह खर्च वहन करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद आरम्भ होगा ।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड

†१३०८. श्री हेम राज : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब और हिमाचल प्रदेश को कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड आवंटित किये गये ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंड कितने क्षेत्र और जनसंख्या के लिये और पंजाब की मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में कितने क्षेत्र और जनसंख्या के लिये स्थापित किया जाता है ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष अर्थात् १९५६-५७ और १९५७-५८ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित खंड आवंटित किये गये हैं :

राज्य	राष्ट्रीय विस्तार सेवा	सामुदायिक विकास (परिवर्तन द्वारा)
पंजाब . . .	६०	२४
हिमाचल प्रदेश . . .	१०	४

योजना आयोग की योजना परियोजना समिति द्वारा सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने जो सिफारिशें कीं उन को देखते हुए कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के बारे में विचार किया जा रहा है । शेष अवधि में खंडों का आवंटन उसी निर्णय पर निर्भर करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियां तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†१३०९. **श्री ब० स० मूर्त्ति:** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिये ग्राम सेवकों तथा खण्ड विकास अधिकारियों में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियों के लिये यह भी एक विषय है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) तथा (ख). सामुदायिक विकास कार्यक्रम खण्ड में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये है चाहे उन की जाति तथा धर्म कुछ ही हो । तथापि शिक्षा द्वारा और आमोद-प्रमोद तथा समाज शिक्षा गतिविधियों के द्वारा अनुसूचित जातियों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लाया जा रहा है । आवास, ग्रामोद्योग आदि के सम्बन्ध में विशिष्ट सुविधायें प्रदान क: जा रही हैं । यद्यपि ग्राम सेवकों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में यह एक औपचारिक विषय नहीं है तथापि अनुसूचित जातियों को कार्यक्रम के अधीन लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को समझाने के लिये ज़ोर दिया जा रहा है ।

भारत में तपेदिक के रोगी

†१३१०. **श्री आसर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में भारत में (राज्यवार) तपेदिक के रोगियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) द्वितीय योजना अवधि में तपेदिक विरोधी कार्य के लिये बम्बई राज्य को कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अनुमान है कि भारत में लगभग २५ लाख व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हैं । राज्य-वार आंकड़े प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) द्वितीय योजना अवधि में बम्बई राज्य में तपेदिक-विरोधी कार्य के लिये अस्थायी आवंटन की राशि १२५.७२ लाख रुपये है ।

सल्फा औषधियों का आयात

†१३११. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में, वर्षवार, अब तक कुल कितने मूल्य की सल्फ़ा औषधियां आयात की गई हैं ; और

(ख) इसी अवधि में भारत में कुल कितने मूल्य की प्रस्वीकृत सल्फ़ा औषधियां निर्मित की गई थीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में, वर्षवार, अब तक निर्यात की गई सल्फ़ाऔषधियों का मूल्य इस प्रकार है :

१९५६–५७ . .	८३,५१,०७२ रुपये ।
१९५७–५८ . . .	८०,८२,२२४ रुपये ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) योजना अवधि में वर्षवार, भारत में निर्मित प्रस्वीकृत सल्फ़ा औषधियों का मूल्य इस प्रकार है :

१९५६–५७ .	.	३२,६१,०९० रुपये ।
१९५७–५८ .	लगभग	४४,४८,६४० रुपये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तपेदिक निरोधी कार्य

†१३१२. सरदार इकबाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वर्ष-वार, तपेदिक विरोधी कार्य पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी रकम ख़र्च की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तपेदिक विरोधी कार्य पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक १९५६–५७ में ४,९७,३०८ रुपये तथा १९५७–५८ में ३९,७०,२४५ रुपये की रकम ख़र्च की गई है ।

दिल्ली में खेती वाली जमीन

†१३१३. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है ;

(ख) कुल सिंचित क्षेत्र कितना है ;

(ग) कृषि योग्य परती भूमि कितनी है ; और

(घ) वन-क्षेत्र कितना है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) केवल २,१६,८८८ एकड़ ।

(ख) लगभग ८०,००० एकड़ ।

(ग) कृषि योग्य परती भूमि का कुल क्षेत्र ४८,४४१ एकड़ है ।

(१) सरकारी परती भूमि ६,१८५ एकड़ है ।

(२) अन्य परती भूमि ४२,२५६ एकड़ है ।

(घ) केवल ४,७६४ एकड़ ।

हिमाचल प्रदेश में सफाई का प्रबन्ध

†१३१४. सरदार इकबाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में सफ़ाई प्रबन्धों की कमी के कारण किसी बीमारी के फैलने का ज्ञान है ; और

(ख) यदि हां, तो रोगों को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को प्रश्न में बताये गये कारणों से किसी बीमारी के फैलने की बात ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिये संघ (यूनियन)

†१३१५. **श्री संबंदम्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों ने एक पृथक् संघ (यूनियन) बनाने की कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

सड़क परिवहन

१३१६. **श्री राधा चरण शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मध्य भारत सरकार ने सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के हेतु निगम स्थापित करने के लिये जो योजना बनाई थी और जिस में रेलवे अधिकारियों ने भाग लेना स्वीकार किया था इस समय किस स्थिति पर है ;

(ख) रेलवे अधिकारियों ने इस निगम में भागीदार होने का निश्चय करने से पूर्व प्रारम्भिक वर्ष में कितने प्रतिशत लाभ का अनुमान लगाया था; और

(ग) उक्त योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ग). पहली नवम्बर, १९५६ से भूतपूर्व मध्य भारत राज्य का नये मध्य प्रदेश राज्य में विलय हो जाने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त योजना की विशेष प्रगति नहीं हुई । यह मामला पुनः राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) लगभग ५ प्रतिशत ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ को चौड़ा करना

†१३१७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ के मील ३०३/० से ३२५/२ के बीच की सड़क की तैयार तथा सतह चौड़ाई को चौड़ा करने के लिये राष्ट्रीय व्यापार-मण्डल, तिनसुकिया, आसाम से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यह कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख). दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, एक जून, १९५७ में तथा दूसरा फरवरी, १९५८ में ।

(ग) निधियों की कमियों के कारण अब तक कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं हो सका है । अगले वित्तीय वर्ष में स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा और यदि निधियां पर्याप्त हुईं तो अपेक्षित मंजूरी दे दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई का भोजन व्यवस्था तथा संस्था-प्रबन्ध कालेज[1]

†१३१८. **श्री नारायण स्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के भोजन व्यवस्था तथा संस्था-प्रबन्ध कालेज में दाखिले के लिये शिक्षा संबंधी क्या अर्हतायें अपेक्षित हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : विश्वास किया जाता है कि अखिल भारतीय महिला केन्द्रीय खाद्य परिषद् के अधीन भोजन व्यवस्था तथा संस्था-प्रबन्ध कालेज में विभिन्न उपाधिपत्र तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिये दाखिले के संबंध में शिक्षा संबंधी निर्धारित अर्हतायें इस प्रकार हैं :—

पाठ्यक्रम का नाम	दाखिले का प्रमाप
(१) होटल तथा भोजन व्यवस्था उद्योग में सामान्य प्रबन्ध का उपाधिपत्र	होटल तथा भोजन व्यवस्था उद्योग में शिल्पकारिता में प्रमाण-पत्र।
(२) होटल उद्योग में विशेषित प्रबन्ध का उपाधिपत्र	गणित तथा अंग्रेजी में इन्टरमिडियेट का प्रमाण-पत्र तथा होटल और भोजन व्यवस्था उद्योग में सामान्य प्रबन्ध का उपाधिपत्र।
(३) होटल तथा भोजन व्यवस्था उद्योग शिल्पकारिता का प्रमाण पत्र।	गणित सहित माध्यमिक स्कूल का प्रमाणपत्र।
(४) होटल के स्वागत-कार्य तथा पुस्त-पालन में शिल्पकारिता का प्रमाण-पत्र।	माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र।
(५) वेटरी का प्रमाण पत्र।	८वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण।
(६) बेकरी तथा कनफैक्शनरी में प्रमाण पत्र।	माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र।

एर्णाकुलम्-क्विलोन रेलवे लाइन

†१३१९. **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री पुन्नूस :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एर्णाकुलम् रेलवे उपभोक्ता सन्था से नव-निर्मित एर्णाकुलम्-क्विलोन लाइन तथा शेतकोट्टै-त्रिवेन्द्रम लाइन को मदुरा डिवीजन के प्रशासी क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या सरकार से इन लाइनों को ओलावाकोडे डिवीजन के प्रशासी क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] College of Catering and Institutional Management.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) एर्णाकुलम् रेलवे उपभोक्ता संथा के प्रधान को यह बताया गया था कि संचालन दृष्टि-कोण से जो लाभ प्राप्त होंगे उन के कारण नई मीटर लाइन के एर्णाकुलम-क्विलोन सैक्शन को ओलावा-कोट डिवीजन में सम्मिलित करने की अपेक्षा, जो नीलगिरी पर्वत रेलवे की २८¹/₂ मील लम्बी लाइन को छोड़ कर शेष पूर्ण रूप से बड़ी लाइन का डिवीजन है, समस्त मीटर लाइन के मदुरा डिवीजन में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है। शेनकोटा-त्रिवेन्द्रम लाइन को मदुरा डिवीजन में रखने का भी यही कारण है।

रेलवे यात्रियों के आंकड़े

१३२०. श्री राधे लाल व्यास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बयाना-गोधरा सैक्शन के जंक्शन स्टेशनों को छोड़ कर अन्य स्टेशनों से अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५७ में कितने यात्री आये और गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : बयाना-गोधरा सैक्शन के स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या जिस में जंक्शन स्टेशन शामिल नहीं हैं।

महीना	आने वाले	जाने वाले
अक्तूबर, १९५७	१.५८ लाख	२.८३ लाख
नवम्बर, १९५७	१.३७ लाख	३.११ लाख
दिसम्बर, १९५७	१.५५ लाख	२.७५ लाख

बी० सी० जी०

†**१३२१. डा० सामन्तसिंहार :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २३ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर, १९५७ तक, राज्यवार, कितने व्यक्तियों का बी० सी० जी० के लिये परीक्षण किया गया था और टीके लगाये गये थे;

(ख) इसी अवधि में राज्यवार, बी० सी० जी० की प्रतिक्रिया के कारण कितने व्यक्ति बीमार हुए थे;

(ग) प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या था; और

(घ) इस प्रतिक्रिया के कारण, राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण नीचे दिया जाता है जिस में अप्रैल से दिसम्बर, १९५७ की अवधि में जितने व्यक्तियों का क्षय रोग के लिये परीक्षण किया गया था तथा बी० सी० जी० के टीके लगाये गये थे उन की संख्या दी गई है :—

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क्षय-रोग के लिये परीक्षित व्यक्ति	बी० सी० जी० का टीका लगाये गये व्यक्ति
आन्ध्र प्रदेश	१,३२४,२१८	४१६,४०१
आसाम	४,४३,९६४	२०२,७८२
बिहार	२,४१६,५९९	१,०६२,४१३
बम्बई	२,०९८,४६४	६७८,१९८
जम्मू तथा काश्मीर	३२६,२९८	१७७,०५९
केरल	२२९,३५२	८९,६७९
मध्य प्रदेश	३९६,९८०	१४५,९६९
मद्रास	३४७,२५५	१४२,७५२
मैसूर	४१८,४२४	१७१,९३८
उड़ीसा	४६४,८८६	२०५,१७७
पंजाब	१,३२४,९७६	४७६,८०७
राजस्थान	६३३,६९६	१८८,०२३
उत्तर प्रदेश	१,३५६,६७०	४२१,२९५
पश्चिमी बंगाल	८५८,००९	३१९,५०२
दिल्ली	८८,४३२	२२,२८०
हिमाचल प्रदेश	१५,०७५	६,९१०
मनीपुर	३६,२९१	१५,१८०
उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण	६,१२८	१,९२७
त्रिपुरा	५१,४२८	१९,१३५

(ख) किसी मामले की इत्तिला नहीं मिली थी ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन

†१३२२. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में ३१ जनवरी, १९५८ को कितने टेलीफोन के कनैक्शन थे;

(ख) ३१ जनवरी, १९५८ तक वस्तुतः कितने टेलीफोन कनैक्शन दिये गये थे और कितने काम कर रहे थे; और

(ग) १ फरवरी, १९५८ तक (१) "अपना टेलीफोन" योजना, तथा (२) अन्य संवर्गों के अधीन दिल्ली तथा नई दिल्ली में टेलीफोन संधन संयोजन के लिये कार्यवाही के लिये लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) दिल्ली में १७६१ तथा नई दिल्ली और कैरोलबाग में १६१५।

(ख) ३१-१-५८ को जो संयोजन वास्तव में काम कर रहे थे :

दिल्ली	५७५६
नई दिल्ली और कैरोलबाग	१२१०७

(ग)	अपना टेलीफोन योजना	अन्य प्रार्थी
दिल्ली .	. १३८	२८४२
नई दिल्ली और करौलबाग	. १४८	२१७५

मनीपुर में नगर समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र

†१३२३. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६२३ के आसाम नगरपालिका अधिनियम को जिस रूप में मनीपुर पर लागू किया गया है उस के अधीन जो नगर समितियां स्थापित की गई हैं तथा जिन स्थानों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उन के नाम क्या हैं; और

(ख) जिन अन्य स्थानों के निवासियों ने उन स्थानों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाने के लिये आवेदित किया है उन के नाम क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र में सहकारी चीनी कारखाने

†१३२४. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ में आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये ग े हैं; और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सहायता क्या दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १६५८–५६ का आंकड़ा स्पष्ट रूप से मुद्रण की एक गलती है। १६५६ तथा १६५७ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन छः सहकारी कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री यादव से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो १.३ मार्च, १९५८ को फर्रुखाबाद ब्रांच पैसंजर गाड़ी में रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या तथा बीमा-कृत पारसलों के लापता होने के बारे में है। सर्वश्री तंगामणि, स० म० बनर्जी, हेम बरुग्रा ग्रौर ब्रज राज सिंह की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी अन्तिम प्रश्न, जिस का उत्तर दिया गया है, कलकत्ता के निकट हुई एक डकैती के संबंध में था जिस में सात यात्रियों को लूट लिया गया था। यह मामला रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की निर्मम हत्या का है। यदि यात्रियों को, खास तौर पर जब व सरकारी कर्मचारी हों, इस प्रकार का संरक्षण दिया जायेगा ग्रौर यदि यही ग्रवस्था रही तो रेलवे यात्रा बहुत ही खतरनाक व ग्रसुरक्षित हो जायेगी। इन कर्मचारियों को क्या संरक्षण दिया गया था ? मैं चाहता हूं कि इस बारे में पूरी चर्चा की जाय ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): यह दुर्घटना जब हुई थी उस समय गाड़ी तूंडला जंक्शन पर थी। रेलवे संरक्षण बल के सिपाही भी स्टेशन पर थे। ऐसी ग्रवस्था में हत्या होना कितनी बड़ी ग्रसुरक्षा की बात है।

†**श्री हेम बरुग्रा** (गोहाटी) : इस प्रकार की यही एक घटना नहीं है। ग्रभी ६ मार्च को कलकत्ते के मेथाडिस्ट चर्च के सेक्रेटरी रेवरेंट स्टैनली जोन्स को भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। ग्रब रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की हत्या हो गई। गाडियों में जो ग्रसुरक्षा की व्यवस्था फैली हुई है उसे रोकने के लिये हमें चर्चा करनी ही चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : रात की सभी गाड़ियों से रेलवे संरक्षण बल के सिपाही तथा सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाही चलते हैं। उन के लिये डिब्बा ग्रलग सुरक्षित होता है। ये सिपाही ग्रपने डिब्बों में ग्राराम से होते हैं, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं होती न ही वे कोई देखभाल करते हैं। हम इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या इस गाड़ी में पुलिस थी ग्रौर यदि थी तो वह क्या करती रही।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** मैं माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं कि रेलवे कर्मचारियों या यात्रियों की हत्या की बात बहुत गंभीर है। **इस संबंध में** कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। पर सभा को मालूम होना चाहिये कि यह विधि ग्रौर व्यवस्था का प्रश्न है जो राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में है। इस मामले में हम ने ए० ग्राई० जी०, रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद से जानकारी मांगी है ग्रौर ग्राशा है पूरी जानकारी उपलब्ध हो जा`गी।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति ग्रातुर है। मामले की जांच के लिये एक जांच न्यायालय बैठाया जायेगा। लाशें शवप `क्षा के लिये भेज दी गई हैं। हमें यह पता लगाना है कि यह दुर्घटना स्टेशन यार्ड में हुई या रास्ते में हुई, या किसी नें जंजीर खींची ग्रौर गाड़ी रोक कर हत्या की ग्रौर क्या पुलिस वहां उपस्थित थी ग्रादि।

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री के पास कोई जानकारी है ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कोई नयी जानकारी नहीं है । हमें डाक व तार निदेशालय के शिकायत विभाग के निदेशक का एक तार मिला है जो कि उन्हे लखनऊ के पोस्टमास्टर जनरल से मिला था । उस से कोई खास बात नहीं है, जो समाचार-पत्रों में आया है वही है । हमें और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है । यदि आप चाहें तो मैं तार को पढ़ कर सुना सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां । सुना दीजिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : "गाड़ी टूंडला पर ०१ बजे पहुंची, रेलवे डाक सेवा का डिब्बा दोनो तरफ से बन्द था । सरकारी रेलवे पुलिस और डाक्टर को बुलाया गया । डिब्बा खोला गया और रेलवे डाक सेवा के दो कर्मचारी—भगवान सिंह, मेलगार्ड, और शिवसरन लाल, पोर्टर--घायल और मरे पाये गये । रेलवे डाक सेवा का डिब्बा गाड़ी से अलग कर दिया गया । मामला छानबीन के लिये सरकारी रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया । हानि के ब्यौरे का अभी कुछ पता नहीं है ।"

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह कब हुआ ? मेरी सूचना के अनुसार यह घटना ११ मार्च की रात को हुई है । इस को तीन दिन हो गये हैं और माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है । टूंडला यहां से १०० मील ही तो है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: सूचना विश्वस्त सूत्र की होनी चाहिये । सरकार के सूत्र के अनुसार यह घटना टूंडला स्टेशन पर ही हुई थी और वहां गाड़ी के आने तक डिब्बा बन्द था । इस बात की जांच करना उचित ही होगा कि डिब्बा पिछले स्टेशन पर बन्द था या नहीं । खैर, सब मामलों की जांच की ही जायेगी । माननीय मंत्री को इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है । इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी । जानकारी उपलब्ध होने पर सभा के सामने रखी जायेगी । समय समय पर जो सूचना मिलती रहेगी उसे माननीय मंत्री सभा में बतायेंगे । यदि तीन दिन में कोई बात पता लगी तो मंत्री महोदय हमें बतायेंगे ही वरना एक सप्ताह बाद मैं इस विषय को यहां फिर लाऊंगा । उक्त बातों के आधार पर मैं स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति देने में कोई लाभ नहीं देखता ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन रेयर अर्थस (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के प्रभारी श्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से मैं समवाय अधिनियम, १९५६ को धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिए इण्डियन रेयर अर्थस् (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे-सहित सभा पटल पर रखती हूं **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-५९४/५८]**

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१)	पहला विवरण	चौथा सत्र,	१९५८
(२)	अनुपूरक विवर संख्या ३	तीसरा सत्र	१९५७
(३)	अनुपूरक विवरण संख्या ६	दूसरा सत्र,	१९५७
(४)	अनुपूरक विवरण संख्या १०	पहला सत्र,	१९५७

[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२, ४३, ४४ और ४५]

द्वितीय वित्त आयोग की सिफाशि पर की गयी कार्यवाही के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत राज्य सरकारों के ऋणों के बारे में द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिश पर की ग ी कार्यवाही के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ५९६/५८]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न लिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :—

(१) कि विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५८ के बारे में, जिसे लोक सभा ने अपनी ८ मार्च, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी १२ मार्च, १९५८ की बै क में यह प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि सरकारी भूगृहादि के अनधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन और कुछ आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिस में १५ सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् :—

(१) श्री पी० एन० सप्रू

(२) श्री हर प्रसाद सक्सेना

(३) श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू

(४) श्री मती यशोदा रेड्डी

(५) श्री राम सहाय

(६) श्री राजाभाऊ विट्ठल राव डांगरे

(७) श्री ओंकार नाथ

(८) श्री जुगल किशोर

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) श्री महेश्वर नायक

(१०) सैयद मजहर इमाम

(११) श्री एस० सी० देब

(१२) श्री नारायण दास रतन मल मलकानी

(१३) श्री वी० प्रसाद राव

(१४) श्री नरसिंह राव बालभीम राव देशमुख

(१५) श्री थ्योडोर बोडरा

और ३० सदस्य लोक सभा के हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि अन्य मामलों में प्रवर समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति द्वारा किये जायें;

कि यह सभा, लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम राज्य सभा को बताये; और

कि समिति स सभा को २२ अप्रैल, १९५८ तक अपना प्रतिवेदन देगी।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं १७ मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :--

(१) १९५८-५९ के लिये आयव्ययक (सामान्य) पर अग्रेतर चर्चा

(२) लोक भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिये इस सभा की सहमति के संबंध में प्रस्ताव पर विचार।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग, शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा और स्वास्थ्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

यदि समय मिला तो सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों पर भी चर्चा की जायेगी।

सामान्य आयव्ययक, १९५८-५९--सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९५८-५९ के सामान्य आयव्ययक पर आगे चर्चा करेगी। इस के लिये २० घंटे का समय रखा गया था जिस में से ११ घंटे ५४ मिनट व्यतीत हो चुके हैं और ८ घंटे ६ मिनट शेष हैं।

चौ० रणवीर सिंह अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं बता रहा था कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो आंकड़े दिये हैं यदि उन पर विश्वास किया जाये तो सामान्य जनता यही समझेगी कि हमारा सारा का सारा प्रशासन गड़बड़ है। ठीक है हमारा सारा प्रशासन बिल्कुल ठीक नहीं है पर उस मे इतनी गड़बड़ी नहीं है जितनी कि विरोधी दल के नेताओं ने बताई है। इस का सबूत यह है : १९५१–५२ में योजना के लिये हम ने २५९.५४ करोड़ व्यय किया १९५८–५९ के व्यय के लिये १०१७ करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह व्यय १९५१–५२ के व्यय का ४ गुना के लगभग है। इसी प्रकार पूंजी निर्माण की दिशा में देखिये। आप देखेंगे कि १९५६–५७ में ५११ करोड़ रुपये की पूंजी निर्मित हुई जब कि १९५८–५९ में ७९० करोड़ की पूंजी का निर्माण हुआ। राजस्व आय में भी आशातीत सफलता मिली है १९४८–४९ में यह ३७१.७० करोड़ रुपये थी और १९५८–५९ में ७६८.९९ करोड़ है अर्थात् १९४८–४९ के दूने से अधिक है। व्यय की बात लीजिये १९४८–४९ में ३२०.८७ करोड़ का व्यय था पर १९५८–५९ में आशा है ७.९६ करोड़ का व्यय होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सफलता है ।

हमारी पहली योजना की सफलता से जनता में और विदेशों म भी काफी विश्वास पैदा हो गया है। विदेशों में विश्वास पैदा होने से हमें काफी ऋण मिल रहा है। १९५८–५९ में आशा है हमें ५३७ करोड़ का ऋण प्राप्त कर पायेंगे।

हमारी इस सफलता पर हर्ष प्रकट करने के बजाय बहुत से माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के भय और शंकायें प्रकट कीं। ऋणों के बदले बहुत से माननीय सदस्यों ने ऋण लेने वाले की आलोचना करनी शुरू कर दी। हम ऋण भुगतान कर पायेंगे या नहीं यह आशंका करना बेकार है। १९५८-५९ में हम २३ करोड़ का ऋण भुगतान करेंगे। और आशा है कि १९६१-६२ में हम १२३ करोड़ का ऋण भुगतान करने में समर्थ होंगे।

१०७६ करोड़ के नोट छाप कर घाटे की अर्थ व्यवस्था करने की बात की भी आलोचना की गयी। पर यह आलोचना गलत है क्योंकि इतना होते हुए भी हम ने मुद्रास्फीति को बढ़ने नहीं दिया। कुटीर उद्योगों तथा कृषि के लिए अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमारे देश में कृषि की वृद्धि की बड़ी संभावनायें हैं। यदि हमारे देश में ठीक प्रकार कृषि का विकास होता गया तो इतना उत्पादन होगा कि उचित मूल्य स्तर बनाये रखने के लिए मूल्य सहायता नीति का सहारा लेना पड़ेगा। अतः यदि द्वितीय योजना में कृषकों को तथा कारीगरों को उचित सहायता दी जाती रहेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ने नहीं पायेगी चाहे हम कितने ही नोट छाप कर घाटे की अर्थ व्यवस्था क्यों न करते रहें।

आज हम विदेशों से १३० करोड़ रुपये का खाद्यान्नों का आयात करते हैं। यदि हम २०० करोड़ रुपये की ऋण सहायता किसानों को देने लग जायें तो इतना उत्पादन बढ़ जाये कि खाद्यान्नों के आयात की कोई आवश्यकता न रह जाये। इस समय किसानों को प्रति वर्ष लगभग ७५० करोड़ ऋण की आवश्यकता पड़ती है। बाहर से ऋण लेने पर उन्हें ३० प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। भला सोचिये इतना मंहगा ऋण लेकर उत्पादन की वृद्धि कैसे की जा सकती है।

हमारे देश में सिंचाई के साधनों को बढ़ा कर, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके, अच्छी खाद का इस्तेमाल करके तथा खेती के अच्छे औजार व तरीके इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५० करोड़ की व्यवस्था हो चुकी है जब कि कुल आवश्यकता ७५० करोड़ रुपये की है। चीन जैसे देश में प्रथम योजना में १,६८० करोड़ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

की राशि रखी गयी थी जब कि भारत में कुल ७५८ करोड़ रुपये की राशि थी । आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान के सामने कितनी कठिनाइयां हैं ।

उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना या कृषकों पर इस बात का दोषारोपण करना कि उन्होंने लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं किया, बहुत आसान है । पर मुझे विश्वास है कि यदि हमारे देश में भी किसानों को उतनी सुविधायें दी जायें जितनी सुविधायें चीन के कृषकों को प्राप्त हैं तो अवश्य ही हमारे किसान दूसरी या तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं । इस बात की भी शिकायत की गयी कि करारोपण सीमा के न्यूनतम में कमी कर दी गई है । पर ८० प्रतिशत किसानों को भी चाहे उनकी आय १०० रु० भी न हो ३६०० रु० आय की सीमा में रखा गया है । किसानों को लगान भी देना पड़ता है । लगान की कमी के लिए भी कुछ राज्य सरकारों ने योजना आयोग से मांग की थी पर योजना आयोग ने कमी करने की अनुमति नहीं दी । अतः देश में आय-कर के आधार पर ही भू-राजस्व प्रणाली को भी पर्याप्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है । पुरानी प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

करारोपण जांच आयोग का कहना है कि १७९३-९४ में भू-राजस्व से जो आय होती थी वह केन्द्र तथा राज्यों के कुल राजस्व की ६७ प्रतिशत थी । १९५३-५४ में यह अनुपात घट कर केवल ८.६ प्रतिशत रह गया । १९२२ में 'क' राज्यों में भूमि राजस्व की आय कुल राजस्व का ५४.८ प्रतिशत था और १९५४ में यह घट कर २६.६ प्रतिशत हो गया । यदि योजना आयोग चाहे तो करारोपण सिद्धान्तों का यह भेदभाव मिटाया जा सकता है ।

मैं योजना आयोग तथा भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों तथा अन्य जनता के ऊपर कर लगाने के जो सिद्धान्त हैं उन में जो भेद भाव है उसे हटा कर राज्यों तथा केन्द्रीय राज्य क्षेत्रों की मदद की जानी चाहिए ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं ऐसे समय बोल रहा हूं, जब कि आय-व्ययक के सम्बन्ध में पूरी तौर से चर्चा की जा चुकी है । आज हमारे सामने सब से बड़ी समस्या ग़रीबी और बेरोज़गारी की ही है । अन्य समस्यायें इन्हीं से पैदा होती हैं । इन समस्याओं का हल, सरकार के अनुसार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा किया जायेगा । योजना का उद्देश्य है औद्योगीकरण और कृषीय उत्पादन की वृद्धि ।

लेकिन, योजना आरम्भ करते ही वित्तीय कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि योजना के लिये जनता को त्याग करना पड़ेगा । यह तो ठीक है, लेकिन आय-व्ययक में करारोपण की जितनी भी वृद्धि होती है, उससे प्राप्त होने वाला अधिकांश राजस्व तो असैनिक और सैनिक प्रशासकीय सेवाओं में ही खप जाता है । योजना के लिये कुछ रह ही नहीं पाता । फिर भी घाटा बना रहता है । तब योजना के लिये वित्त कहां से आयेगा ? हमें बताया जाता है कि योजना के लिये मुद्रास्फीति, विदेशी ऋणों, जनता से लिये गये ऋणों और अल्प बचतों से धन प्राप्त किया जायेगा ।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था तो पाश्चात्य देशों में भी सभी जगह रहती है । मैं मानता हूं । लेकिन उन देशों में उत्पादन की वृद्धि भी तो होती रहती है और इसलिये घाटे की अर्थव्यवस्था का उनके देश पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता । और साथ ही,

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

उन देशों में ऐसी बेरोज़गारी भी नहीं है । वहां कर्मचारियों के वेतन बढ़ते रहते हैं । इसलिये, मुद्रास्फीति से उनकी अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती ।

लेकिन, हमारे देश में तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं । इसीलिये, घाटे की अर्थ-व्यवस्था हमारे लिये एक समस्या बन जाती है । हमारे देश में तो स्वतंत्रता के बाद ही, हमारे स्वतंत्र शासन के आरम्भ से ही ४०० से ५०० प्रतिशत का घाटा रहा है । और यदि घाटे की यही अर्थ-व्यवस्था आगे भी चलती रही तो देश को बड़ी हानि होगी ।

यह भी सही है कि हमें विदेशों से ऋण मिल रहे हैं । लेकिन हमें उन पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा और उनकी अदायगी भी तो करनी पड़ेगी । हमें १९५८-५९ में ब्याज के रूप में २३ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन १९६०-६१ में यह राशि बढ़ कर १२३ करोड़ रुपये हो जायेगी । हमें बताया गया है कि बाद में इसमें कमी होती जायेगी । प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस्पात के अतिरिक्त उत्पादन और अतिरिक्त कृषीय उत्पादों के बल पर हम ऋण की अदायगी करने में समर्थ होंगे । श्री अशोक मेहता ने कहा है कि जितना भी इस्पात तैयार होगा वह देश में ही खप जायेगा और कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने में तो अभी बहुत समय लगेगा । साथ ही, हमारी जनसंख्या भी तो प्रति वर्ष ५० लाख बढ़ रही है । इसके लिये श्री अशोक मेहता ने एक विचित्र सा सुझाव दिया है कि हमें ब्याज और ऋण की किस्तों की अदायगी के लिये और अधिक ऋण लेना चाहिये ।

देश के अन्दर ही जनता से ऋण मिलने और अल्प बचत के बारे में आय-व्ययक ने बड़े ही अतिरंजित आंकड़े पेश किये हैं ।

मुद्रास्फीति और करों की वृद्धि के कारण अल्प बचत करना सम्भव नहीं हो सकेगा । जनता की क्रय-शक्ति पहले ही बहुत कम है । विदेशी मुद्रा के संकट में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन संतोषजनक नहीं ।

तब इस योजना की मुख्य-मुख्य परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में मेरे भी कुछ सुझाव हैं, जिन पर चल कर योजना को पूरा किया जा सकता है । मेरा सब से पहला सुझाव तो यह है कि हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी चाहिये । सब से पहले हमें यह देखना चाहिये कि किन उद्योगों की उत्पादकता गिर रही है । हमारे यहां सूती कपड़ा उद्योग की उत्पादकता ही नहीं गिर रही है, बल्कि लगभग २२ मिलें बन्द भी हो चुकी हैं । हमें आज तक यह भी नहीं मालूम है कि सिंदरी उर्वरक फैक्टरी की उत्पादन क्षमता क्या है । छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों में भी संकट है ।

हम ने अम्बर चरखे से खादी के उत्पादन में डेढ़ करोड़ रुपये की खादी की वृद्धि कर ली है ।

लेकिन, यह उत्पादकता तभी बढ़ाई जा सकती है जब कि हमारे सरकारी अधिकारी विभिन्न उत्पादन-क्षेत्रों के प्रबन्धकों के पास जाकर उनकी कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगायें । उत्पादकता में वृद्धि किये बिना, समाजवादी ढंग के समाज का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये और प्रशासन में अधिक से अधिक मितव्ययता लानी चाहिये । हमें सभी उन संगठनों और संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिये जो अत्यावश्यक नहीं हैं । हमारी समितियों की बैठकें भी दूरस्थ स्थानों में नहीं की जानी चाहियें ।

साथ ही, हमें अपने प्रशासन में ईमानदारी लानी चाहिये, करों की अपवंचना नहीं होनी चाहिये । लेकिन होता तो यह है कि कर-अपवंचकों को ही सरकार से ऋण और पूंजी मिलती है ।

हमारा प्रशासन ईमानदार ही नहीं, कार्य-क्षम भी होना चाहिये । यदि हमारे विभागों के प्रधान कोशिश करें, तो निम्न स्तर के कर्मचारियों में भी ईमानदारी लाई जा सकती है ।

हमारे प्रशासक बहुत समझदार हैं, और यदि उनको उनके नये कर्त्तव्यों के बारे में फिर से शिक्षित किया जाये, तो वे बड़े कार्य-क्षम बन सकते हैं । उन्हें पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न होने वाले उनके कर्त्तव्य बताये जाने चाहिये ।

दूसरी चीज़ यह है कि बापू की अहिंसा की परम्पराओं वाले इस देश में भी सैनिक आय-व्ययक में १०० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

हम अपने सैनिक संस्थापन में वृद्धि क्यों कर रहे हैं ? हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते, यह तो सभी जानते हैं । हमें पाकिस्तान से भी सशस्त्र युद्ध नहीं करना है । हम पंचशील में विश्वास करते हैं ।

दूसरी ओर हमारी सीमा पर स्थित देशों में से भी कोई देश हमारा शत्रु नहीं है । हमें उनसे भी कोई भय नहीं है ।

केवल पाकिस्तान ही हमें धमकियां देता रहता है । लेकिन हम पाकिस्तान से भी नहीं डरते हैं । तब फिर खतरा किस से है ? क्या अमरीका पाकिस्तान को हम पर आक्रमण करने के लिये उकसायेगा ? अमरीका तो इंगलैण्ड और फ्रांस के मिस्र पर आक्रमण से भी सहमत नहीं था । वे तो अमरीका के मित्र देश थे । इसलिये, हमें अमरीका से भी कोई खतरा नहीं होना चाहिये । इसलिये, शस्त्रों में वृद्धि करने का कोई औचित्य ही नहीं है ।

हम संसार के सामने शान्ति दूत बन कर जाते हैं; शस्त्रास्त्रों की होड़ की निन्दा करते हैं, लेकिन अपने देश में हम स्वयं वही कर रहे हैं । मुझ से यूरोप में भी यही प्रश्न पूछा गया था । हम निःशस्त्रीकरण के उपदेश देते हैं, और अपने यहां सैनिक शक्ति और शस्त्रास्त्रों की वृद्धि करते जाते हैं । और, हम जिन शस्त्रों की वृद्धि कर रहे हैं वे भी अब पुराने पड़ गये हैं । आज के न्यष्टि-शस्त्रों की तुलना में उनको तीर-कमान ही माना जा सकता है ।

पाकिस्तान स्वयं भी शस्त्रास्त्रों पर होने वाले अपने बढ़ते हुए व्यय से त्रस्त हो रहा है । उनका देश अमरीका की नीतियों के अधीन होता जा रहा है । पाकिस्तान में भी अब शस्त्रास्त्रों की वृद्धि की नीति की आलोचना होने लगी है ।

अब अमरीका का भी पाकिस्तान पर से विश्वास उठता जा रहा है ।

कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच झगड़े की जड़ काश्मीर है । हमें काश्मीर को बचाना ही है । लेकिन, इसके लिये हमें काश्मीर की जनता का ही सहारा लेना चाहिये, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब हम उन्हें काश्मीर में एक अच्छी सरकार बनाने में मदद दें और वहां के नागरिकों को सभी मूलभूत अधिकार मिल जायें । क्या हम ने यह किया है ? हम ऐसा नहीं कर सके हैं ।

इसीलिये, मैं चाहता हूं कि सरकार को मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, और इन्हें एक कल्पनाशील या स्वप्नदर्शी व्यक्ति के सुझाव बता कर टाल नहीं देना चाहिये ।

[आचार्य कृपालानी]

इसलिये, प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे देश को और अधिक एकता, रचनात्मक कार्य और समृद्धि के पथ पर ले चलें। हमारे राष्ट्रपिता से हमें अहिंसा और सत्य में अपार विश्वास की ही धरोहर मिली है।

संसार अब युद्धों और शस्त्रास्त्रों को नहीं चाहता। वह अब चाहता यह है कि कोई देश अब एकपक्षीय निःशस्त्रीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करे। और ऐसा उदाहरण गांधी जी का देश ही प्रस्तुत कर सकता है।

हमारे प्रधान मंत्री और देश की जनता को यही ऐतिहासिक मिशन, यही ऐतिहासिक उच्चादर्श पूरा करके दिखाना है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : पहले अनुमान यह किया गया था कि हमारी योजना की कार्यान्विति में १,११० करोड़ रुपयों का घाटा पड़ेगा। अब कहा गया है कि लगभग २,२०० करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा की कमी पड़ेगी।

ऋण लेना तो ठीक है, लेकिन इन ऋणों के कारण अब हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जो समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध नहीं होगा। भावी पीढ़ी को ये ऋण अदा भी तो करने पड़ेंगे। हमें उनका भी तो ध्यान रखना चाहिये। इससे तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री सभा-पटल पर वह योजना रखें, जो योजना आयोग ने इन ऋणों की अदायगी के लिये तैयार की हैं। आय-व्ययक सम्बन्धी प्रकाशनों में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता।

क्या संवैधानिक दृष्टि से यह उचित है कि सरकार इस सभा की राय लिये बग़ैर ही ऋण लेती चली जाये? ऋण भी तो एक प्रकार का व्यय ही होता है। मैं माने लेता हूं कि सभा ने ऋणों की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर उनकी अदायगी की योजना भी तो सभा के सामने रखी जानी चाहिये।

आशा है कि योजना आयोग शीघ्र ही ऐसा एक विवरण सभा-पटल पर रखेगा। यदि ऋणों की राशि उत्पादक योजनाओं में ही लगे, तो कोई हानि की सम्भावना नहीं रहती, लेकिन उसमें से १३० से १४० करोड़ रुपये तक तो खाद्यान्नों में ही खप जाते हैं। इसलिये, यह समस्या गंभीर है।

आयातों को घटाकर ही, ऋणों की अदायगी की जा सकती है। हम ने अभी इस वर्ष से ही आयातों की सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। लेकिन, सरकार ने इससे पहले आयातों पर कोई प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया था? हम ने अभी तक कई ऐसी वस्तुओं का आयात होने दिया है जो हमारे देश के लिये अत्यावश्यक नहीं हैं। अब उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ ही अपने निर्यात भी बढ़ाने चाहियें। तभी विदेशी ऋणों की अदायगी की जा सकेगी।

हमें शायद सब से अधिक विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से मिलती है। चाय से हमें लगभग १५० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा मिलती है। हमारे यहां दो प्रकार की चाय होती है—

†मूल अंग्रेजी में

एक तो दार्जिलिंग की और दूसरी साधारण चाय। इन दोनों प्रकार की चाय पर छः आना प्रति पौंड की दर से शुल्क लगाया गया है। साधारण प्रकार की चाय की प्रति पौंड उत्पादन-लागत १४ आने बैठती है। इस प्रकार, अन्य खर्च जोड़कर, वह भारत में एक रुपये सात आने प्रति पौंड पड़ती है। इंगलैण्ड में इसी चाय का मूल्य, भाड़े आदि सहित, एक रुपये चौदह आने प्रति पौंड पड़ता है। पूर्वी अफ्रीका की चाय वहां एक रुपये छै आने प्रति पौंड के भाव से बिकती है। इसलिये, हमें अपनी चाय की उत्पादन-लागत घटाने की कोशिश करनी चाहिये। तभी हम विदेशों के बाजार में प्रतियोगिता कर सकेंगे। अन्यथा, हमें प्रति वर्ष लगभग १५० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की हानि होगी।

इसी प्रकार, हमें पटसन से लगभग १२६ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत कच्चे पटसन के मामले में आत्म-निर्भर कहा जा सकता है। हमारे यहां मिस्ता और बिमला दोनों प्रकार के पटसन की ५५ लाख गांठें तैयार होती हैं। कुल मिलाकर हमारा पटसन का उत्पादन लगभग ६६ लाख गांठें हैं। और हमारे यहां औसतन ६२ लाख गांठों की खपत होती है। कुछ पटसन फालतू बच रहता है, और इसीलिये पटसन का प्रति मन मूल्य केवल बारह या चौदह रुपये ही हो पाता है। उत्पादकों को कोई लाभ ही नहीं होता। यदि यही दशा रही तो पटसन की खेती ठप्प ही हो जायेगी और बेरोज़गारी फैल जायेगी। जापान में इसी प्रकार के पटसन का प्रति मन मूल्य सोलह या १७ रुपये रहता है। यह फालतू पटसन हम जापान को भेज सकते हैं। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये और उत्पादकों के लिये पटसन का कोई एक मूल्य निर्धारित करना चाहिये।

हमें चीनी से भी विदेशी मुद्रा मिल सकती है, लेकिन हमारी चीनी की लागत प्रति टन ५३ पौंड होती है, जबकि विदेशों में वह ३७.८ पौंड ही रहती है।

लोगों में कल्याणकारी राज्य के प्रति उत्साह तभी पैदा होगा जब उन्हें पूरा-पूरा रोज़गार दिया जाये।

आज हमारे देश में सूती कपड़े की २६ मिलें बन्द पड़ी हैं। हम ८० या ८१ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा विदेशों को निर्यात करते हैं। लेकिन फिर भी इतनी मिलें बन्द पड़ी हैं और उसका नतीजा यह है कि ४०,००० मज़दूर बेरोज़गार हो गये हैं। सरकार ने इसके लिये क्या किया है?

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इतना ही नहीं, अन्य ८० मिलों ने अपने यहां की पालियां कम कर दी हैं। इसका दायित्व सरकार पर है। शुल्क की वृद्धि का कानपुर की कुछ मिलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये।

वित्त मंत्री ने अपने पिछले आय-व्ययक में बहुत ही महीन कपड़े पर प्रति गज चार या छः आने का उत्पादन शुल्क लगा दिया था, और मोटे कपड़े पर ढाई आने प्रति गज़। इस उत्पादन शुल्क का प्रभाव मोटे कपड़े पर बुरा पड़ा है और मोटे कपड़े की मिलें बन्द होती जा रही हैं। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं।

सरकार ने इस उत्पादन-शुल्क से ६२ करोड़ रुपये तो उपलब्ध कर लिये हैं, लेकिन उसे आय-कर के सिलसिले में इससे कहीं अधिक की हानि हुई है। इन मिलों के बन्द होने से सरकार को आय-कर की बड़ी हानि होगी।

[श्री त्यागी]

दूसरी चीज़ यह है कि हमें अपव्यय को रोकना चाहिये । प्रतिरक्षा मंत्रालय में हम ने लगभग १५.७२ करोड़ रुपयों की मितव्ययता की थी । हमें अपने प्रशासन में और अधिक मितव्ययता करनी चाहिये । लोहा तथा इस्पात मंत्रालय विदेशी नौवहन फर्मों को लगभग ५० लाख रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में दे चुका है ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : स्वेज़ नहर के संकट के कारण ।

†**श्री त्यागी** : केवल स्वेज़ के संकट के कारण ही नहीं । उसका एक कारण यह भी था कि पोतों को विशाखापत्तनम् भेजा गया था, जो भारी इस्पात उतारने के लिये उपयुक्त नहीं था । यह पहले से सोच लेना चाहिये था । गत वर्ष हम ने कुल मिला कर १५० करोड़ रुपये विलम्ब शुल्क के रूप में दिये हैं । मैं समझता हूं कि इस मामले में छानबीन की ज़रूरत है क्योंकि आखिर यह सारा रुपया लोगों के कठोर परिश्रम से आता है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकार को विलम्ब शुल्क के रूप में, विशेषतः इस्पात के सामान के लिये, एक बड़ी राशि देनी पड़ी है । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि विशाखापटनम का बन्दरगाह इस के लिये उपयुक्त नहीं है । बात यह है कि भिलाई का इस्पात का कारखाना इस बन्दरगाह से सब से नज़दीक पड़ता है और यहां से रेलों को भी कारखाने तक माल ले जाने में काफी सुविधा रहती है । इसलिये हम इस के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं माल नहीं उतार सकते थे । किन्तु इस में एक कठिनाई ज़रूर आई थी, जिसे मैं मानने को तैयार हूं । हम ने रूसी जहाजियों को बम्बई अथवा मद्रास की बन्दरगाहों में माल उतारने के लिये कहा । मगर क्योंकि संविदा में इन बन्दरगाहों का कोई उल्लेख नहीं था इस लिये वे नहीं माने । इस कारण से उनको यहां पर माल उतारने के लिये कई दिनों तक रुका रहना पड़ा और सरकार को विलम्ब शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि देनी पड़ी ।

विशाखापटनम के बन्दरगाह में कोई खराबी नहीं है । हर बन्दरगाह पर कुछ सीमित स्थान होता है । और हम किसी बन्दरगाह का सामर्थ्य तत्काल नहीं बढ़ा सकते हैं । स्वेज़ नहर की समस्या के कारण बन्दरगाह पर आने वाले जहाज़ों की भरमार हो रही थी । इसलिये यह कठिनाई उपस्थित हुई थी । बड़ी मुश्किल से वे लोग दो जहाज़ों को बम्बई ले जाने के लिये रजामन्द हुए थे किन्तु कुछ कारणों से उन को भी बम्बई नहीं ले जाया जा सका । अतः यह विलम्ब शुल्क हमें इस लिये देनी पड़ी क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अब यह सिफारिश की है कि जब कभी हम भविष्य में कोई ऐसा करार करें तो हमें उस में एक बन्दरगाह के स्थान पर दो या तीन बन्दरगाहों का नाम सम्मिलित करना चाहिये ताकि ऐसी ही किसी परिस्थिति के आन पड़ने पर जहाज़ों को आसानी से उन बन्दरगाहों पर भेजा जा सके ।

†**श्री त्यागी** : मैं इस स्पष्टीकरण के लिये अपने मित्र को धन्यवाद देता हूं । किन्तु यह शिकायत भी की गई है कि श्रम मंत्रालय माल उतरवाने के लिये यांत्रिक उपकरण भी नहीं दे पाया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यांत्रिक उपकरण देना जहाज़ी कम्पनियों की जिम्मेवारी है । रूसी जहाजों के पास ऐसे उपकरण नहीं थे । इस के लिये हमारा कोई ज़िम्मा नहीं है । हम ने उन को ऐसे उपकरण न देने के लिये जिम्मेवार ठहराया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री त्यागी : इसी प्रकार लोहा व इस्पात मंत्रालय में एक अधिकारी श्री आर० एन० दत्त ने, जोकि लोहा व इस्पात के अतिरिक्त नियंत्रक हैं, लोगों को अनधिकृत अनुज्ञप्तियां बांटी हैं । उन्हों ने नियंत्रक के रोकने के बावजूद यह काम किया है । इस से अवैध रूप से न जाने कितना लोहा व इस्पात लोगों के हाथों में पहुंच गया है । मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि अब उन पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है । हमें इस प्रकार की घटनाओं को प्रारम्भ में ही रोकने की चेष्टा करनी चाहिये ।

सरकार को हमें यह भी बताना चाहिये कि वह देश के भीतरी संसाधनों को ७७ करोड़ रुपये से कैसे १७५ करोड़ तक बढ़ायेगी ।

खाद्यान्नों के क्षेत्र में भी न तो हमें अच्छे अन्नों के बढ़ने की आशा है और न ही अनाज की पैदावार में कोई वृद्धि होने की आशा है । सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है । क्या सरकार ने आज तक खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक दशा जानने के लिये कोई प्रयत्न किया है ? क्या आज तक किसी ने उन को किसी किस्म का प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है ? हम न तो भूमिहीन मजदूरों को प्रोत्साहन ही दे सके हैं और न ही हम खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमतें निश्चित कर पाये हैं । फिर क्या हम कोरी लेकचरबाजी से यह आशा कर सकते हैं कि क्योंकि कृषक लोग देशभक्त हैं इसलिये वह हमारे कहने मात्र पर अधिक अन्न पैदा करने लगेंगे । हमें उन को उचित प्रोत्साहन देना चाहिये अन्यथा, मुझे डर लगता है कि हमारे कृषि सम्बन्धी लक्ष्य कभी पूरे नहीं हो पायेंगे ।

†श्री तिम्मया (कोलार–रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक सामान्य बजट है । इस में किसी प्रकार का असाधारण कर नहीं लगाया गया है । यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पृष्ठ-भमि के आधार पर सर्वथा उपयुक्त रीति से तैयार किया गया है ।

पिछले वर्ष हम ने दो नये कर लगाये थे । किन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि उन करों से हमें इतनी राशि नहीं मिल सकी है जितनी कि हम आशा करते थे । शायद यह बड़े पैमाने पर करवंचन के कारण हुआ है । इस प्रकार से कर अपवंचन को दूर करने के लिये हमें कर संग्रह सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । इस के अतिरिक्त हमें अपनी दंड व्यवस्था को कठोर बनाना चाहिये और साथ ही लोगों में सामाजिक चेतना बढ़ानी चाहिये जिस से कि देश को इस प्रकार की हानि न पहुंचे ।

पिछली बार संसद् में एक संकल्प रखा गया था कि हमें आय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये । किन्तु इस सभा ने उस का अनुमोदन नहीं किया । ठीक है, हो सकता है इस से निर्धन लोगों को कुछ विशेष प्रोत्साहन न मिले किन्तु फिर भी हमें सरकार के विकास कार्यों के लिये धन जुटाने के लिये इस प्रकार का कुछ प्रयत्न करना चाहिये ।

लघुबचत द्वारा भी हमें पिछले वर्ष उतनी राशि नहीं प्राप्त हो सकी है जितनी कि हम आशा कर रहे थे । इस का कारण यह है कि लोग उत्साह से कार्य नहीं कर रहे हैं । कुछ सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि इस वर्ष भी हम अपना लक्ष्य नहीं पूरा कर पायेंगे । मेरा विचार है कि यदि हम सामुदायिक परियोजना व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की मशीनरी का ठीक रूप से संगठन कर पायें और सभी अधिकारी उत्साहपूर्वक कार्य करें तो यह कार्य कठिन नहीं होगा ।

पिछले दस वर्ष में हम कृषि के क्षेत्र में भी कोई विशेष प्रगति नहीं कर सके हैं । अब भी असंख्य भूमियां बिना बोये पड़ी रहती हैं । हम ने पिछले चुनावों में लोगों को भूमि व्यवस्था/सम्बन्धी सुधार

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री तिम्मया]

करने का वचन दिया था। किन्तु आज दस वर्ष में हम ने भूमि व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं किये हैं। कुछ राज्यों में जहां राज्य सरकारें ऐसा प्रयत्न कर रही हैं उन का विरोध किया जा रहा है। जब तक आप भूमिहीन श्रमिकों को नहीं बसाते हैं तब तक देश की उपज कभी नहीं बढ़ सकती है। आज भी खेतिहर मजदूर भूस्वामियों की दया पर निर्भर हैं। उन को नाममात्र का वेतन दिया जाता है। इसीलिये अनेक व्यक्ति ग्रामों को छोड़ कर शहरों में कारखानों में नौकरियां करने के लिये आ रहे हैं। हमें शीघ्र ही भूमि सम्बन्धी सुधार करने चाहियें जिस से ये सब लोग ग्रामों में ही बस सकें।

आय की अधिकतम सीमा निर्धारित न करने के कारण भूधारण की भी अधिकतम सीमा निर्धारित करने में अड़चनें पैदा हो रही हैं। हमें भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में धारण करने की बुराई भी दूर करनी चाहिये ।

गांवों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। इस को दूर करने के लिये हमें देश में कुटीर उद्योगों का एक जाल बिछा देना चाहिये। प्रत्येक उद्योग के साथ प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें। लोगों को हर प्रकार की दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाये ।

सामुदायिक परियोजनायें व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन को केवल एक बात की आवश्यकता है और वह यह है कि वे गांवों के लोगों के जीवन में घुल मिल जावें। उन्हें तड़क भड़क और दिखावे की प्रवृत्ति छोड़ कर सेवा के भाव से लोगों में घुल मिल जाना चाहिये। इस प्रकार से कर्तव्य भाव से काम करने से हमारी सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं ।

श्री बलराम कृष्णय्या (गुडिवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दक्षिण का रहने वाला हूं। मैं इस अवसर पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि दक्षिण से जितने लोग यहां पर आये हैं उन में शायद मैं पहला ही आदमी हूं जोकि हिन्दी में भाषण करने के लिये उत्सुक हो ।

आज पिछले तीन रोज़ से इस हाउस में बजट के ऊपर बहस चल रही है और हमारे बहुत से भाइयों ने बड़े ज़ोरदार भाषण किये हैं और बजट के सम्बन्ध में अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के वक्ताओं ने हमारे बजट का एक दम खंडन किया और उस की टीका टिप्पणी की। उन के द्वारा की गई टीका टिप्पणी के सम्बन्ध में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार का भार सौंप दिया जाय तो हमें पता लग जायेगा कि वह किस प्रकार उस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं और इस का स्पष्ट प्रमाण केरल हमारे सामने है ही। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग सरकार की टीका टिप्पणी करने को हमेशा उत्सुक रहते हैं और जनता को खुश करने के लिये कुछ लोग हथेली में बहिश्त दिखाने के आदी हैं ।

समीक्षा या समालोचना बजट की आम जनता और लोगों की भलाई को दृष्टि में रखते हुए करना चाहिये। जनता की भलाई की दृष्टि से बजट घटिया है अथवा बढ़िया है इस दृष्टि से देखें, अगर जनता की इस में भलाई है, जनता का उद्धार है और जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये बजट में ज्यादा जगह दी गई है तब उस बजट को हम बढ़िया बजट कह सकते हैं लेकिन अगर इस के विरुद्ध बजट तैयार किया जाता है तो उस को घटिया बजट कहना पड़ेगा। मुझे तो पिछले साल के बजट से इस मौजूदा बजट में कुछ नवीनता या क्रान्तिकारी स्वभाव बिलकुल नहीं दिखाई देता ।

सरकारी बेंचेज़ पर बैठने वालों में से बहुत से लोगों ने भी अपने भाषणों में इस बात की शिकायत की है कि हमारे प्रशासन में बहुत अधिक ख़र्च हो रहा है और हमारे सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ख़र्च रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए ख़र्चे को कम करने के लिये इस में कुछ नहीं कहा गया है। जब से इस देश को स्वराज्य मिला और हमारी अपनी देशी सरकार ने शासन भार सम्हाला तब से हम लोगों को यह खयाल हुआ और हम यह मधुर स्वप्न देखने लगे कि अब इस प्रशासन के व्यय में कमी होगी और भारतवर्ष के गरीब किसानों और मज़दूरों में खुशहाली आयेगी और उन को आराम व अन्य सुविधायें सुलभ होंगी और उस के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे लेकिन इस तरीक़े की कोशिश करने के बदले हम देखते हैं कि आजकल नौकरशाही पर ख़र्च घटने के बजाय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। बहुत से नये नये विभाग खुलते जा रहे हैं और नौकरशाही पर काफ़ी फ़िज़ूलख़र्ची सरकार कर रही है। यह सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर दुगना और तिगुना ख़र्च अगर सरकार आज कम करने की कोशिश करे तो अच्छा होगा। यह रोज़मर्रा बढ़ते हुए ख़र्चे को देख कर गांव वालों के तो सिर में चक्कर आ जाता है। रक्षा मंत्रालय का ख़र्च तो बेहद बढ़ गया और तिगुना हो गया है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय तो नित्य शांति के उपासक और पंचशील के जन्मदाता हैं और भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सारे संसार में वे शांति दूत के नाम से प्रसिद्ध हैं। जहां भी भारतवासी जाते हैं वहां ओइम शान्ति शान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। अब जबकि हमारे प्रधान मंत्री पंचशील के जन्मदाता हों और उस के सारे संसार में प्रचारक हों तब भारतवर्ष में फैली हुई व्यापक दरिद्रता को दूर करने के बदले रक्षा मंत्रालय करोड़ों पये ख़र्च करे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब ऐटम बम और हाइड्रोजन बम के सामने हमारी फ़ौज और पलटनें क्या कर सकती हैं। हम कितना ही ख़र्च अपनी फ़ौज और पलटनों को बढ़ाने में कर दें लेकिन वह ऐटम बम और हाइड्रोजन बम के सामने ठहर नहीं सकती हैं। इसलिये मैं तो कहूंगा कि भारतवर्ष अपने नैतिक बल पर ही भरोसा रक्खे और जिस संस्कृति का प्रचार सारे संसार में किया है उसी संस्कृति और उसी पंचशील और सह अस्तित्व के सिद्धान्त को हम सबल बनाने की कोशिश करें। ऐटम बम के सामने यह जो १०० करोड़ रुपये का नया ख़र्चा इस बजट में दिखलाया गया है मैं समझता हूं कि वह फ़िज़ूल है। अगर शान्ति के दूत और उपासक गांधीवादी सिद्धान्तों पर चल कर इस बढ़ते हुए ख़र्च को कम करने की कोशिश करते तो उन का वह कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय होता।

आज देश में बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण पर भारत सरकार बहुत अधिक ख़र्च कर रही है। मैं गांधीवादी सिद्धान्तों का आज से नहीं अपितु बहुत काफी समय से भक्त रहा हूं और पिछले ३०, ३५ सालों मे कांग्रेस के झंडे के नीचे रह कर देश सेवा का काम करता आया हूं और जब हम आज़ादी के लिये प्रयत्नशील थे तब मैं हमेशा यह मधुर स्वप्न देखा करता था और गांव के अपने किसान और मज़दूर भाइयों से और बच्चों से बराबर कहता रहता था कि देश आज़ाद हो जाने के बाद यहां रामराज्य आयेगा और उस में सर्वत्र सुख शान्ति विराजेगी और आम जनता में खुशहाली होगी और तब देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा और तब रोटी के लिये तरस तरस कर मरने वाला कोई नहीं रह जायगा। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस सम्बन्ध में निराश होना पड़ा है।

चीन की सरकार अपने देश में बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण पर बहुत कम पैसा ख़र्च करती है यह उस देश के आये हुए यात्रियों के कथन से पता चलता है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि काफ़ी रुपया बड़ी बड़ी इमारतों पर ख़र्च हो रहा है और इसी सदन् में हम ने अशोक होटल के निर्माण और उस पर व्यय होने वाली भारी धनराशि के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी सुनी। मैं नहीं समझता

[श्री बलराम कृष्णय्या]

कि अशोक होटल सरीखे बड़े बड़े होटलों पर राष्ट्र का धन व्यय करना उचित है और अगर एक प्रेस्टिज के लिये यह ज़रूरी समझा जाय तो मैं कहूंगा कि यह बिलकुल फ़ाल्स प्रेस्टिज है। इस संबंध में मुझे एक वाकया याद आ रहा है और वह इस प्रकार है कि जब पूज्य बापू जीवित थे तो एक विदेशी एकोनामिस्ट यहां भारत में आया था और वह कलकत्ते, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े बड़े नगरों को देख कर बड़ा प्रभावित हुआ और जब उस ने उन नगरों की आलीशान इमारतें देखीं तो उस ने यह ख़याल किया कि हिन्दुस्तान बहुत सुसम्पन्न, सुन्दर और विशाल है और उस ने महात्मा गांधी से कहा कि आप का हिन्दुस्तान तो बड़ा विशाल और सुखी समृद्ध है तो महात्मा गांधी ने उन से कहा कि आप हिन्दुस्तान के गांवों में जा कर देखिये कि कैसी हालत है और किस तरह लोग खाने, कपड़े, घर, विद्या और तंदुरुस्ती के बिना सड़ रहे हैं और वहीं पर आप को सच्चे भारतवर्ष के दर्शन होंगे। भारतवर्ष गांवों का देश है यह शहरों का अड्डा नहीं है। भारत वर्ष ७ लाख गांवों का सम्मेलन है। जब वह एकोनामिस्ट गांवों में गया और वहां की झोंपड़ियों की और उन में रहने वाले गरीब किसानों और मजदूरों की हालत देखी तब उस का सिर चकरा गया और उस ने महात्मा जी के पास जा कर कहा कि वाकई सच्चा भारतवर्ष मैं ने देख लिया और यह कहते हुए उस की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि सरकार आज जो बड़ी बड़ी इमारतों पर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च कर रही है उस को अगर हम कम कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

यहां पर बहुत से वक्ताओं ने रैड टैपिज्म के बारे में कहा है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कह कर सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस के कारण सरकार आम जनता में काफ़ी बदनाम हो रही है चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा प्रान्तीय सरकारें, सब इस बीमारी में मुब्तिला हैं और इस कारण जनता में वे कितना बदनाम होती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। हम चूंकि गांवों में जनता के बीच कार्य करते हैं इसलिये जानते हैं कि इस रैड टैपिज्म के कारण दरख्वास्तों आदि के देने और उन पर निर्णय होने के सम्बन्ध में कितनी देरी होती है और जिस के कि कारण उन को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है और ज़रूरत इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार इस बीमारी को दूर करने के लिये विशेष ध्यान दे और कोई सक्रिय कदम उठाये। मैं समझता हूं कि अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन का विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय, सेंट्रलाइज़ेशन की जगह पर डिसेंट्रलाइज़ेशन कर दें तो काम जल्दी हो सकता है और उस में इतनी देरी लगने की संभावना नहीं रहती है।

इस के अतिरिक्त हमें अपनी नौकरशाही को भी ठीक करना होगा। यह सच है कि सारी सर्विसेज़ करप्ट नहीं होती हैं और न ही मैं यह कहता हूं कि सरकार के जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी हैं वे सब के सब करप्ट हैं। २०० रुपये से ३००० तक तनख्वाह पाने वाले लोगों में बहुत से ईमानदार हैं। लेकिन उन में ऐसे भी हैं जो कि करप्ट हैं और जोकि समझते हैं कि इस मौक़े से जितना फ़ायदा उठाया जा सकता हो उठा लिया जाय और अपनी जेब गरम कर ली जाय। इन में ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद करप्शन नहीं करते लेकिन अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बर्त्तते हैं और उन की लापरवाही की वजह से सरकार की बदनामी होती है। इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे और उस के लिये इस लापरवाही और बेपरवाही का अन्त करने की ज़रूरत है।

आन्ध्र में हर एक एम० पी० और एम० एल० ए० डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमेटी का एक्स आफिशियो मेम्बर होता है। मैं ने भी देहातों में जा कर सेन्टर्स को देखा कि वहां क्या होता है। देखने से आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं। सब लोग कांग्रेस की टीका टिप्पणी करते हैं। किसी दोस्त ने कहा : "बलराम कृष्णय्या, यह जो कम्यूनिटी डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन को कांग्रेस फंड डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट कहो तो अच्छा होगा।" इस प्रकार हमारी दिल्लगी हो रही है। इस की वजह यही है कि

जितना पैसा इस के लिये खर्च किया जाता है, गांवों की तरक्की के लिये, किसानों की तरक्की के लिये, गरीबों की तरक्की के लिये, गांवों में खेती बाड़ी बढ़ाने के लिये, कुंएं खोदने, तालाब बनाने, रास्ते बनाने के लिये जो काम किये जाते हैं, उन में कितनी फिजूलखर्ची होती है, कितना करप्शन होता है, मुझ से कुछ कहा नहीं जा सकता । हाल में ही इन कामों में करप्शन हुआ, रिश्वतखोरी हुई । कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमेटी का चेअरमैन होता है, उस की नज़र में हम इस को ले गये तो कहा कि जो हुआ सो हुआ, मैं उससे देखने वाला नहीं हूं । कलेक्टर समझता है कि वह लाट से भी बड़ा लाट है । प्रान्तीय सरकार की नज़रों के सामने भी इस को लाया गया, लेकिन उस का भी असर कुछ नहीं हुआ । बड़े अफसोस के साथ, लाज के साथ हम को सिर झुकाना पड़ा । एम० पी० हो कर भी डेवेलपमेंट स्कीम्स के जरिये जो फिजूल खर्ची होती है, उस को बन्द करने के लिये रिश्वतखोरी होती है, उसे बन्द करने के लिये हम क्या करें ? किस तरह कोशिश करें ? जब जो चेअरमैन होता है वह हमारी परवाह नहीं करता तो हम चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं और यहां आ कर हमें सोना पड़ता है । समाज विकास केन्द्रों की यह हालत है । जहां तक हो सके केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस की जांच पड़ताल करने की जरूरत है, इस की इन्क्वायरी करने की ज़रूरत है कि क्यों इतना पैसा खर्च होता है । लोग समझते हैं कि हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, हमारे नेता बड़े हैं, उन की टीका टिप्पणी करेंगे तो वे गुस्सा करेंगे, अप्रसन्न हो जायेंगे । लेकिन यह बात नहीं होनी चाहिये । सच्चा हितैषी वह होता है जो अपने दिल की बात कहने का साहस करता है । इसी लिये मैं कहता हूं कि कांग्रेसी हो कर अपने मिनिस्टर्स से और भारत सरकार से मेरी अर्ज़ है कि यहां इस के लिये इन्क्वायरी करायें और जहां तक हो सके इस गड़बड़ी को, इस रिश्वतखोरी को बन्द करने की कोशिश करें ।

हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमें मितव्ययी होना चाहिये । मैं भी ३०, ३५ साल से कहता चला आया हूं मैं बराबर तख्त पर खड़ा हो कर जबर्दस्त तकरीरें देता रहा हूं कि मितव्ययी है, सरकार की तरफ़ से मितव्ययता होती है। लेकिन हर एक टी पार्टी में, हर एक छोटे छोटे काम के लिये कितना पैसा खर्च होता है । हमारे पास इनविटेशन कार्डस आते हैं, विजिटर्स कार्डस आते हैं, गांव से एक किसान आया, उसे मैं ने विजिटर्स कार्ड दिलाया । उस ने कहा कि ऐसा विजिटर्स कार्ड कोई जमीदार ,लखपति या करोड़पति, अपने बेटे की शादी में पैसा खर्च करके भी नहीं छपवा सकता । यह अफसोस की बात नहीं है तो और क्या है ?

केवल मितव्यय से काम नहीं चलेगा, वह व्यय जो वेतन की भलाई के लिये, देश की भलाई के लिये खर्च होता है, वह सच्चा व्यय है । वह हितव्यय है । इस लिये इस की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । अपव्यय न करो, दुर्व्यय न करो । जब यह भी होता है तो यह बड़े अफसोस की बात है । इस का अन्त कैसे किया जाय, कौन करे, कब करे, इस के बारे में सरकार सोचे । गांधेय सिद्धान्ती होते हुये भी बहुत से सरकार के कामों में मुझे गांधेय राज्य की झलक नज़र नहीं आती है । उस की झलक तो आज कल कहीं नहीं होती है, ठाठ बाट ज्यादा है । जहां तक हो सके इस को कम करो । भारत के गांवों के सम्मेलन में मैं ने कहा कि गांवों की हालत जब तक नहीं सुधरेगी, उस को सुधारने की कोशिश हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम यह कहें कि स्वराज्य हो, लेकिन जब तक वह स्वराज्य नहीं हो, तो राज्य अच्छा नहीं चलेगा । अपने हाथों से अपने दांत तोड़ लेने से कुछ सन्तोष नहीं मिलता । दूसरे तोड़ें या हम तोड़ें, दोनों ही अफसोस की बातें हैं । इस लिये जहां तक हो सके गांवों का सुधार करने के बारे में कोशिश करने की ज़रूरत है । बूंदों बूंदों से समुद्र बनता है, अणुओं से पर्वत बनता है, वैसे ही अगर पैसे पैसे की मितव्ययिता करें, एक एक पैसा बनाने की कोशिश करें, यह कोशिश सरकार की तरफ़ से, सरकार के मेम्बरों की तरफ़ से हो तो ज़रूर हम करोड़ों

[श्री बलराम कृष्णय्या]

रुपये बचा सकते हैं, करोड़ों रुपये अपने भारत के उत्थान के लिये, उन्नति के लिये हम खर्च कर सकते हैं। इस के लिये शुरुआत तुम करो। महात्मा जी के कथनानुसार स्वयम् करो। तुम करो और लोगों को करने के लिये कहो। मैं कांग्रेसी हूं, मैं अपने को देशनायक कहता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, औरों से करने के लिये कहूं तो इस से काम नहीं चलता। गांवों में लोग हमारी दिल्लगी कर रहे हैं, हंसी हो रही है हमारी, इस लिये पहले स्वयम् करो। "परोपदेशे पांडित्यम्" अपने लिये नहीं औरों के लिये। तो यह हंसी की बात होती है। इस लिये जहां तक हो सके इस के लिये सोचने की ज़रूरत है।

गांवों में स्माल सेविंग्स के लिये प्रान्तीय सरकारें बड़ी कोशिश कर रही हैं। लेकिन गांवों से वे स्माल सेविंग्स सर्टिफिकेट के लिये बिल्कुल वसूल नहीं कर सकती हैं। सरकार की तो इस में विफलता ही हुई है, सफलता नहीं। क्यों ? गांवों में मज़दूर किसान प्रसन्न नहीं हैं, अप्रसन्न हैं। गांवों में लोग प्रसन्न होते तो वहां से बहुत पैसा आ जाता। जिस तरह शहर वाले हैं उसी तरह से गांवों में लोग एक रुपये में एक एक कौड़ी कर के, पसीना बहा कर के ,खेती बाड़ी कर के, अन्न पैदा कर के, अपनी आमदनी में से दे सकते हैं।

आज युनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे घर पर बराबर ग्रेजुएट्स, डबल ग्रेजुएट्स आते हैं। आज से दस महीने, बारह महीने की बात है। मैं ने कहा कहो भाई क्या हुआ ? तो जवाब मिला कि इधर उधर घूम कर आते हैं, नौकरी नहीं मिलती। किस लिये युनिवर्सिटीज़ से इन लोगों को मैनुफैक्चर कर रहे हैं। युनिवर्सिटीज़ की संख्या ३० से ४० बढ़ गई है। युनिवर्सिटीज़ से लाखों आदमी निकल रहे हैं। भारतवर्ष में ९ लाख, २२ हजार और ९९ आदमी आज युनिवर्सिटीज़ से आये हैं। ग्रैजुएट्स के अर्थ हैं 'पट भद्र' यानी सरस्वती के वरद पुत्र कहते हैं। सरस्वती के वही वरद पुत्र दर बदर, गांव गांव में, बाजार बाजार में जा कर, दफ्तर दफ्तर में जा कर नौकरी की अर्ज़ करते हैं लेकिन उन को नौकरी नहीं मिलती। क्या बात है ? इस तरह युनिवर्सिटीज़ बढ़ा कर आप सिम्पल आर्टस् ग्रेजुएट्स जिन को सांकेतिक विद्या में कहते हैं, निकाल रहे हैं।

इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में. . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप के दो मिनट हैं, सारी बातें आज ही न कह डालें।

श्री बलराम कृष्णय्या : क्योंकि मेरा वक्त समाप्त हो गया है इस लिये मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में नहीं कहूंगा। बड़े बड़े लोग हैं। स्टील प्लैन्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन जब तक रूरल एकानमी के बारे में भारत सरकार नहीं सोचेगी, जब तक उस की ओर उस की दृष्टि नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी, सिर्फ डेफिसिट बजट ही बनाते जायेंगे। माइनर इर्रिगेशन, मीडियम साइज इर्रिगेशन का सच्चा फल उसी साल में हमें मिलता है जबकि मल्टी परपज़ प्रोजेक्ट्स से पूरा दस या आठ साल लगता है जब कि सरकार को उस से कुछ पैसा मिलता है। इससे बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है। ट्यूब वेल वगैरह से खेती बाड़ी की तरक्की करने की आवश्यकता है। आंध्र को लोग ग्रैनरी कहते हैं। वहां पैडी बहुत पैदा होता है, लेकिन वहां किसानों की बहुत बुरी हालत है। मैं ने सुना है कि ५ अप्रैल को आंध्र में कम से कम एक हज़ार राइस मिल्स को बन्द कर देने का प्रस्ताव मिलर्स ने पास किया है। इस का क्या नतीजा होगा जरा सरकार इस के बारे में कुछ सोचे। मिलर्स ही तो गांवों में किसानों से खरीदते हैं पैडी को। अगर मिलर्स ही नहीं खरीदेंगे तो किसान तो खुद एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, न वह अपने धान का चावल बना सकते हैं। इस लिये किसानों की आंध्र में आज कल बड़ी बुरी हालत है।

इसीलिये जहां तक हो सके आन्ध्र में जो लोग चावल पैदा करते हैं उनकी बुरी हालत को दूर करने के लिये तम्बाकू आदि लाभदायक फसलें पैदा करने को प्रोत्सहान देना चाहिये । इस प्रकार उनकी तरक्की के लिये अगर कुछ किया जाये तो मुझे खुशी होगी, और तभी हम समझेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वह है चमन हमारा ।

†**श्री स० र० अरुमुगम्** :(नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस वर्ष का बजट एक अनुपम बजट है । इसके साथ आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है कि हम ने कृषि व उद्योगों के क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं । आज एक सामान्य व्यक्ति व मध्यम वर्ग का व्यक्ति हर प्रकार से देख सकता है कि हमारा देश समाजवादी ढंग के समाज की ओर प्रगति कर रहा है ।

कुछ लोगों ने यह शिकायत की है कि इसमें करों में कोई छूट नहीं दी गई है । मेरा कहना है कि जब तक हमारा देश समृद्ध नहीं बन जाता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो कर दे सकता है कर देने में किसी प्रकार का संकोच व शिकायत नहीं करनी चाहिये ।

दूसरी शिकायत यह की गई है कि कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बहुत अधिक बढ़ गया है । उसे कम किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में तम्बाकू का भी उल्लेख किया गया है । मैं भी अनुभव करता हूं कि घटिया किस्म के तम्बाकू पर उसकी कीमतों को देखते हुये बहुत अधिक उत्पादन कर लगा हुआ है । हमें उत्पादन शुल्क की दरें वस्तुओं के बाजार मूल्यों के हिसाब से निर्धारित करनी चाहिये ।

खड्डी वस्त्र उद्योग भी आज कल एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति में है । विशेषकर मद्रास राज्य में ऐसे वस्त्र निर्माताओं की अधिकतम संख्या है । श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने, जब वह वाणिज्य व उद्योग मंत्री थे, इस उद्योग को प्रोत्साहन देने का सराहनीय प्रयत्न किया था । पहले खड्डी से कपड़ा बनाने वाले लोगों को प्रति गज़ पीछे ९ नये पैसे की छूट दी जाती थी अब ६ नये पैसे छूट दी जा रही है । मेरा निवेदन है कि आज की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुये हमें यह छूट बढ़ा कर १० नये पैसे कर देनी चाहिये । इस विषय में हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण देश के हित की दृष्टि से भाखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी जैसी केवल बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर ही बल देते आये हैं । मेरा निवेदन है कि अब हमें क्षेत्रीय व प्रादेशिक हितों की दृष्टि से छोटी छोटी परियोजनाओं की ओर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिये । उदाहरण के रूप में दक्षिण में पराम्बीकुलम और करियार योजनाओं को ले सकते हैं । इसी प्रकार हम मैसूर, मद्रास व केरल में अनेक विद्युत सम्बन्धी योजनायें चालू कर सकते हैं । हम दक्षिण में कावेरी और गोदावरी नदी के जलों का उपयोग उठा सकते हैं । योजना आयोग को इस प्रकार की क्षेत्रीय योजनायें शीघ्र तैयार करनी चाहियें । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय अन्तर्राज्यिक नदी जल उपयोग अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निश्चित की गई है वह बड़ी अड़चनपूर्ण है । हमें उस की कठिनाइयों को शीघ्र दूर करना चाहिये ।

अन्त में मैं सरकारी सेवाओं के हरिजनों के लिये पदों के रक्षण करने के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा । हमारे संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार उनके लिये पदों का संरक्षण कर सकती है । केन्द्र में सभी श्रेणियों में उनके लिये पदों का संरक्षण किया गया है । किन्तु किन्हीं राज्यों में केवल ऊपर की तीन श्रेणियों में ही इनके लिये पद रक्षित किये गये हैं । उनका कहना है

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री स० र० अरुमगम्]

कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रायः अधिकारियों की निजी आवश्यकताओं का पूरा करना होता है तथा उनके घरों में साथ रहना पड़ता है। इसके लिये अधिकारी लोग आपत्ति करते ह। इस लिये चौथी श्रेणी में हरिजनों के लिये पद संरक्षित नहीं किये गये हैं। यह संविधानिक प्रत्याभूति का प्रत्यक्ष अतिक्रमण है। और दूसरे इससे अस्पृश्यता निवारण की नीति पर भी आघात पहुंचता है। गृह-मंत्री को ऐसे राज्यों को चौथी श्रेणी में भी हरिजनों के लिये पदों के रक्षण करने का आदेश देना चाहिये। और बाद में उन्हें सभा को यह बताना चाहिये कि उन्हें इस कार्यवाही में कहां तक सफलता मिली है।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण करने के लिये प्रतीक्षा करने का जो आनन्द आपने मुझे अनुभव कराया उसके लिये धन्यवाद। इस समय मुझे रहीम का एक दोहा याद आता है :

रहिमन चुप व्है बैठिये देखि दिनन को फेर,
जब नीके दिन आइहैं बनत न लगिहैं बेर।

सदन में बजट पर करीब करीब तीन दिन से समीक्षा और समालोचनायें हो रही हैं और मेरे बन्धु, माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। यहां पर दो प्रकार के मत दिख रहे हैं। एक पक्ष का तो यह कहना है कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है और बजट बिल्कुल निकम्मा है और दूसरा पक्ष कहता है कि इससे अधिक अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। परन्तु बात वास्तव में यह नहीं है। मैं समझता हूं कि वर्तमान अवस्था और स्थिति में जिस प्रकार से समस्याओं का हमें समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिये उस तरह से नहीं किया जा रहा है और हम ऐसी मूलभूत भूलें कर रहे हैं जिनके कारण हमारी स्थिति सुदृढ़ होते हुये भी भयावह बनती जा रही है।

इस समय मैं जानता हूं कि मैं बजट पर बोल रहा हूं और बजट का सीधा सम्बन्ध अर्थ से और कोष से होता है यह निश्चित बात है। राज्य का संचालन करने के लिये हमारे यहां स्पष्ट सूत्र दिया गया है :

कोषोहि भूमतिनाम् जीवितम् न प्राणः

अर्थात् राज्य का, प्राण कोष है। अतः जिस राज्य के पास स्वस्थ कोष नहीं होता वह राज्य चल नहीं सकता। राज्य के चलाने के लिये कोष अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु सब से बड़ी खराबी तो यह है कि आज जो हमारे सामने बजट है उसमें घाटा ही घाटा है। मैं समाचार पत्रों में देखता हूं कि प्रान्तों के जो बजट हैं वे भी घाटे के बजट हैं। तो प्रान्तों में भी घाटा और केन्द्र में भी घाटा और लाभ उठा रहे हैं बिड़ला और टाटा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से कार्य कैसे चलेगा। जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिये वह लाभ उठा रहे हैं, जिनके पास पैसा होना चाहिये उनके पास पैसा नहीं है। और साथ में जो हमें मिल रहा है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। आयुर्वेद शास्त्र की तरफ हम दृष्टि डालें तो हमें दूसरा सूत्र ध्यान में आता है : कुपथस्य किमौषधिम्। जो कुपथ्य करता है, जो मर्जी आये वह खाता है उसे तोला माशा औषधि क्या कर सकती है? ढाई सेर दही बड़ा और एक तोला कुनीन तो कैसे काम चलेगा। हमारे यहां वैसे ही पैसा नहीं है और उस

पर भी हम क़र्ज़ ले रहे हैं। यह ठीक है कि देश की नीयत अच्छी हो सकती है और किसी राष्ट्र को दल दल में फंसाने का विचार नहीं है। परन्तु ऋण और क़र्ज़ा तो मुसीबत में ही लेना चाहिये। अगर देश मुसीबत में है तो क़र्ज़ तो लो लेकिन क़र्ज़ के लिये नीतिकारों ने स्पष्ट कहा है :

ऋणकर्ता पिता शत्रु: माता च व्यभिचारिणी

वह बाप दुश्मन है जो बेटे को क़र्ज़ से लादता है। आप इधर तो ऋण ले रहे हैं और उधर खर्च बढ़ रहा है, कर्ज़ आ रहा है और खर्च बढ़ रहा है, और देश आगे बढ़ रहा है। पर किस तरफ़ बढ़ रहा है, कर्ज़ की तरफ़ बढ़ रहा है और खर्च की तरफ़ बढ़ रहा है खर्च की तरफ़ बढ़ा तो मरे और कर्ज़ की तरफ़ बढ़ा तो मरे। देश बढ़ता तो दिखायी दे रहा है लेकिन उन्नति और तरक्की की दिशा में प्रगति होनी चाहिये वह न होकर दूसरी दिशा में हो रही है। मैं देखता हूं कि अव्यय तो आकाश को चूम रहा है।

बहुत सी समस्यायें तो ऐसी हैं कि अगर उनको हमने समय पर सुलझा लिया होता तो आज यह दशा न होती। यहां पर हिन्दू महासभा की तरफ़ से जोर दिया गया, डा० एस० पी० मुखर्जी ने और श्री एन० सी० चटर्जी ने यहां पर कहा कि काश्मीर के मामले को आप यू० एन० ओ० से बाहर निकाल लो लेकिन सरकार ने नहीं माना। यू० एन० ओ० में अमरीका हमारे विरुद्ध है, इंगलैंड हमारे विरुद्ध है, फ्रांस हमारे विरुद्ध है। एक भी मत हमारे विरुद्ध आने से समस्या का हल रुक जाता है। वहां पर चर्चा होती रहती है परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकलता। प्रधान मंत्री से इस मामले में ज़ोर दिया गया तो कहा कि बोलो मत। उसके पश्चात् हमने आन्दोलन आरम्भ किया और उसमें डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उससे शेख अब्दुल्ला का राष्ट्र विरोधी रूप प्रकट किया, वह कारावास में बन्द किये गये। मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट का पक्षपाती नहीं हूं। उनको उस ऐक्ट के अन्तर्गत बन्द नहीं करना चाहिये था। बाद में उनको निकाल दिया गया। अब वह बाहर बैठे हैं तो राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं। हम कहते हैं तो प्रधान मंत्री कहते हैं कि डरो मत। तो बात क्या है? मैं पूछता हूं कि यह शेख अब्दुल्ला बाहर निकल कर इस प्रकार से राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं, सारे भारतवर्ष के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। क्यों नहीं उन पर मुकदमा चला कर उनको बन्द किया जाता? उनको इस प्रकार का अवसर क्यों दिया जाता है? उनकी इस कार्यवाही से समस्त काश्मीर में असन्तोष फैलता है, हिन्दुस्तान में असन्तोष पैदा होता है। उस असन्तोष को दबाने के लिये पैसा खर्च होता है। इस प्रकार से पैसा इधर उधर खर्च किया जा रहा है। शेख अब्दुल्ला को इस प्रकार से बढ़ावा देने के कारण रोज़ हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं।

हम लाखों रुपया विदेशों में सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजने में खर्च कर रहे हैं। हमारे आदमी बाहर जाकर नाच कूद आते हैं। मैं पूछता हूं कि कितने ब्रह्मचारियों को यहां से बाहर भेजा गया? इस तरह के लोगों को बाहर भेजने से संसार का यह विचार होता है कि भारतवर्ष की संस्कृति यह है कि १४,१५ साल के लड़के पैरों में घुंघरू बांध कर नाचते हैं। यह हमारी सिविलाइज़ेशन है। अगर हम स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ जैसे भारतीयों को अमरीका और रूस और दूसरे देशों में प्रचार करने के लिये भेजते तो वास्तव में संसार को पता लगता कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है। ऐसा करने से ही भारतवर्ष का मान बढ़ता। इस तरह हमारा मान नहीं बढ़ता कि यहां से लोग जायें पैरों में घुंघरू बांध कर नाचकूद कर आ जायें। आज जब हम हमारे उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् को विदेशों में भेजते हैं तो हमारा मान बढ़ जाता है परन्तु जब आप घुंघरू बांधने वालों को भेज देते हैं तो हमारा मान धूल में मिल जाता है। इस लिये मैं कहता हूं कि इस तरह के खर्च हमें बन्द कर देने चाहियें।

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडे में सफल हो रहा है। वह प्रचार करके दुनिया पर यह प्रभाव डाल रहा है कि भारतवर्ष गलत मार्ग पर है और हम सही मार्ग पर हैं। लेकिन हमारी तरफ़ से जो प्रचार किया जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो फिर व्यर्थ में क्यों इस पर खर्च किया जा रहा है। एक तरफ़ जनता से टैक्स लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ़ उसे इस तरह से खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार का अपव्यय बन्द करना चाहिये।

मैं तो एक बात खास तौर से पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय बताये कि अभी तक इस काश्मीर की समस्या को क्यों नहीं सुलझाया गया है। क्यों न इस प्रदेश को अपना कर इस पर अधिकार घोषित करने के बाद इसकी आगे चर्चा बन्द कर दी जाय और इसको सम्पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेकर इसको अपनी इच्छानुसार चलाया जाय। जो लोग वहां पर विषाक्त वायुमंडल पैदा कर रहे हैं उनको क्यों न बन्द कर दिया जाय। बजट को देखने से मालूम होता है कि काश्मीर के बारे में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर लाखों रुपया खर्च होता है। यह देखकर मुझे दुःख होता है। अगर हम हिन्दू महासभा वाले इन राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध एक शब्द भी कहें तो हम को बन्द कर दिया जाता है। दो बार तो मुझे बन्द किया जा चुका है। कहीं तीसरी बार भी न रगड़ दिया जाये। तो हमारा अनुरोध है कि जो वास्तव में राष्ट्रद्रोही हैं उनको बन्द करना चाहिए।

मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को कि उस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है। कांग्रेस ने इसी भाषा का सहारा लेकर उन्नति की थी और इसी के आधार पर वह आगे बढ़ी थी। लेकिन एक नेता इधर से आते हैं, एक उधर से आते हैं और हिन्दी के विरुद्ध विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि हिन्दी कुछ खास प्रान्तों की भाषा है। परन्तु व यह नहीं देखते कि यह भारतवर्ष के बहुमत द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसी कारण इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन एक दूरदर्शी नेता अंग्रेज़ी को देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। वे आज देश में अंग्रजी का प्रचार कर रहे हैं। एसे आदमियों को बन्द किया जाना चाहिए। राष्ट्र भाषा स्वीकार हो चुकी है। यदि वे हिन्दी को राष्ट्र-भाषा नहीं मानना चाहते तो तेलगू, मलायालम या कन्नड़ या किसी अन्य भाषा का प्रचार करें जो कि भारतीय भाषा हो, तब तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन वे अंग्रजी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। यह क्या मखौलबाजी है? इस तरह से भारतवर्ष का काम कदापि नहीं चल सकता। यह प्रचार शान्त होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब तक सरकार मौजूदा स्थिति का परिमार्जन नहीं करेगी, जब तक यह स्पष्ट घोषणा नहीं करेगी कि क्या करना है तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती। यहां तो यही नहीं मालूम होता कि मुल्क का मालिक कौन है। यहां तो यह हो रहा है कि जो चाहे आता है, खाता है पीता है, मौज करता है और चला जाता है। यह हमारी राष्ट्रीयता है। लोग यहां आते हैं, जितनी देर चाहे यहां रहते है, जितना चाहे कमाते हैं और जब मर्जी हुई, भाग जाते हैं। रोज़ पाकिस्तान को सवारी चली जाती है। वे लोग यहां आ कर सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और जब मर्जी चाहे भाग जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता अराजकता को जन्म देती है। इस में व्यर्थ ही पैसा अपव्यय होता है। यदि यह अपव्यय रुक जाय और ठीक प्रकार से पैसा लगा, तो बड़ा लाभ हो सकता है। मैं जानता हूं कि यहां पर कोई बिल्कुल नादान लोग नहीं हैं––सब समझदार हैं। अगर थोड़ा भी पानी हो और ठीक ढंग से क्यारियों में डाल दिया जाय, तो सारा बग़ीचा सींचा जा सकता है और अगर वैसे ही फैंक दिया जाय, तो मनों पानी एक ही जगह में समा सकता है और उस का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक व्यवस्था के साथ

पैसा लगाया जाय तो अधिक लाभ उठाया जा सकता है । मैं अपने मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कार्य को करने में शीघ्रता न करें । गांधी जी ने बड़ी दया की कि उन्होंने खादी पर बल दिया और उस का प्रचार किया । यह कोई मिलिटरी की ड्रेस नहीं थी, जो कि उन्होंने कांग्रेस को दी और न ही यह कोई किसी सम्प्रदाय विशेष की ड्रेस थी । उन्होंने कहा कि अपना कमाओ, अपना खाओ । मानचेस्टर में आग लगाने के लिए, विदेशों से यहां माल न आये, इसलिये उन्होंने खादी पर बल दिया । लोग अपना कपास कातें और कपड़ा पहने, लोग सिम्पल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करें, इस तरफ़ उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन यहां पर तो लोग धोती के भीतर छोटे मोटे अंगरेज बन कर बैठें हुए हैं। कितना राजसी ठाट-बाट हम यहां देख रहे हैं । हमने जो स्वरूप बनाया है, वह हम नित्य देख रहे हैं । हमारा देश दरिद्र है, किसान, मज़दूर, शिक्षित, अशिशित सब दरिद्र हैं—चारों तरफ़ दरिद्रता है । ऐसे समय में यह ठाट-बाट बनाने की, इतना खर्च करने की और बड़े बड़े भव्य भवन निर्माण करने की क्या आवश्यकता है । दस पांच दिन ठहरो, जब जान आ जाय, दम आ जाय, शक्ति और बल आ जाय, तो उस के पश्चात् भव्य भवन निर्माण करो । पहले लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, प्रेम और एक्य दो, उस के पश्चात् फिर एश्वर्य दिखाने के लिए विशाल भवन, मोटर-कारें और कोठियां बनाओ । लेकिन आज एक तरफ़ लोग भूखों मर रहे हैं, जमीन पर सिसक रहे हैं और दूसरे कोठियों में बैठे हुए रेडियो का आनन्द ले रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता कि इस विषमता से देश में खराबी पैदा होती है । शासन की सहायता करने और उस के साथ सहयोग करने का जो उत्साह जनता में आना चाहिए था, वह नहीं आ रहा है । हमारे ऋषियों ने कहा है कि :

> उत्साहसम्पन्नमदीर्घ–सूत्रम्
>
> क्रिया-विधिज्ञनम् व्यसनष्वसक्तम् ।
>
> शूरम् कृतज्ञं दृढ़सौहृदंच,
>
> लक्ष्मी-स्वयम् यांति निवास हेतोः ।

अर्थात्, उत्साह-सम्पन्नता, दीर्घसूत्री न होना, क्रिया की विधि का ज्ञान और व्यसनों में आसक्ति का न होना, शूरता, मित्रता में दृढ़ होना और जिस ने हमारे साथ कोई अच्छा काम किया है, उस के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना । ये चीजे जहां होती हैं, वहां स्वयं लक्ष्मी आ कर निवास करती है । इससे देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, लेकिन मैं इस के विपरीत देख रहा हूं ।

साथ ही मैं यह भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे देश से कोई कच्चा माल बाहर नहीं जाने पाये और तैयार माल बाहर से यहां न आने पाए । मेरे यहां से अगर कच्चा माल बाहर जायेगा और वहां से बन कर आयगा, तो मुद्रा-स्फीति का संकट अपने आप खड़ा होगा । मेरे यहां से माल बाहर जाय और बाहर से पैसा ले कर आए, यह बात तो ठीक है, लेकिन मेरी ही जूती मेरे ही सिर—मेरी ही कपास जाय और कपड़ा बन कर मुझे ही खाए, यह, मेरी राय में, नहीं चलना चाहिये । इस प्रकार का निर्यात बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये ।

इस सदन में मैं अनेक बार पशुधन की रक्षा के बारे में कहा है, लेकिन उस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है । हमारे कृषि और खाद्य मंत्री हैं माननीय अजित प्रसाद जैन, और गाय और बैल दोनों बेचैन । यह बैल कांग्रस पार्टी का सिम्बल है । इस पर आप यहां बैठ कर आते हैं । इस गरीब बैल की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगर खत्म कर रहे हैं, तो एक दो मिन्ट में खत्म कर और अगर और कविता कहना चाहते हैं, तो दो दिन और इन्तजार करें।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : मैं दो दिन विश्राम लेने के बाद फिर सेवा में उपस्थित हूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाष जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति को सोलहवें प्रतिवेदन से, जो ११ मार्च, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो ११ मार्च, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत आ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मंडलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प ।

श्री दीनबन्धु परमार (उदयपुर-रक्षित-अनुसूचित आदिम-जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प पेश करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिये विधान प्रस्तुत करना चाहिये, ताकि संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अन्तर्गत संसद् और विधान-मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उपबन्धित स्थानों के रक्षण की अवधि दस वर्ष और बढ़ा दी जाय" ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जरा ठहर जायें । यह रेज़ोल्यूशन अब मूव तो हो गया और अब मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस पर तकरीर भी करें, लेकिन चूंकि मुझ पर यह बोझ है, इस लिये मैं पहले वक्त के मुताल्लिक फैसला कर देना चाहता हूं । जितनी चिट्स मेरे पास आ रही हैं, उन से मालूम होता है कि शायद इस मजमून पर सारे ही मेम्बर साहबान बोलना चाहेंगे । इस लिये मैं शुरू में ही यह कहना चाहता हूं कि हरेक सदस्य यह ख्याल रखे और कम से कम वक्त ले, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बोल सकें, उतना ही अच्छा होगा ।

एक माननीय सदस्य : दस मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे तो दस मिनट रखने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर दस मिनट रखे जायेंगे, तो बहुत थोड़े मेम्बर साहबान बोल सकेंगे । अगर दस मिनट से भी कम–सात मिनट–रखे जायें, तो ठीक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प० ला० बारूपाल (बीकानेर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सात मिनट ही कर दिये जायें। सब को मौका मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हरेक मेम्बर साहब के लिये सात मिनट हैं और जिन्होंने मूव किया है, उन के लिये पन्द्रह मिनट रखे जाते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : समय कितना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : २ घंटे २९ मिनट।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : समय बढ़ा क्यों दिया जाये ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : जी हां यह विषय महत्वपूर्ण है इसलिये समय बढ़ाना उचित ही होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य पहले तो सोचते नहीं। क्या अब प्रस्ताव स्वीकृत होने के एक मिनट के पश्चात् ही सभा अपना निर्णय बदल ले। पहले मैं ने सब को देखा था किन्तु उस समय कोई नहीं उठा। अब मैं क्या कर सकता हूं।

श्री दीनबन्धु परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन के सामने मैं ने जो संकल्प पेश किया है, उस के बारे में मैं आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए संरक्षण के सम्बन्ध में संविधान में जो दस साल की अवधि रखी गई है, उस के समाप्त होने की तारीख से दस साल और उस अवधि में बढ़ा दिये जायें। आज इस युग में हरिजन और आदिवासी, जिन को आगे लाने के लिए संविधान में सुविधायें दी गई हैं, आगे आने के बजाय पीछे हट रहे हैं। इस का कारण यह है कि शिक्षा और आर्थिक स्थिति में उन को जितना आगे बढ़ना चाहिए था, उतना वे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इस स्थिति में इस संरक्षण के हटने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में हरिजनों और आदिवासियों की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। यह देखने में आता कि देश में आज तक छुआ छूत की बीमारी मिट नहीं पाई है और गांवों में ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में वह मौजूद है। खास कर सरकारी कर्मचारियों में भी यह छुआ छूत नहीं मिटी है। जो हरिजन कर्मचारी सरकारी नौकरियों में हैं उनको भी हीन दृष्टि से देखा जाता है और ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि उन को दूसरे जगहों पर देखा जाता है। यह कहा जाता है कि ये हरिजन हैं, ये अमुक जाति के हैं और इन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और किया जाता है। हरिजन तथा आदिवासी जो इस देश में रहते हैं उन की हालत बहुत खराब है, वे बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और उनको दूसरे लोगों के बराबर लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन इस में समय लगेगा, इस में काफी देर है। आज अगर हम को जो संरक्षण मिले हुए हैं, वे यदि खत्म कर दिए जाते हैं तो हम इस बात की कभी भी आशा नहीं कर सकते हैं कि हम इस देश में कभी भी आगे आ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वास्ते मैं निवेदन करता हूं कि ये पिछड़ी हुई कौमें हैं। काफी संख्या में ये लोग गांवों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उन को जमीन नहीं दी जाती है, उन के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। उनके पास खाने को अन्न नहीं है। उनको पहाड़ों से लेकर मैदानों में बसाने का जो प्रश्न है वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। हरिजनों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दीनबन्धु परमार]

को बसाने के लिए राज्य सरकारों ने जो कोटा एलाट किया है, उस के अनुसार भी इन लोगों को जमीनें नहीं दी गई हैं। ऐसी सूरत में हमें जो संरक्षण प्राप्त हैं यदि वे खत्म हो गए तो मेरा पक्का विश्वास है कि हम लोग दूसरे लोगों के बराबर नहीं आ सकेंगे।

मैं आप के सामने शिक्षा की बात को ही लेता हूं। केन्द्रीय सरकार से जो छात्रवृतियां विद्यार्थियों को मिलती हैं, जो सहायता उनको मिलती है, वह रेगुलरली उन लोगों को राज्य सरकारों की ओर से नहीं मिल पाती हैं और जो लोग पढ़ लिख भी किसी तरह से पाते हैं, उनको भी समय पर नौकरियों में नहीं लिया जाता है, जो नौकरियां उनके लिए रिज़र्व कर रखी हैं, वे उनको नहीं दी जाती हैं। इस तरह से जो कार्य आज हो रहा है, वह ठीक नहीं है। इस वास्ते यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस बारे में सोचें।

जो प्रस्ताव मैं ने रखा है उस में मैंने यह सुझाव दिया है कि जो संरक्षण हमें प्राप्त हैं, उनको दस साल के लिए और बढ़ा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ। मैं चाहता हूं कि इस पर सारे राज्यों के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर मिले और मैं समस्त दलों का भी ध्यान रखूंगा। इस संकल्प पर दो संशोधन हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन नियम विरुद्ध है।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के सामने है।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के संरक्षण की अवधि बढ़ाई जाये? अब हमें यह देखना है कि जिस प्रयोजन के लिये संविधान में यह व्यवस्था की गई थी क्या वह पूरा हो गया है।

यद्यपि गत वर्षों में इन जातियों की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त धन व्यय किया गया है किन्तु क्या ये जातियां अपने पांव पर खड़ी हो गई हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक ये लोग बहुत ही पीछे हैं।

जिस समय संविधान सभा में अनुच्छेद ३३४ पर चर्चा हो रही थी तब कई सदस्यों ने यह कहा था कि इतना समय रखना पर्याप्त न होगा। कई लोगों ने तो संशोधन भी रखे थे। हम अब देख ही रहे हैं कि इस दौरान में अनुसूचित जातियों की स्थिति बदली ही नहीं। यदि संरक्षण न रहे तो ये लोग कभी चुनाव तक भी न लड़ सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब आप राज्य-सभा तथा विधान परिषदों को ही ले लें तो आप को पता लगेगा कि इन निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व १ प्रति शत से ज्यादा नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि संरक्षण की अवधि कम से कम १० या १५ वर्ष और आगे तक बढ़ा दी जाये ताकि इस बीच में ये लोग अपने पांव पर खड़े हो जायें।

मैं यह प्रार्थना भी करता हूं कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करे।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ पेश है, उस में मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है। इस संशोधन से यह स्पष्ट है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो सीटें रिज़र्व करने की बात है, उस से मैं सहमत हूं। लेकिन यह रिज़र्वेशन कितने समय के लिए होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा मतभेद है।

जब संविधान परिषद ने इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की थी, तब उन लोगों के दिमागों में यह बात बिल्कुल साफ थी कि यह एक टैम्पोरेरी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है और शीघ्र ही वह समय आना चाहिए जब कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बंधु जनरल सीट्स से भी चुनाव जीत कर राज्यों की विधान सभाओं और संसद् में जा सकें। हम देखते हैं कि इस दिशा में थोड़ी सी प्रगति हुई भी है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो रिपोर्ट कमिश्नर महोदय ने पेश की है उस के अनुसार लोक सभा में छः सदस्य ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से आते हैं, किन्तु जो जनरल सीटों से चुने गये हैं। यह एक बड़ा अच्छा लक्षण है और उसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए।

मैं यह मानता हूं जो भी चुन कर आए हैं, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो दिशा है सही है वह दिशा सही है और अन्ततोगत्वा, आखिर में, हमको उसी दिशा में जाना है। जो भी रिज़र्वेशन किया गया है, वह सदैव के लिये कायम नहीं रह सकता है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होगा, अस्पृश्यता का अन्त होता जाएगा। यह परिवर्तन हो भी रहा है और अस्पृश्यता भी मिट रही है। जैसे जैसे देश में आर्थिक निर्माण होगा, विषमता दूर होगी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिस में यह भेद करना मुश्किल होगा कि वह कौन सा शेड्यूल्ड कास्ट का है और कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब् का है और कौन सा उन में से नहीं है। हमने जैसे सामाजिक निर्माण का चित्र अपने सामने रखा है, उस में ऐसी अवस्था जल्दी आनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक मत भेद की बात पैदा होती है। कभी कभी उस सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को उसी तरह से बनाये रखने की कोशिश की जा रही है और वह इस लिए कि जो सुविधायें मिलती हैं, वे कायम रहें। मैं समझता हूं यह प्रवृति जो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, यह ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस बुराई को समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम ऐसे उपाय अपनाते हैं कि जिन से वह बुराई बढ़ती जाती है। एक खतरा है और वह यह कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी पृथकता की भावना को अधिक न बढ़ाये और इस तरह के संकेत किए गए हैं कि वे वैस्टिड इंटिरेस्ट डिवेलेप होता जाता है और जिन्हें पूरी तरह से मिलाने का प्रयत्न करते हैं, वे थोड़ा सा अलग ही रहना चाहते हैं। इस पृथकता को कभी कभी राजनीतिक हथियार बनाया जाता है और उस के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रवृति न तो जिन के नाम पर वह की जाती है, उन के ही हित में है और न राष्ट्र के ही हित में है और उस से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

[श्री वाजपेयी]

हमारे सामने जो ध्येय है वह बिल्कुल स्पष्ट है । वह यह है कि हम अस्पृश्यता और आर्थिक पिछड़ेपन का उन्मूलन करना चाहते हैं और इस दिशा में जो भी काम हुआ है, मैं उसे पर्याप्त नहीं कहता । मगर हम आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्रातिशीघ्र हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम सब एक रूप हो जायें, एक रस हो जायें, और कोई पिछड़ा हुआ रहे, इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे देश में देखने को न मिले । इसी दृष्टि से मैं ने एक संशोधन उपस्थित किया है कि रिज़र्वेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, किन्तु केवल पांच वर्ष के लिये और इन पांच वर्षों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हम इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन करें, जिन के द्वारा हमारे जो बन्धु पिछड़े हुए हैं वे दूसरे लोगों के समान स्तर पर आ जायें । सामाजिक कार्यक्रमों से या आर्थिक कार्यक्रमों से उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, अवश्य ही बराबर के स्तर पर लाया जाना चाहिए और इस के लिए उन्हें कुछ अधिक सुविधायें भी दी जानी चाहिए, इस में भी कोई मत भेद नहीं है । मगर उन सुविधाओं को शाश्वत बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये । जो भी सुविधायें दी गई हैं, वे स्थायी नहीं हैं और शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसा समय लाना चाहिए जिस में कि इस प्रकार का पिछड़ापन दूर हो सके । इस बात की आवश्यकता है । इस समस्या को हमें इसी दृष्टि-कोण से देखना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण को अगर हम अपनायेंगे तो परिवर्तन की जो गति धीमी है उस को तेज़ किया जा सकता है और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं उस को भी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जा सकता है ।

श्री जांगड़े (बिलासपुलर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व सदस्यों ने जो भाषण दिये मैं समझता हूं कि वे इस बात से सहमत हैं कि हरिजन और आदिवासियों को जो संरक्षण प्राप्त है वह ५ वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय, उन में और हमारे में भेद केवल इस समय को लेकर है । हम यह संरक्षण १० वर्ष के लिए चाहते हैं जब कि वे माननीय सदस्य केवल ५ वर्ष के लिए ही चाहते हैं । उनका यह कहना ग़लत है कि हम एक विशिष्ट वर्ग या एक वेस्टेड इंटरेस्ट को परपिचुएट करना चाहते हैं या उसको क़ायम रखना चाहते हैं । हम ने शेड्युल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स् के रिज़र्वेशन के लिए १० वर्ष की अवधि का एक्सटेंशन मांगा है । हज़ारों साल की जो रूढ़ि और परम्परा है वह कोई एटम बम या स्पूतनिक नहीं कि फौरन हो जाय और इस भौतिक जगत में परिवर्त्तन लाने में ५० वर्ष से भी ज्यादा समय लगा है और जिस मानसिक जगत में देहातियों के दिमाग बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, उनको हम केवल ५ वर्षों के अन्दर उस जकड़न से दूर कर सकेंगे, यह संभावना के विरुद्ध है. और यह हमारी संभावना के बाहर है और इसलिए हमने यह मांग की है कि उनके रिज़रवेशन का पीरियड १० साल के लिए और बढ़ा दिया जाय । मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने जो यह कहा कि हमारे हरिजन और आदिवासियों में अलगत्व की भावना पैदा न हो और सेप्रेट टेंडेंसी (पृथक भावना) पैदा न हो जाय । मैं ने नहीं समझता कि इस से हमारे अछूत जाति के भाइयों में कैसे अलगत्व की भावना पैदा हो सकती है । उन अल्प संख्यकों के बारे में तो अलबत्ता यह चीज़ समझ में आ सकती है क्योंकि वे कभी न कभी इस देश में और दूसरे देशों में सैकड़ों वर्ष तक शासक रहे हैं और इस कारण वे अपनी आर्थिक अवस्था और शैक्षणिक अवस्था में काफ़ी परिवर्त्तन कर चुके हैं, उनकी बुनियाद जम चुकी है और इसलिए उनका रिज़रवेशन रहे या न रहे, उन के लिए कोई अनुचित बात नहीं है लेकिन इस देश के जो हमारे आदिवासी और अछूत भाई हैं वे आज सेनहीं बल्कि हज़ारों वर्षो से आर्थिक और राजनैतिक गुलामी का जीवन

बिताते आ रहे हैं और उन में यह अलगत्व की भावना कैसे आ सकती है । आप कैसे कह सकते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों में अलगत्व की भावना है । संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हमने अपनाई हुई है और उस में सवर्णों और दूसरे आम लोगों ने ६ हरिजनों और आदिवासियों को जनरल सोट्स पर चुना है। हमने अलगत्व की भावना पैदा नहीं की । आपने ही उनको चुना है । इसलिये आपका यह कहना और माननीय सदस्य का यह आशय कि इस से अलगत्व की भावना पैदा होती है, स्वयं उन के मुंह से ही कट जाता है ।

सरकारी विभागों को छोड़ कर आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में देखिये कि क्या अवस्था है। जितने भी प्राइवेट उद्योग धंधे हैं जिन पर कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है जहां पर सरकार का अधिकत्य नहीं है उन में आदिवासियों और हरिजनों को कितने स्थान मिले हुए हैं और उन को क्या सुविधाएं वहां पर प्राप्त हैं। बड़े बड़े शहरों, देहातों और कस्बों में जहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर व्यवसाये चलते हैं अथवा प्राइवेट लोग चलाते हैं, उन उद्योगों में लगे हुए हरिजन और आदिवासियों लोगों की हालत बड़ी शोचनीय है, स्लम्स् में वे लोग रहते हैं, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं। जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बाहरी शत्रुओं से और हमारे शोषण से पीड़ित हैं मैदानी इलाक़ों में रहने वाले भाई भीतरी कलंक और कलह से पीड़ित हैं । ऐसी हालत में अगर हम हरिजनों और आदिवासियों के लिए इस रिज़रवेशन की मियाद को १० वर्ष के लिये और बढ़वाना चाहते हैं तो क्या गलत करते हैं। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारा जीवन राजनीति से बहुत प्रभावित होता है और पार्लियामेंट और अन्य प्रान्तीय धारा सभाओं में जो ज़ोरों से बोल सकता है और अपनी मांग के लिये अच्छी वक़ालत कर सकता है, उसकी सुनवाई होती है और वह फ़ायदे में रहता है। मैं मानता हूं कि हमारे सवर्ण हिन्दू भाईयों में लाखों लोगों ऐसे हैं जो कि हमारा हित चाहते हैं और उस के कारण आज देश में अनुकूल वातावरण पैदा हो रहा है फिर भी आप समझ सकते हैं कि दूसरे सवर्ण हिन्दुओं के बराबर आने में हरिजनों को अभी बहुत समय लगेगा । हमारे हरिजन और आदिवासी भाईयों के पैर आर्थिक और राजनैतिक गुलामी की जंजीर में सैकड़ों और हज़ारों वर्षों से जकड़े हुए हैं और आप उन से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक दम से वे घुड़ दोड़ में अन्य सवर्ण जातियों के बराबर दौड़ सकेंगे ? एक घोड़ा जो कि अस्तबल में हमेशा बंधा रहता है, पैर उसके जकड़े रहते हैं और उस को खाने पीने का कोई ठीक इंतजाम नहीं होता वह एक मस्त घोड़े के बराबर जिसको कि पूरी आज़ादी है और जिस को कि सब चीज़ों का आराम है उस के बराबर रेस में कैसे दौड़ सकता है और यक़ीनी बात है कि वह उस मस्त घोड़े से पिछड़ जायेगा । ठीक यही हालत हमारे हरिजन भाइयों की है । वे आज से नहीं अपितु सैकड़ों और हज़ारों वर्षों से पीड़ित अवस्था में रहते आये हैं और उन का हर प्रकार से शोषण होता आया है, आज एक दम से उन से आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अन्य सवर्णों की बराबरी कर सकेंगे। वह घोड़ा जो कि टी० बी० आदि रोगों से ग्रस्त हो वह उस मस्त घोड़े की रेस में कैसे बराबरी कर सकता है जो कि आराम से हज़ारों सालों से दाना खाते खाते मस्त हो गया है ? इसलिए अगर शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज् के लिए रिज़रवेशन की मियाद १० वर्ष के लिए और बढ़ाये जाने की मांग की जाती है तो वह कोई बेजा बात नहीं करते हैं।

अभी आप देखिये कि हमने कई स्थानों में उन को संरक्षण नहीं दिया है। राज्य सभा, नगरपालिकाओं, निगमों, ग्राम पंचायतों और विधान परिषदों में हमने हरिजनों को संरक्षण नहीं दिया है, वहां पर उन की संख्या कितनी है ? आज हम देखते हैं कि सैकड़ों वर्षों से सरकारी नौकरियों में हरिजन और आदिवासियों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उसका कोटा पूरा नहीं

[श्री जांगड़े]

होता है और उन की जगह होते हुए भी हरिजनों को नहीं रक्खा जाता है और बार २ शासन की ओर से यह कह दिया जाता है कि हरिजनों और आदिवासियों में एफ़िशियेंसी न होने के कारण और योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण जगह खाली कर दी गई और वह स्थान दूसरों के द्वारा भर दिया गया। दूर क्यों जाइये इसी संसद् में और दूसरी विधान परिषदों में जहां कि हरिजन और आदिवासी लोग चुन कर आये हैं, आप देखिये कि वे कितने पढ़े हैं, उनकी क्या योग्यता है, मैं कटाक्ष नहीं करता लेकिन उसको कोई भी देख सकता है। आख़िर हम जो संरक्षण मांग रहे हैं वह किसी दूसरे के अधिकार को छीन कर तो मांग नहीं रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासियों और हरिजनों की जितनी संख्या है उसके अनुपात से हमें जगहें दी जायें। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारी संख्या के अनुपात से हमें रिज़रवेशन दिया जाय और यह मांग कर के हम किसी दूसरे के अधिकार को नहीं छीन रहे हैं। और फिर भी हम लोग जो कि हमेशा से दूसरों के आश्रित रहे हैं और उन के नीचे रहते आये हैं कैसे हम दो वर्ष के भीतर उन के बराबर आ सकते हैं। पिछले आठ वर्षों से हमारे लिये किये गये प्रयत्नों का ज़िक्र शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में मिलता है और उस के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में संसद् और विधान परिषदों में दिये गये उत्तरों से पता चलता है कि हमारे उद्धार के लिए किये गये प्रयासों की गति बहुत ही धीमी रही है और उस हालत में क्या २ वर्षों के अन्दर जितनी तरक्क़ी हम चाहते हैं कर सकेंगे? मैं समझता हूं कि हम नहीं कर सकेंगे और इसलिए हम मांग करते हैं कि इस रिज़रवेशन की अवधि को १० साल के लिए और बढ़ा दिया जाय और अगर ऐसा किया जाता है तो वह कोई बेजा चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ७ मिनट से ज्यादा समय लेने का यत्न नहीं करना चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : श्रीमान् अनुसूचित जातियों की स्थिति जैसे पहले थी वैसी ही अब भी है।

पहले पहल अनुसूचित जातियों के सदस्यों का नाम निर्देशन होता था। सब से पहले संरक्षण के लिये डा० अम्बेडकर ने प्रयत्न किये थे। साम्प्रदायिक पंचाट के अनुसार पृथक निर्वाचन मंडल बने थे। किन्तु इस के विरुद्ध महात्मा जी ने व्रत किया था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ—ख़ैर यह लम्बा इतिहास है जिसे मैं नहीं दुहराऊंगा।

आप को पता ही है कि अम्बेडकर साहेब स्वतः चुनाव हार गये थे इसका कारण यह था कि वह हरिजनों के हितों के लिये लड़ते थे। इसी लिये सवर्ण हिन्दुओं ने उन के पक्ष में वोट नहीं डाले।

हमारे अधिकतर मतदाता सवर्ण हिन्दु हैं। हम इस प्रकार वास्तविक प्रयोजन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यदि हम अपनी शिकायतें यहां रखें तो हिन्दु हमारे लिये कभी वोट न दें। सभी लोग इसी बात से डरते हैं।

मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों की सच्ची प्रतिनिधि संस्था अनुसूचित जाति संघ है। और कोई दल भारत में ऐसा नहीं है। उस संस्था के एक संकल्प में

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह मांग की गयी थी कि संरक्षणों के उपवन्धों को शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाये । इस का कारण यही था कि इस प्रकार वास्तविक प्रतिनिधि तो कभी भी चुने ही नहीं जाते । मराठी की एक कहावत है कि नपुंसक की पत्नी होने से तो विधवा होना अच्छा है ।

इस से तो यही अच्छा है कि अब हम अपनी टांगों पर खड़े हो जायें और दूसरों का मुंह न ताकें । ज्योंही ये संरक्षण समाप्त हो जायें तो सब हरिजन एकत्रित हो जायेंगे चाहे अब वे कहीं भी हैं । उस स्थिति में ही हमारे बीच संगठन की भावना पैदा होगी । तब हम अपना हक मांग सकेंगे । इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीम नगर---रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं वास्तव में इस समय हरिजनों के हितों के लिये ही नहीं बोल रहा हूं बल्कि सवर्ण हिन्दुओं के हितों में बातें कहूंगा । आपने अभी श्री गायकवाड़ को सुना जिन्होंने इस बात का पूर्व इतिहास सुनाया ।

श्री कोडियान ने बताया कि राज्य -सभा इत्यादि में भी अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है । यदि यह संरक्षण हटा लिया जाये तो केवल यहां ६ सदस्य ही अनुसूचित जातियों के रह जायें ।

हमारे सामने अनुसूचित जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन आ चुका है । अब सरकार को उसी से यह अनुमान लगा लेना चाहिये कि क्या संरक्षण हटा लिया जाये या जारी रखा जाये । माननीय गृह-मंत्री ने कहा है कि सरकार १९६२ में इस प्रश्न पर विचार करेगी । हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं ।

जब संविधान बनाया गया उस समय यह विचार था कि दस वर्ष की अवधि के भीतर स्वतंत्र भारत के लोग अपने भाइयों से बर्ताव करना सीख जायेंगे ।

किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी उस समय उनके हृदय में एक सन्देह विद्यमान था कि इतने समय में समस्त बुराइयां तो नष्ट नहीं की जा सकेंगी । जब गांधी जी जैसे लोग समस्त जीवन में इस समस्या का हल न कर सके तब यह सरकार कैसे कर सकती है ।

यदि सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ही कोई विशिष्ट योजना बनाती है तो ठीक है हम समझ सकते हैं कि १९६२ तक कुछ हो जायेगा किन्तु इस स्थिति में यह सब कैसे हो सकता है ।

इस दस वर्षों में हो भी क्या सकता था । जितना अभ्यंश इन जातियों के लिये सरकार ने रखा था वह ही पूरा नहीं हुआ है ।

यदि सरकार ने कुछ करना है तो वह इनकी अवधि को सम्मान सहित बढ़ाये । दस वर्ष की अवधि में भला क्या हुआ है । अन्य अल्प संख्यकों को गत साठ साठ वर्षों से संरक्षण मिल रहा है । मैं इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार भी इसे स्वीकार करेगी ।

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा रक्षित---अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव पर दो तीन भाषण हुए और एक ऐसा भी भाषण हुआ जिस में रिजरवेशन का विरोध किया गया, रिजरवेशन की जो मांग की जा रही हैं उसका विरोध किया गया । आप देखें कि यह रिजरवेशन का विरोध ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा हो रहा है जो कि चुनावों में हार जाने के कारण फ्रस्टेट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

(निराश) हुए हैं। इस का विरोध करने वाले ऐसे ही लोग हैं जो यातो हार गये हैं या जिनके दिल में यह बात नहीं है कि हरिजन समाज के अन्य लोगों के समान ऊंचे हो जायें।

आप जानते हैं कि जिस समय कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में रिजरवेशन देने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो उस वक्त सब सदस्यों को यही राय थी कि यह जो दस वर्ष का समय है वह अधूरा है। इतना ही नहीं परन्तु बाबा अम्बेडकर ने, जिनके अनुयायी आज इस चीज का विरोध कर रहे हैं कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में जो कहा था उसका उद्धरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि :

"मैं अधिक समय के लिये आग्रह करता क्योंकि मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों से अन्य अल्प संख्यकों का सा व्यवहार नहीं किया जाता"

†**श्री भ० कृ० गायकवाड़** : आप हाल का संकल्प देखें जो उनकी अध्यक्षता में १९५५ में स्वीकृत हुआ था।

श्री बालकृष्ण वासनिक : मैं आज यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्हों ने उस वक्त क्या कहा था। इस के आगे मैं आपको बताऊंगा कि डाक्टर साहब ने अपने भाषण में आगे यह कहा था :

"यदि दस वर्ष पश्चात् इन लोगों की स्थिति न सुधरी तो उन के लिये अन्य तरोके निकाल कर अग्रेतर संरक्षण प्राप्त करना बड़ा काम न होगा।"

डाक्टर साहब ने जो अदर वेज़ (अन्य तरीक़े) के बारे में कहा उस के सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम तो वैधानिक तरीकों से ही इस पीरियड को बढ़वाना चाहते हैं। २५ फरवरी को इसी प्रकार का एक प्रस्ताव राज्य सभा में आया था और उस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए पंडित पंत होम मिनिस्टर ने, आप जानते हैं, यह मान्य किया था कि आज हरिजनों की हालत कुछ इतनी सुधरी हुई नहीं है कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरे समाज के साथ बराबरी से काम करने लगें। उनका एक वाक्य मैं यहां पर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"मैं इस बात को मानता हूं कि आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं हैं कि वे अपने सहारे खड़े हो सकें और समाज के अन्य भागों का मुकाबला कर सकें।"

परन्तु इतना मान्य करने के बावजूद भी होम मिनिस्टर साहब ने आगे कहा कि यह जो सवाल है यह सवाल फिल.हाल न तो अरजेंट (अविलम्बनीय) है और न इंपारटेंट (महत्वपूर्ण) है। उन के कहने का मतलब इतना ही था कि धारा ३३४ का जो प्रोवाइजो है उस में यह कहा गया है कि यह जो प्रेजेंट हाउस है यह जितने दिनों तक रहेगा उतने दिनों का यह रिजरवेशन रहेगा। परन्तु आप जानते हैं कि यह प्रोवाइजो किस स्थिति में हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में श्री नाजिमुद्दीन ने इस प्रोवाइजो को मूव किया था और उसी को मूव करते वक्त उन्हों ने कहा था :

"बात यह है कि संविधान के आरम्भ होने के बाद दस वर्ष की अवधि का समाप्त होना तथा लोक-सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं की अवधि का समापन संभवतया एक साथ न हो। हो सकता है कि दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर विधान सभाओं की अवधि समाप्त न हो। यह ही द्विविधाजनक बात है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार से यह केवल दस वर्षों का समय निर्धारित करने के बाद में एक विचित्र सी परिस्थिति निर्माण हुई होती कि ये जो रिज़र्व्ड जगहों पर चुन कर आए हुए सदस्य हैं, यदि दस वर्ष समाप्त हो जाने के बाद फिर हाउस रहता है, तो उन की सीटों का हाल क्या होगा ? क्या वे फिर कान्टीन्यू करेंगे या रिज़र्वेशन खत्म हो जाने के बाद उन की सीटें चली जायेंगी और फिर दूसरे चुनाव करने पडेंगे ? ऐसी कोई विचित्र परिस्थिति निर्माण न हो, इस के लिये वह प्राविज़न किया गया था और मेरा ख्याल है कि केवल उस प्राविज़न का सहारा लेकर यदि आज हम इस बात को कहने लगें कि हम दो तीन साल और ठहर जायें और फिर बाद में इस कांस्टीच्यूशन को अमेंड करने का सवाल उठाया जाये तो यह उचित होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वास्तव में इन्हीं दस वर्षों में यह रिजर्वेशन समाप्त हो रही है। आप जानते हैं कि आज अस्पृश्यों और हरिजनों की हालत कुछ सुधरी हुई नहीं है। उन को कुछ और समय तक रिज़र्वेशन, संरक्षण देने की अत्यन्त जरूरत है। इन सब दृष्टियों से यदि आप देखेंगे, तो आप पायेंगे कि रिज़र्वेशन का पीरियड बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है।

एक और बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। आज हरिजनों में कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं, जो उन में द्विराष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करना चाहते हैं, जो उन को सामान्य सवर्ण हिन्दू समाज से तोड़ कर, अलग कर के, इन दोनों समाजों में द्वेश और विद्वेष की भावना को पनपा कर अपनी नेतागीरी बनाना चाहते हैं। मैं आप से कहूंगा कि वे लोग जो अस्पृश्यों में द्विराष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करना चाहते हैं, जो अस्पृश्ययों और सामान्य सवर्ण हिन्दुओं में द्वेश की भावना को पनपना चाहते हैं, केवल अपनी लीडरशीप को बनाने के लिये, केवल असेम्बली में कुछ स्थान और ऐसी दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों से अस्पृश्ययों का संरक्षण करने के लिए और समाज को विद्वेष की भावना से बचाने के लिए यह रिज़वेशन का पीरियड कुछ समय के लिए बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

†**श्री वें० च० मलिक (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)** : श्रीमान् मैं इस संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

जब अनुच्छेद ३३४ रखा था उस समय लोगों का यही विचार था कि इससे सरकार हरिजनों की शिकायतों को काफी हद तक दूर कर सकेगी। इसका यह भी प्रयोजन था कि हरिजनों को अपने आप स्वतन्त्र खड़े होना सिखाया जाये। उन्हें शिक्षा आदि देकर सामान्य लोगों के स्तर पर लाया जावे। किन्तु क्या सरकार यह सब करने में सफल हुई ? श्री पंत ने स्वतः राज्य सभा में यह कहा है कि अभी तक अनुसूचित जातियों के लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। यही स्थिति अनुसूचित आदिम जातियों की है। अतः इस उपबन्ध का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ है।

पहली योजना में सरकार ने आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण पर ३९ करोड़ रुपये व्यय किये तथा दूसरी में ९१ करोड़ की राशि रखी गयी है। किन्तु जितनी प्रगति हुई है वह अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि राज्यों तथा विभागों में कोई समन्वय नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वै० च० मलिक]

यदि आप इन संरक्षणों को अब हटा लेते हैं तो ८ करोड़ जनता से यह घोर अन्याय होगा। अब राज्य-सभा में ही देखिये वहां उड़ीसा राज्य का कोई भी हरिजन या आदिवासी सदस्य नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि अपर-सभाओं में भी संरक्षण होने चाहिये।

जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है कहा जाता है कि उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण अभ्यंश की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो काम सरकार ने हमें दिये हैं उन्हें वह अवश्य पूरा करें।

राज्य-सभा में कई सदस्यों ने कहा कि संरक्षण के स्थान पर नाम-निर्देशन किया जाना चाहिये। इससे तो उलटे और भी कठिनाइयां सामने आयेंगी। कोई भी अपने क्षेत्रीय लोगों का जिम्मेदार न होगा। भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की वृद्धि हो जायेगी।

अनुसूचित जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में यह बात स्पष्टतया लिखी गयी है कि इस संरक्षण से जातिभेद स्थायी नहीं होंगे। वास्तव में संरक्षण तो लाभदायक होंगे क्योंकि अन्ततोगत्वा इन्हीं से तो समानता आयगी।

अतः यह संकल्प उपयुक्त है और यह मांग पूर्ण रूप से उचित है। सभी लोग यह मांग कर रहे हैं।

†श्री अय्याकण्णु (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां): यद्यपि जाति भेद हमारे राष्ट्र के लिये अत्यन्त घातक हैं किन्तु श्रीमान मुझे इस संकल्प का समर्थन करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि जातिवाद बहुत ही बुरी चीज है और जो लोग इसे किसी भी प्रकार से बनाये रखने चाहते हैं वे घृणित कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं उसे व्यक्त करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। हमारे सविधान मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १० वर्ष तक संरक्षण देने के की व्यवस्था है। आशा थी कि इस काल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समुचित प्रगति हो जायेगी, परन्तु वास्तविकता यह है कि हुआ कुछ भी नहीं। आर्थिक दृष्टि से तो उनकी तनिक भी उन्नति नहीं हुई है। अनुसूचित जातियों के किसी भी व्यक्ति को परिवहन सम्बन्धी एक भी 'परमिट' नहीं दिया गया, और न ही इस प्रकार के अवसर ही दिये जाते हैं कि वे व्यापारी बन सकें। हालांकि हमारी श्रेणी के बहुत से लोगों ने देश से बाहर जा कर, व्यापार द्वारा काफी समृद्धि प्राप्त की है। जब तक इन लोगों को समान स्तर पर नहीं लाया जाता, कोई प्रगति सम्भव नहीं है। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भी इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। बुद्धि किसी जाति विशेष की बपौती तो नहीं, यदि हरिजन बच्चों को अच्छे सामाजिक वातावरण में रख कर उचित शिक्षा दी जाये तो वे अन्य लोगों से अच्छे निकल सकते हैं।

गांधी जी के काल में तो अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ काम हुआ था परन्तु इसके पश्चात सब सो गये। कम से कम अस्पृश्यों को यह मान्यता तो दी ही जानी चाहिये कि वे मनुष्य हैं। मेरे कुछ मित्र यद्यपि बड़े उत्साह से कोई कार्य कर रहे हैं परन्तु उनकी संख्या कितनी है? इस दिशा में बहुत ही कम काम हुआ है। और अब वह समय आ गया है जब हमें इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य ही चाहिये। यदि इन लोगों की आर्थिक अवस्थाओं के सुधार के लिए कोई सक्रिय कदम न उठाये गये तो देश में क्रांति हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल स्थानों के रक्षण से भी कुछ नहीं बनेगा। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य होना चाहिये, परन्तु कहीं भी ऐसा नहीं किया गया। गृह-कार्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री इगनेस बेक** (लोहरदगा-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : विधान सभाओं में रक्षित स्थानों को अवधि दस वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये यह प्रश्न विचाराधीन है। मेरा कहना है कि यह रक्षण तब तक दिया जाना चाहिये जब तक कि हम अपने पांवों पर खड़े नहीं हो जाते। यह बात वैसी ही है जैसे कि परिवार की ओर से तब तक बच्चे को सहायता मिलती रहती है जब कि वह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। जिस प्रकार रक्षित बच्चा अपने परिवार से बाहर नहीं जा सकता, उसी प्रकार हम भी अपने समाज से बाहर नहीं जा सकते। आवश्यकता इस बात की है हमें पांव पर खड़ा होना सिखाया जाये, और यही इस संकल्प का सार है।

यह ठीक है कि प्रत्येक सदस्य के दो पिक्ष होते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रक्षण की आवश्यकता नहीं। दस वर्ष की व्यवस्था तो संविधान में है पर इस अवधि में यह समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि यह सदियों से चली आ रही है। इस लिये कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। और समय विचार छोड़ कर सरकार को इस ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिये। जो लोग रक्षण की मांग पर क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें इस प्रश्न पर मानवीय ढंग से सोचना चाहिये। हम परस्पर लड़ रहे हैं देश के सामुहिक हित की ही बात करते हैं।

†**श्री बहादुर सिंह** (लुधियाना—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मेरा मत है कि यह रक्षण अधिक नहीं तो कम से कम १० वर्ष के लिये तो बढ़ाया ही जाना चाहिये। राज्य सभा तथा विधान परिषदों में संरक्षण बिल्कुल हो नहीं है। यही कारण है कि राज्य सभा में इन जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत थोड़ा है १९५२ में पंजाब विधान परिषद् के ४० सदस्यों में से एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं चुना जा सका। बाद में राज्यपाल ने वहां एक व्यक्ति को मनोनीत किया। पेप्सू के विलय के बाद इस परिषद् की सदस्य संख्या ५३ कर दी गयी, परन्तु इस से भी कोई अन्तर नहीं पड़ा। रक्षण के बिना ये लोग विधानमंडलों अथवा संसद् में निर्वाचित हो जायेंगे, यह समझना भारी भूल है। अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में नवीनतम जानकारी से भी यही पता चलता है कि ये लोग समूचित प्रगति नहीं कर पाये हैं। वे अभी अपने पांव पर खड़े होने में असमर्थ हैं। इस लिये उन्हें रक्षण की आवश्यकता है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्री दीनवन्धु परमार द्वारा जो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स् अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए लोक सभा और विधान मंडलों में रिज़रवेशन (रक्षण) की अवधि को दस वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि यह सदन भी उसका पूर्णतया समर्थन करेगा।

मेरे एक माननीय सदस्य जो कि सामने बैठे हैं, काली टोपी वाले . . .

एक माननीय सदस्य : काली नहीं नीली टोपी वाले।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : नीली है, ठीक है, मुझे यह यहां से कालो नजर आ रही थी। केवल उन नीली टोपी वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन के अतिरिक्त सदन् के सभी सदस्यों ने जो अब तक बोले हैं, उन सब ने इसका समर्थन किया है।

जहां तक इस दस साल का सम्बंध है जो कि सन् १९५० से लेकर सन् ६० तक का पीरियड (काल) है, उस के अन्दर हमें देखना यह है कि अब तक कितनी प्रगति हुई है। मैं देखता हूं कि हमारे सामने दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उन दोनों योजनाओं में हरिजनों के कल्याण के लिए बड़ी २ राशियों खर्च की गई हैं। जितनी राशि अब तक उन पर खर्च की गई है उसका यदि हम हिसाब लगा कर देखें कि सार्वजनिक रूप से प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ है, उस दृष्टि से अगर हम हिसाब लगा कर देखें तो पायेंगे कि हरिजन और आदिम जाति के लोगों के लिए वह राशि बहुत कम है और अगर यह काम हमें १० वर्ष मे पूरा करना है तो इस राशि को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें इनके कल्याण के लिए मार्ग ढूंढना है। आप विचार कीजिये कि एक विद्यार्थी है। वह अपनी पढ़ाई आरम्भ करता है तो दस वर्ष में बहुत मुश्किल से मैट्रिक पास करता है। अब आप ख्याल कीजिये कि १९५० से जब से कि यह रिजरवेशन शुरू हुआ है दस वर्ष में कितना कर सकता है। एक मैट्रिक पास विद्यार्थी अगर मान लीजिये पहली जमात में पढ़ना शुरू करता है, मैट्रिक पास करता है और उस वक्त वह रिजरवेशन खतम हो जाता है तो उसका उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर हम सब दृष्टियों से देखें तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि रिजरवेशन की मियाद और बढ़ाई जानी चाहिए। १९६१ में जब नई जनगणना हो तो उसमें इस पर विचार किया जाना चाहिए और उसमें हिदायत और आदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि १९५१ के आंकड़ों से मुकाबला करके हम यह पता लगा सकें कि हरिजनों की आर्थिक दृष्टि से कितनी उन्नति हुई है। पहले एग्रीकलचरिस्ट्स और नान एग्रीकलचिरस्ट्स लोग कितने थे और अब कितने हैं, अब कितनों को भूमि दी गई है और कितनों के पास अब भूमि है, यह सब आंकड़े हमें इकट्ठे करना चाहिए और उसके बाद हमें इस विषय में कोई निश्चय करना चाहिए।

जहां तक उनके सामाजिक स्तर में हुई उन्नति का सम्बन्ध है मेरा कहना यह है कि बड़े बड़े शहरों को छोड़ कर गांवों में आज भी वे उसी दलित अवस्था में रह रहे हैं और चूंकि अभी तक वांछित हृदय परिवर्तन नहीं हो पाया है इसलिए सरकार को उसके लिए पिछली बार कानूनी व्यवस्था करनी पड़ी।

कानून बन गया, किन्तु गांवों के अन्दर आज भी उस का कोई भय लोगों में नहीं है। मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो देखता हूं आज भी हरिजनों की सामाजिक अवस्था उसी तरह से है। मैं मनाता हूं कि दिल्ली में और राज्यों की अपेक्षा कम छुआछूत बरती जाती है। यहां अस्पृश्यता कुछ कम है, किन्तु जितनी भी है वह कम से कम मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली है। मेरे हृदय को इससे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं, गलियों और मुहल्ले में जा कर के, कि उन की अवस्था आज भी उसी तरह से है जैसी ५० साल पहले थी। बहुत सी जगहों में मैं देखता हूं कि उन लोगों की अवस्था दयनीय होती जा रही है। आज उन के पास अपने गांवों में न कोई जमीन है, न मकान है। जिस जगह वह बैठे हुए हैं वह भी किसी दूसरे की होती है। जब भी उन के बारे में कुछ कहा जाता है तो जिन की जमीन में वह रहते हैं वह कहते हैं कि वह लोग हमारी प्रापर्टी में रहते हैं। जब जब चुनाव का अवसर आता है—आज कल कारपोरेशन का चुनाव होने

वाला है—मुझे गांवों में जाने का मौका मिलता है । जब मैं हरिजनों से जा कर कुछ कहता हूं तो वे कहते हैं कि हम लोग जिन की जमीन में बैठे हुए हैं, बताइये हम उन के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं और जब जब हम गये हैं हमें ताड़ना दी गई है । रामनाथपुरम आप के सामने है । वहां हरिजनों का कुसूर क्या था ? वह यही था कि उन्होंने एक पार्टी को खुले दिल से वोट किया और उस के विरोध में जो दूसरे लोग थे उन्होंने उन को ताड़ना दी । इस सदन के सामने पहले भी यह चीज आ चुकी है और उस के ऊपर विवाद हो चुका है। तो यह कुछ कठिनाइयां हैं जो हमारे हृदय को ठेस पहुंचाती हैं ।

एक माननीय सदस्य: वह रिर्जेवेशन से भी दूर नहीं हो सकतीं ।

श्री नवल प्रभाकर: जरूर होंगी । हम कई बार मन में सोचने लगते हैं कि ठीक है, छुआछूत मिटती जा रही है । जब हम नई दिल्ली में घूमते हैं तो सोचते हैं कि छुआछूत मिट गई है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारी यह धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है । हमारे भाई ने कहा है कि अगर रिजर्वेशन दिया जाय या और आगे बढ़ा दिया जाय तब भी ऐसी ही अवस्था रहेगी । मैं उन से कहना चाहता हूं कि आप उस जमाने की कल्पना कीजिये जिस में हमारी परछाई से लोग डरते थे । हमारे बच्चों को देख कर लोग घृणा करते थे और जब हमारी परछांई पड़ जाती थी तो उन को स्नान करना पड़ता था । आज वह अवस्था नहीं रही है । परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिये उतना नहीं हुआ है । इस बात को आप को मानना पड़ेगा कि शनैः शनैः सब काम होता है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस को दस वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय तो पिछले दस वर्षों में जितना कार्य हुआ है, आगामी दस वर्षों में उस से आगे होगा और मैं समझता हूं कि हम उस में और तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों के बराबर पहुंच जायेंगे ।

इस के साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । दस वर्ष के बाद भी इस तरह होना चाहिये कि जब से दस वर्ष आरम्भ हों, देखना चाहिये कि उस में हरिजनों में कितना प्रचार हुआ । जिन्होंने ज्यादा तरक्की की है, उन को हरिजनों में से या आदिम जातियों में से निकाल देना चाहिये और पिछड़े वर्ग में डाल देना चाहिये । जिस तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें मिलती हैं उसी तरह से उन्हें भी मिलनी चाहियें । बाकी बचे हुए जो हरिजन या आदिम जातियों के लोग हैं वे पहले ही की तरह से इस का लाभ उठाते रहें । जब उन में से कोई जाति या वर्ग तरक्की करे, तो उस के लोगों को भी पिछड़े वर्ग में डाल दिया जाय ।

मेरी सरकार से यह विनम्र प्रार्थना है और मैं जोर दे कर कहना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन है जिस की अवधि दस साल के लिये बढ़ाने के लिये कहा जा रहा है वह बिल्कुल सही है और मैं उस का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

†**श्री मनायन** (दार्जिलिंग): यह संकल्प बड़े महत्व का है और इस अवसर पर हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समस्याओं के सभी अंगों का पुनरीक्षण करना चाहिये । संविधान के निर्माण करने वालों ने जब इन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था की थी तो उनके मन में क्या था । यही कि इन जातियों को फिर से उन्नत बनाया जा सके । और इन पिछड़े और दबे हुये लोगों को उभारा जाय ताकि सामाजिक व्यवस्था में वे भी पूरे अवसर प्राप्त कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनायन]

यह संरक्षण आगे जारी रहे अथवा न रहे इसका निर्णय केवल इस बात को समक्ष रख कर किया जाना चाहिये कि गत कुछ वर्षों से इस दिशा में हमने कितनी सफलता इस दिशा में प्राप्त की है । क्या हम इन जातियों के लोगों का सामान्य जीवन स्तर ऊंचा कर पाये हैं ? मेरा मत तो यह है कि स्थानों के रक्षण की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प पर विवाद करने के बजाय हमें इस अवसर पर यह घोषणा कर देनी चाहिये कि जिन कारणों से इसकी अवधि बढ़ाने की जरूरत है उन्हें ही दूर कर दिया जायेगा । गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मामला बहुत महत्व का नहीं और अभी हाल १९६२ तक ऐसा ही चलेगा । यह तो ठीक है कि जहां तक उपबन्धित स्थानों के रक्षण का प्रश्न है यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, और इससे ही समस्या हल नहीं होगी । ८ करोड़ लोग केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होंगे । इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करना होगा ।

[श्री पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

ये जातियां हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं । एक अंग की रुग्णता से सारे शरीर को नष्ट कर सकती है । मुझे बड़ा हर्ष है कि श्री दीनबन्धु परमार ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । इस अवसर पर हम एक बार पुनः यह निश्चय करें कि हम शीघ्रता से अपने पिछड़े हुये भाई बहनों को उभारने का पूरा यत्न करेंगे । इनमें हीनता और भय की जो भावना है उसको समाप्त करना होगा । उनकी हीन भावना को निकालना होगा और उनमें आत्मसम्मान जागृत करना होगा । उन्हें शिक्षा और आर्थिक मुक्ति के पथ पर डालना होगा । योजनायें तो बहुत हैं परन्तु यदि उनका ५० प्रतिशत भी कार्यान्वित हो जाये तो इस कार्य में पूर्ण सफलता मिल जाये ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इन लोगों के लिये स्वर्ण युग आ रहा है । मेरे विचार में उसमें सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया । ये लोग अधिकतर किसान हैं । इनके कल्याण के लिये प्रथम योजना में ३९ करोड़ और दूसरी में ९१ करोड़ स्वीकृत किया गया है । आवश्यकता केवल इतनी है कि कार्य करने वाली मशीनरी को थोड़ा सचेत किया जाय । जिला कल्याण अधिकारी को अपने इलाके में इस सम्बन्ध में कार्य करना चाहिये और इसकी प्रति मास रिपोर्ट देनी चाहिये ।

इन शब्दों से मैं संकल्प का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस समस्या को हल करना सारे राष्ट्र का कर्तव्य है ।

श्री यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, यह जो संकल्प है उसका मैं आम तौर से समर्थन करता हूं । आज इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि हरिजनों और आदिम जाति के लोगों के लिये लोकसभा और असेम्बलियों के अन्दर जाने के लिये दस वर्ष के लिये और संरक्षण मिलना चाहिये । परन्तु जब मैं इसका समर्थन करता हूं तो इसके साथ साथ इस माननीय सदन के सदस्यों और विशेष रूप से अपने सामने बैठे हुये हरिजन बन्धुओं से यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर भी ध्यान दें कि यह संरक्षण क्यों दिया जा रहा है । इसका एक मात्र कारण यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही प्रकार से हरिजन, आदिम जातियों और मैं तो जोड़ना चाहता हूं कि पिछड़े हुये वर्ग के लोग, जो सदैव से पीड़ित चले आ रहे हैं और जो असमानता के शिकार रहे हैं, उनको संरक्षण की जरूरत है । उस ओर से, इस समय तो वह माननीय सदस्य नहीं हैं, श्री गायकवाड़ के ऊपर यह आक्षेप किया गया था कि वे जो इसका विरोध कर रहे हैं वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कर रहे हैं । मैं उस आक्षेप का उत्तर देना चाहता हूं ।

अगर सरकार ने हरिजनों को उठाने का प्रयत्न किया होता और यह संरक्षण इसीलिये दिया होता कि इससे हरिजनों की दशा सुधरेगी तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये था कि वह हरिजन जो शिड्यूल्ड कास्ट फेडेरेशन से सम्बन्ध रखते हैं और जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उनको नौकरी आदि की सुविधा देते, तो यह मालूम होता कि हरिजनों की उन्नति करना चाहते हैं। पर जो हुआ है उससे तो यही कहा जा सकता है कि हरिजनों की अवस्था सुधरी नहीं है। लेकिन यहां तो प्रश्न रिजरवेशन का किया जा रहा है। इधर से नहीं उधर से। यह लांछन बिला वजह हम पर लगाया जा रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिन हरिजनों ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया है क्या ऐसा करने मात्र से उनकी परिस्थिति में कोई तबदीली हो गई है? क्या उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी हो गई है? नहीं कदापि नहीं हुई। तब इस ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया। तो जब यह स्थिति है तो मैं कहता हूं कि संरक्षण मांगना कहां तक ठीक है। अगर यह कहा जाय कि संरक्षण मात्र से काम चल जायेगा तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर कुछ विधान सभाओं में और इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों के आ जाने से या कोई हरिजन मंत्री हो जाने से समस्या का हल नहीं होता। हरिजनों की दशा वैसी ही रहेगी।

इस माननीय सदन में आदिम जाति और हरिजनों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उस पर बहस की गई। उस रिपोर्ट से भी यही मालूम होता है कि इन लोगों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। हरिजनों को पानी पीने के लिये कहीं-कहीं कुवें बनाये जा रहे हैं, कहीं मकान बनाने के लिये सीमेंट दिया जा रहा है। परन्तु ये तो लड़के को खिलौना देने के समान हैं, और क्या है।

एक माननीय सदस्य: क्या आप चाहते हैं कि कुवें न बनाये जायें।

श्री यादव: कुवें बनाये जायें लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहियें। मंत्रियों के होने से काम नहीं चल सकता। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई डा० अम्बेडकर जैसे लोग होते जो कि अपनी योग्यता से आत्म सम्मान से मंत्री बने होते तो मुझे आनन्द होता। लेकिन आज तो चाटुकारिता के नाम पर, और ऊंची जाति वालों और कांग्रेस पार्टी की खुशामद करके गद्दी पर बैठने में हरिजनों के लिये सम्मान की बात नहीं है। क्या है आज? पुराने जमाने में जमींदार भी अपने पुराने नाई, धोबियों को अच्छे काम करने के एवज़ में कभी-कभी जमींदारी वगैरह चीजें दे दिया करते थे। यह उसी के समान है। अगर स्थिति में सुधार करने का प्रश्न होता, तो इस विषय में ठोस कदम उठाये जाते। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजन तो अपना अधिकार मांगते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि हरिजनों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत है और उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। तो क्या मांग करनी चाहिये थी? मांग यह करनी चाहिये थी कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाये। हम हरिजनों को लें। आज हरिजनों के पास खेती नहीं है और अगर है, तो अलाभकर जोत है। अगर प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया होता तो जितने हरिजन अलाभकर जोतों पर काबिज़ हैं, उनका लगान माफ़ कर दिया जाता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति में डेफ़िनेट और निश्चित सुधार हुआ होता और वे आगे बढ़े हुये होते। हरिजन और आदिवासी लोग देहातों में मज़दूर भी हैं, खेतों में काम करते हैं। आज केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई ऐसा कानून बनाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है जिसके अनुसार उनकी मज़दूरी निश्चित की जाय और केवल निश्चित ही न की जाय, उनको वह

[श्री यादव]

मज़दूरी दिलाने की भी कोशिश की जाय। केवल कानून पास करने से ही नहीं होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल १६(४) और आर्टिकल ३३५ के अनुसार अगर सरकार चाहे, तो वह हरिजनों और आदिवासियों की नौकरी के लिये व्यवस्था कर सकती है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इन लोगों को हर जगह नौकरी में, खेती में, और रोजगार में काम नहीं मिलता है, तो फिर अनटचेबिलिटी आफेन्सिज़ एक्ट (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम) से और संविधान में कुछ दफ़ायें बढ़ा देने से काम नहीं होगा। अनटचेबिलिटी आफ़ेन्सिज़ एक्ट आज मौजूद है, लेकिन हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिम जातियों की रिपोर्ट में देखते हैं कि इस बारे में जिन्होंने ज्यादतियां कीं, उन पर बहुत कम मुकदमे चलाये गये—दो चार मुकदमे हैं इस तरह के। असलियत क्या है? असलियत यह है कि जिन लोगों के हाथों में कानून को लागू करने की शक्ति है, वे हरिजन, आदिम जाति और पिछड़े वर्गों के लोग नहीं हैं, वे दूसरे लोग हैं, जिनको इस में विश्वास नहीं है—विश्वास है इस में, पर केवल मात्र भाषण करने तक और यह कहने तक कि सब भाई हैं, सब बन्धु हैं, अब हिन्दुस्तान आगे बढ़ गया है। वास्तविकता से उनका कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा ख्याल है कि ६०, ६५ हरिजन माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से भी चुन कर आये हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि क्या उनमें यह शक्ति नहीं है कि जमीन का बंटवारा करो और जो लोग अपने हाथ से जमीन जोतते बोते नहीं हैं, उन से छीन लो।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कर सकते।

श्री यादव : वे सरकार से यह मांग करें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिम जातियों की सीटें रिजर्व्ड न हों, बल्कि जो थोड़े आदमी हम पर हावी हैं, उनकी जगहें रिजर्व्ड हों, तब यह समाज आगे बढ़ेगा। जो प्रस्ताव इस समय हमारे सामने है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। यह पास होना चाहिये, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव लाना तो एक राजनैतिक चाल है। श्री वाजपेयी ने कहा कि वह रिज़र्वेशन के उसूल को तो मानते हैं, लेकिन पांच और दस साल में कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई बड़ा अन्तर नहीं होता है। अन्तर क्यों नहीं होता है, यह तो वाजपेयी जी ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर छः आदमी जनरल सीट से चुन कर आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव कमीशन यह व्यवस्था करता है कि कोई डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सी नहीं होगी, हरिजनों के लिये सीट रिज़र्व्ड होगी, तब पता चलेगा कि वे कैसे आते हैं। हमारे यहां कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो कुछ वोट बढ़ जाने के कारण ही यहां आ गये हैं। इसी सदन के एक सदस्य और अब गवर्नर, श्री गिरी के खिलाफ़ हमारी पार्टी के एक हरिजन साहब जीत कर आ गये हैं। वे इसलिये नहीं आ गये हैं कि लोगों के मन का भाव बदल गया और उन्होंने उनके मुकाबले में इनको वोट दिये।

श्री वाजपेयी : उनके जीतने से यही प्रकट होता है।

श्री यादव : जो यहां पर ६० आदमी जीत कर आये हैं, वे दूसरे के बोझ पर लद कर आये हैं और उनकी मनचाही बात करते हैं।

एक माननीय सदस्य : कन्धे पर रख कर लाये हैं।

श्री यादव : जहां तक छुआछूत का सम्बन्ध है, जब तक आपस में शादी-ब्याह के सम्बन्ध नहीं होते, तब तक उसका दूर होना कठिन है और शादी-ब्याह तब तक आपस में नहीं हो सकते हैं, जब तक कि आर्थिक दशा नही सुधरती है और उसको सुधारने के लिये कदम नहीं उठाये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य ने बैकवर्ड के कई क्लास ही बना दिये अर्थात् एक दर्जे से बढ़ कर दूसरे दर्जे में रख दिया जाय दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में रख दिया जाय, इत्यादि। न जाने किस तरह के भाव ये लोग प्रकट करते हैं। इन से क्या आशा की जा सकती है।

पिछड़े वर्ग का एक आयोग बिठाया गया। उसने सारी जांच की और रिपोर्ट दी। अगर सरकार की हिम्मत होती, तो वह रिपोर्ट पर बहस करवा देती, लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं है। केवल रिज़र्वेशन मात्र से काम नहीं चलेगा। वह हो, लेकिन उसके साथ-साथ हम अपने पैरों पर मज़बूती से खड़े हों। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार पर---इस समाजवादी ढंग की सरकार पर, जो कि मेरे दृष्टिकोण में असमाजवादी है और जो केवल वोटों के लिये ही कार्य करती है, ज़ोर डालने से ही काम चलेगा। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां): इस देश में चिरकाल से अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ अस्पृश्यों का सा व्यवहार किया जा रहा है। आज के आधुनिक युग में भी स्थिति बदली नहीं। ९९ प्रतिशत गांवों में ९९ प्रतिशत अनुसूचित लोगों का सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। अस्पृश्यता के कारण हमारी प्रगति का मार्ग आज भी सर्वथा अवरुद्ध है। ऐसी स्थिति में हम सामान्य निर्वाचनों में सामान्य उम्मीदवारों के मुकाबले में कैसे निर्वाचन लड़ सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति यह है कि हम कृषि मज़दूर हैं। यदि कभी हमें ज़मीन दी जाये तो सवर्ण हिन्दू ईर्ष्या करने लगते हैं और इस प्रयोजन के लिये कि हमें ज़मीन न मिले सभी प्रकार की बाधायें पैदा करते हैं। क्या ऐसी स्थिति में हमारा सामान्य चुनाव लड़ना संभव है?

रक्षण के कारण ही हम यहां इस सभा में पहुंच सके हैं किन्तु राज्य सभा और राज्य परिषदों में जगहों का रक्षण नहीं है और आप देख सकते हैं कि वहां हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें प्रशासन और राज्य सत्ता में अधिकार नहीं दिया जाता। हम सदा ही देश और समाज के प्रति निष्ठावान रहे हैं और उनकी सेवा की है किन्तु हमारे उचित अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता।

सरकारी सेवाओं में १२ प्रतिशत सेवायें अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रखी जाती हैं किन्तु वह केवल कागज़ों में हीं। इस नियम को कभी कार्यान्वित नहीं किया जाता। कम से कम लोक सभा में तो यह रक्षण रखे रखना चाहिये ताकि हम अपनी आवाज़ उठा सकें और अपनी शिकायतें बता सकें। विरोधी दल के एक सदस्य ने मुझे कहा कि इस रक्षण से हम अपने आप को गुलाम बनाये हुये हैं। किन्तु यह गुलामी चिरकाल से चली आती गुलामी से कहीं अच्छी है।

केन्द्रीय अथवा राज्यों के मंत्रिमंडलों में हमें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। मैंने एक मुख्य मंत्री से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि केन्द्र हमें इस बात की अनुमति नहीं देता। यदि लोक सभा में हमें रक्षण प्राप्त न होता तो यहां भी हमारा कोई प्रतिनिधि न होता।

देश के कुछ लोगों का मत है कि इस रक्षण से पृथकत्व की भावनायें पैदा होंगी। किन्तु इतिहास इस बात का प्रमाण है कि पृथकत्व का दुर्व्यवहार हमें हिन्दुओं के हाथों सहना पड़ा है। अतः यह तो उन्हें प्रमाणित करना चाहिये कि वे साम्प्रदायिक नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के लोग कभी भी देश द्रोही नहीं हुये वरन् अन्य लोग ही देश द्रोह करते रहे हैं। आज भी यदि आप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिम्मय्या]

अनुसूचित जातियों को सत्ता प्रदान करें तो उनका व्यवहार सभी वर्गों के प्रति समान रहेगा । अनुसूचित जातियां देश की एक दुर्बल श्रृंखला है और इसे अन्य नागरिकों की तरह ही समृद्ध जीवन यापन करना चाहिये ।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां): यह स्वाभाविक ही है कि जिन्होंने रक्षण के कारण सत्ता और पदों का आनन्दोपभोग किया है वे इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे किन्तु ये लोग महात्मा गांधी को अपना महान नेता मानते हुये भी उनकी राय को झुठला रहे हैं । महात्मा गांधी ने गोल मेज़ सम्मेलन में कहा था कि अनुसूचित जातियों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये ।

संविधान में रक्षण सम्बन्धी उपबन्ध आज्ञापक है और सरकार प्रबल युक्तियों के आधार पर ही उसमें परिवर्तन कर सकती है ।

मेरा यह विचार है और स्वर्गवासी डा० अम्बेडकर की भी यही राय थी कि प्रतिनिधित्व के रक्षण से हमारी राजनैतिक प्रगति अवरुद्ध हो रही है । इस से हम कभी भी देश के नागरिकों का स्तर प्राप्त नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के प्रतिनिधित्व से संसदीय परम्पराओं में अवोध पैदा हो गया है और संसदीय सरकार की प्रगति रुकी हुई है ।

वस्तुतः सत्तारूढ़ कांग्रेस दल बहुसंख्यक जाति का दल है । अतः यद्यपि उसमें कुछ मुसलमान और अनुसूचित जाति के लोग हैं किन्तु राज्य बहुसंख्यक जाति अर्थात् हिन्दुओं का है और उन्हें सदा यह ध्यान रहता है कि मुसलमानों की इच्छाओं का विरोध न हो ।

हमारी तो यह राजनैतिक राय है और यह कार्यक्रम है कि कभी भी राजनैतिक सत्ता को प्राप्त न किया जाये किन्तु सत्तारूढ़ सरकार को हमारे हितों के विरुद्ध कुछ करने न दिया जाये । रक्षण को जारी रखना अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की मान मर्यादा के भी प्रतिकूल है ।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, आज जो प्रस्ताव शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में रखा गया है, इसको अगर कानून है तो पास किया जाये और अगर कानून नहीं है, तो इसको वापिस ले लिया जाये । १९६२ तक तो रिज़र्वेशन है ही । इस वास्ते अभी इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं (**अन्तर्बाधा**) मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे बीच में आप लोग न बोलें और जब मैं बोल चुकूं तब आप बोलें ।

सभापति महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने जो यह रिज़रवेशन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रक्खा है उसके लिये मेरा कहना है कि यह छुआछूत हमारे पुरुष समाज के अन्दर उतनी नहीं है जितनी कि महिलाओं के अन्दर है और यह छुआछूत की भावना हरिजन और सवर्ण दोनों में है । यदि कोई पुरुष किसी हरिजन के साथ कांग्रेस वर्क के सिलसिले में उठता बैठता है तो उस पुरुष की स्त्री उससे कहती है कि मेरे कपड़े मत छुओ और मेरे पलंग पर मत सोओ, तुम हरिजन को छू कर आये हो । इसलिये मेरा कहना है कि जब तक अपनी महिला समाज से इस छुआछूत की भावना को नहीं मिटायेंगे तब तक हम हरिजनों का भी कभी कल्याण नहीं हो सकता है । हिन्दुओं में सवर्ण जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य तो हैं ही और वे तो हरिजनों के साथ छुआ-छूत वर्तते ही हैं लेकिन म आपको बतलाना चाहती हूं कि हरिजनों की जो ७५ के करीब जातियां

†मूल अंग्रेजी में

हैं उनमें आपस में भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव और छुआछूत वर्ती जाती है। चमार के ऊपर दूसरी जाति होती है और हम देखते हैं कि एक वसोर मेहतर से विरोध करता है और मेहतर वसोर से विरोध करता है, आपस में जब इन जातियों में एक दूसरे के साथ छुआछूत और भेदभाव वर्ता जाता हो तब यह समस्या कैसे हल हो सकती है। इसलिये आवश्यक इस बात की है कि आज जो हरिजनों की उपजातियों में आपस में छुआछूत चलती है वह ख़त्म होनी चाहिये।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि पिछले तीस सालों से मैं हरिजनों की सेवा करती आयी हूं और मुझे मालूम है कि कई ऐसे हरिजन लोग हैं जो कि बंगाल नौवाखली गये और गोवा गये और जिन्होंने कि हरिजनों की बहुत सेवा की है उन लोगों को इस जातिवाद के कारण छोड़ दिया गया है और न तो उनको टिकट मिला है और न उनकी सेवायें ली जा रही हैं। उनको न तो लोक-सभा के लिये और न ही विधान सभाओं के लिये टिकट मिला है और उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है और यह सब इस कारण हो रहा है कि हर जगह जातिवाद का बोलबाला है और इसी कारण लोक-सभा और विधान सभाओं में हर जगह पर चमार जाति के लोग आ गये हैं। इस तरह का हरिजन हरिजन में भेदभाव करना एकदम अनुचित है और मेरा सब हरिजनों को एक समान मानना चाहिये। आज हम देखते हैं कि जातिवाद का भेद हमारे अन्दर इतना घर कर गया है कि चमार २ में भी भेदभाव वर्ता जाता है और सतनामी चमार, जाटवा चमार, ऐयरवार चमार और मेहरा चमार आपस में एक नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहता है और अपनी जाति का पक्ष लेता है और इस तरह भेदभाव की नीति बरतता है। हमने देखा कि श्री कजरोल्कर ने शेड्यूल्ड कास्ट्स का रथ निकाला था उसमें ग्वालियर के जाटवों तथा हरिजनों ने काले झंडे दिखाये और इसलिये दिखाये कि तुम्हारी पार्टी ठीक नहीं है और तुम्हारी नीति ठीक नहीं है। मेरी बात का बुरा न माना जाय, मैं ज़रा बुलन्द आवाज़ में बोलती हूं लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वह सही रूप में हरिजनों में जो आज हालत है उसको दर्साती हूं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हरिजनों हरिजनों में आपस में जो छुआछूत और भेदभाव वर्ता जाता है उसको दूर करना चाहिये और जब तक वह दूर नहीं होता तब तक हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि जहां पर एक रिज़र्वर्ड सीट होती है वहां हरिजनों में आपस में तरफ़दारी होती है और एक सीट के पीछे सारी जाति के हरिजन लोग दौड़ पड़ते हैं और ऐसे दौड़ते हैं जैसे गाय के पीछे कौवे। हम देखते हैं कि एक जाति के सिवा दूसरी जाति के हरिजनों को टिकट नहीं मिलते हैं और हमने यह भी देखा है कि अगर कहीं दूसरी जाति के लोगों को टिकट दे दिया गया तो वे लोग कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब लोक-सभा में एक ग़ैर चमार महिला जो आ गई तो उसके पीछे काफ़ी हरिजन चमार लग गये कि उसे किसी तरह यहां न आने दें और जैसे भी हो उसको हरा दें। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कहां तक उचित है? इसी तरह मैं बतलाऊं कि एक सज्जन जो कि ६ साल मिनिस्टर रहे और फिर राज्य सभा के मेम्बर रहे, अब चूंकि उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिये विरोध में खड़े हो गये। आखिर यह कहां की नीति है? इसी तरह हम देखते हैं कि हरिजन उद्धार के कार्यों पर जो पैसा दिया जाता है वह ठीक तौर पर ख़र्च नहीं किया जाता है और उससे भी तरफ़दारी वर्ती जाती है। मैंने आपका बहुत समय ले लिया इसके लिये माफ़ी चाहती हूं लेकिन मैंने आज जो सच्ची स्थिति हरिजनों में है वह यहां हाउस के सामने रख दी है।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि अभी अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई क़ानून है तो इसको पास किया जाय और अगर कोई क़ानून नहीं है तो इसको वापिस किया जाय। सन् १९६२ तक इसकी मियाद है इसलिये इस बिल को लाने की ज़रूरत नहीं है।

[श्रीमती सहोदरा बाई]

जैसा मैंने शुरू में कहा मैं फिर इस चीज़ को बिलकुल साफ़ कर देना चाहती हूं कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्री यह सवर्ण हिन्दू लोग तो हम हरिजनों और आदिवासियों के साथ छुआछूत वर्तते हैं ही लेकिन हम हरिजनों की जो ७५ और अनेकों जातियां हैं उनमें भी आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव वर्ता जाता है और छुआछूत वर्ती जाती है और विधान सभाओं और लोक-सभा में टिकट देने में भी जातिवाद वर्ता जाता है जो कि सर्वथा अवांछनीय है और जिसके कि रहते हमारे लिये यह कानूनी व्यवस्था और रिज़रवेशन बेमानी हो जाता है । आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम इस जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत जो हमारे अपने बीच में विद्यमान है, उसको हटायें और तभी हरिजनों का वास्तविक अर्थ में कल्याण हो सकेगा । आज तो हम बिलकुल उसका उलटा देखते हैं और चमारों के नाम पर यहां भेदभाव होते देखते हैं । सही स्थिति बताने वाला हरिजनों को बुरा लगता है । क्यों बुरा लगता है ? हम चार वर्ण के लोग हिन्दुस्तान में हैं, जब हम चारों ही रोटी बांट कर नहीं खा सकेंगे तो कैसे काम चलेगा । हम पार्टियों में भोजन के लिये जाते हैं, हम चमार की पत्तल उठा कर फेंक देंगे पार्टी में, लेकिन चमार हमारी पत्तलें नहीं उठायेगा, मेहतर नहीं उठायेगा । वाह । यही नहीं आप देखिये कि ब्राह्मण और ठाकुर रोटी खा लेते हैं बैठ कर, लेकिन हरिजन हरिजन के पास बैठ कर रोटी नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता । तो भला बताइये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की स्थिति कैसे ठीक हो । मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के विरोध में नहीं बोल रही हूं लेकिन जब तक वह मिल कर नहीं चलेंगे तब तक स्वराज्य कैसे कायम होगा ? वे लोग सही स्थिति सदन के सामने नहीं रखते हैं, केवल ब्राह्मणों, ठाकुरों और दूसरे लोगों को दोष देते हैं । अपनी नहीं कहते हैं कि उन में क्या दोष हैं, हम में कितनी जातियां हैं, हम में क्या सुधार होना चाहिये । यह सीट कोई हमारी बपौती नहीं है, यहां सब को आना चाहिये, यह देश का काम है । आज होता क्या है कि जैसे गाय के मुख से कौवा या चील रोटी छीन ले जाती है वैसे ही हरिजन हम से सीटें चाहते हैं । आज अगर एक हरिजन जनरल सीट से खड़ा हो जाय तो जीत नहीं सकता । वह लोग आज रिजर्वेशन ले कर कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हैं । यह नीति है ।

मैं पूछती हूं कि आज से दस साल पहले हरिजनों की क्या हालत थी ? हम लोगों के जूतों के पास बैठते थे, अंग्रेज लोग उन को अपने पास नहीं आने देते थे । मगर आज चूंकि हमारी गवर्नमेंट है, आज वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बैठ सकते हैं, उन के साथ रोटी खा सकते हैं । आज स्थिति ऐसी है कि अगर हम लोग हरिजनों के पास जायेंगे तो हमें जूतों के पास बैठना होगा और वह लोग कुर्सी पर बैठेंगे । अगर उन की इसी तरह से उन्नति होती जायेगी तो एक दिन हमारी यह सीटें भी छिन जायेंगी ।

हर एक आदमी कहता है कि छुआछूत है । यह छुआछूत बन्द कैसे हो ? फलानी चीज कैसे बन्द हो । आज सावल यह है कि मान लीजिये एक गांव में शादी है । चमार के घर में बारात आती है । आज जब सवाल आता है कि ब्राह्मण और ठाकुर से जा कर पूछो कि हमें दूल्हन के दरवाजे जाना है, आप की इजाजत हमारे जाने की है या नहीं, तो वे कहते हैं कि क्या जरूरत है पूछने की । हाथी पर बैठे हैं । अगर कोई कुछ कहता है तो धत्, धत्, धत् कहने लगते हैं । यह शेड्यूल्ड की हालत है । चाहिये यह था कि उन से जा कर राम राम करते । कहते कि मालिक हमें तुम्हारे दरवाजे से हो कर जाना है, कहो तो चले जायें । तो वही लोग उन को बन्दूक देते, पिस्तौल देते, खाने का इन्तजाम करते, और सारे बन्दोवस्त करते । लेकिन यह लोग तो कहते हैं कि फलां ब्राह्मण है, ठाकुर है, उस के दरवाजे क्यों जायें । थोड़ा सा उन को सहन नहीं होता, जरा सी बात पर जते चलाने लगते हैं पट, पट, पट कर के ।

आज वही लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, लेकिन यह जो चाल उन्होंने चली है उसी सबब से है। गांवों में काश्तकार ज्यादा हैं, वह खेती करते हैं, वे ब्राह्मण ठाकुर सही स्थिति को जानते हैं ऐसी हालत में वे लोग उन की मदद कैसे कर सकते हैं ? आज वह क्या करते हैं कि जब कोई एम० पी० या एम० एल० ए० वहां जाते हैं तो उन से कहते हैं कि हम यहां किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करें ? हम शहर की ओर जायेंगे। अगर वह लोग वहां से शहर की ओर भाग गये तो देहातों का क्या होगा ? जब शहर बढ़ेंगे तो देहात खत्म होंगे। आज किसान कहते हैं कि हम क्या करें, तुम ने हमारा काम खत्म कर दिया, हमारी काश्त का बन्दोवस्त नहीं करते। जमीन पड़ी है। हरिजन लोग कुछ कर नहीं सकते हम शहर जाते हैं। सिनेमा देखेंगे, बोतल भर शराब पियेंगे। हम क्यों तकलीफ उठायें ? मैं बतलाऊं कि जितने रेलवे कर्मचारी हैं, जिन को ४० से ७० रुपये तक मिलते हैं, वह दिन में दो बोतल शराब पी जाते हैं। यह ७० रु० उसी में खत्म हो जाता है। घर की महिला रोती है, बच्चे रोते हैं। वह कहती है कि क्या करें, अब कैसे काम चलायें। रात भर वह परेशान होती रहती है। जब यह स्थिति है तो हरिजन लोग कैसे आगे बढ़ें। इस लिये मैं कहता हूं कि यह लोग यहां पर सही स्थिति नहीं बतलाते हैं।

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे विश्वास रक्खें कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने जो कुछ कहा है देश की परिस्थिति सुधारने के लिये ही कहा है।

श्री साधूराम (जालंधर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आज हमारे सामने रिजर्वेशन (रक्षण) का रेजोल्यूशन (संकल्प) आया है। रिजर्वेशन की मियाद बढ़ाने के लिये हमारे परमार जी रेजोल्यूशन लाये हैं। रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग इस देश में था आजादी के बाद, उस को कुछ रियायतें मिली हुई हैं, उन की सीट्स मख्सूस की गई हैं ताकि वह वर्ग असेम्बलीज और पार्लियामेंट में आ कर उन गरीब लोगों की नुमाइन्दगी कर सके और उन को जो सुझाव गवर्नमेंट को देने हैं वह सही तौर से दिये जा सकें। यह रिजर्वेशन दस साल के लिये दिया गया था। अब रेजोल्यूशन आया है कि उसे दस साल और बढ़ा दिया जाय।

रिजर्वेशन दो किस्मों का होता है। एक तो लेजिस्लेचर्स (विधान मंडलों) में और दूसरा सर्विसेज में। हमारे एक भाई यह चाहते हैं कि सर्विसेज में तो रिजर्वेशन कायम रक्खा जाय और लेजिस्लेचर्स में जो रिजर्वेशन है, उसे खत्म कर दिया जाय। गोया वह लंगड़ा रिजर्वेशन चाहते हैं। दो पांवों वाला रिजर्वेशन नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि जो देश भर के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह इस तरीके से ही आगे आ सकते हैं जब कि उन का रिजर्वेशन कायम रक्खा जाय। हमारा देश अभी आगे नहीं बढ़ सका है। हम समझते हैं कि इस में अभी दस साल के बजाय चालिस वर्ष लगेंगे जब कि देश में बराबरी आयेगी। जिन लोगों का खयाल है कि पिछड़े वर्ग के लोग वगैर रिजर्वेशन के ही अपनी सीटों पर आ सकते हैं या पोर्लियामेंट और असेम्बलीज़ में अपनी जगहें ले सकते हैं, उन के लिये कोई रुकावट नहीं है, उन से मैं कहता हूं कि जो सीटें आज रिजर्ब्ड हैं उन के लिये वे टिकट ले कर देख लें। वे अपनी पार्टी में पास कर दें कि हम रिजर्ब्ड सीट से किसी जगह, किसी असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये एलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन को जैनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिये। जो रिजर्वेशन देने की मुखालिफत कर रहे हैं उन को पता चल जायेगा कि उस को खत्म कर देने का असर क्या होता है।

१६.५१ म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

वह रिजर्ब्ड सीट से एलेक्शन लड़ें जो कि रिजर्वेशन को नहीं पसन्द करते हैं। वह जनरल सीट

[श्री साधू राम]

से लड़ें और पार्टी को चलायें। फिर हम देखेंगे कि उन की पार्टी के लोग कितनी गिनती में असेम्बलियों और पार्लियामेंट में आते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि अभी जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है देश में, वह बहुत कमजोर है। कमजोरी की वजह से डिमाक्रेसी (लोकतन्त्र) में, जिस में कि वोटों से लोगों का चुनाव होता है, लोग अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन से बहुत से लोग कई तरीकों से वोटों को हासिल कर लेंगे। जो लोग सही तौर पर उन की तकलीफ़ों को यहां बता सकते हैं, वह नहीं आ सकेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में एक दावा किया है कि पिछड़े वर्ग के वही असली नुमाइन्दे हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (अनुसूचित जाति संघ) के इस सदन में ६ नुमाइन्दे हैं। लेकिन आज रिजर्वेशन की वजह से इस हाउस में शड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज (अनुसूचित आदिम-जातियां) के टोटल मेम्बर १०७ हैं। क्या माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि उन की पार्टी के ६ आदमी हिन्दुस्तान के ९ करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के असली नुमाइन्दे हैं। बाकी जो हैं वह सब नकली नुमाइन्दे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

दूसरी बात यह है कि अगर रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाय तो खत्म करने के साथ ही सर्विसेज में भी वह खत्म हो जाता है। अपने गांवों के पढ़े लिखे नौजवानों के मुकाबले उन को यही तो चान्स था। इस देश में हजारों सालों से उन को कोई मौका नहीं मिला। बहुत दिनों के बाद थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर के वह लोग सर्विसेज़ में गये हैं। क्या उन को यह पता नहीं है कि दूसरे लोगों के मुकाबले में उन को कुछ रियायतें मिली हुई हैं? अगर कोई हरिजन आदमी मैट्रिक हो और दूसरा कोई हिन्दू या सिख भी मैट्रिक हो तो उन दोनों के मुकाबले हरिजन को प्रिफरेंस मिलता है। अगर हिन्दू और सिख की तालीम बी० ए० की है और हरिजन की तालीम एफ० ए० तक है तो हरिजन को ले लिया जाता है। तो क्या आप का मतलब यह है कि इस रिजर्वेशन को खत्म कर देने से हरिजन लोग खुश होंगे? मैं समझता हूं कि अभी भी रिजर्वेशन को कायम रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह नहीं कहा जा सकता कि दस वर्ष के बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कहना चाहिये कि शायद दस वर्ष के बाद भी उस की जरूरत पड़े। इस देश में पिछड़े वर्गों के लिये कुछ और सालों के लिये रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर सब को बराबरी पर लाने के लिये रिजर्वेशन को कायम नहीं रक्खा गया तो जिस तरह पर आप चाहें कानून पास कर सकते हैं, सारी असेम्बलीयां और पार्लियामेंट आज कल कानून पास कर रही हैं, आप सोच सकते हैं कि वहां पर इन लोगों की कोई नुमाइन्दगी नहीं होगी। अगर केन्द्रीय सरकार में उन की नुमाइन्दगी नहीं होगी तो मेरा खयाल है कि वह इस पिछड़े वर्ग को और पीछे डालने की कोशिश होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को ठंडे दिल से सोचें।

दूसरी बात यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि डा० अम्बेदकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने यह रेजोल्यूशन पास कर दिया है क्या वह रेजोल्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने ही पास किया है और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के साथ हिन्दुस्तान भर के लोग हैं। जो कि हरिजन हैं या पिछड़े वर्ग के हैं। तो यह कहा जा सकता है कि वह उसमें हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट फेडेरेशन की तरफ से रिजोल्यूशन का विरोध है तो वह तो अपने आपको बुद्ध कहने लगे हैं। और उन्हें रिजरवेशन के झगड़े में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वह तो कुछ चोटी के हिन्दू बन गये हैं या बौद्ध बन गये हैं। वे शिड्यूल्ड

कास्ट की लिस्ट से निकलना चाहते हैं या निकल गये हैं। तो मेरा खयाल है कि वे लोग अब इस झगड़े में न पड़ें। जब इलेक्शन आयेगा तो वे जनरल सीट्स पर से लड़ें और जो अब लोक-सभा में बैठे हैं वे लोकसभा से रिजाइन करके (त्यागपत्र दे कर) जनरल सीट से इलेक्शन लड़ें तो उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जायेगा।

मैं इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ताकि रिजरवेशन जो है वह जरूर बना रहे।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिये कह रहा हूं। मैं अनुभव करता हूं कि कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते थे किन्तु उन्हें समय की कमी के कारण अवसर नहीं दिया जा सका। मैं कार्यालय से उन लोगों की सूची तैयार करने के लिये कहूंगा ताकि गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर बहस के समय उन्हें पहले अवसर दिया जाये।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : क्या यह ठीक न होगा कि आध घंटा अधिक बैठा जाये ताकि कुछ और लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर बोल सकें।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (बाराबंकी,––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ की आबादी है। उसमें से एक को भी समय नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: एक को तो सब से पहले दिया गया और वह ले चुके हैं।

एक माननीय सदस्य: बिहार से किसी को समय नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पुकार कर कहा था।

श्री प० ला० बारूपाल: राजस्थान भी रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय: राजस्थान वाले ने तो मूव ही किया था।

†**श्री सोनावने:** प्राय: हम महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिये अधिक देर बैठा करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** कठिनाई केवल यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति ने जब समय निर्धारित किया था तो उनका यह विचार था कि अगले संकल्प के पुर:स्थापन के लिये एक मिनट का समय तो छोड़ ही दिया जाये ताकि उसको पुर:स्थापित किया जा सके। यदि सभा इसे ध्यान में रखते हुये देर तक बैठना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

मैं देखता हूं कि सभा देर तक बैठने के लिये तैयार नहीं, अत: माननीय मंत्री अपना भाषण आरम्भ करें।

†**गृहकार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : यह संकल्प बहुत सरल और सीधा है और इस में यही मांग की गई है कि राज्य विधान मंडलों तथा संसद् में अनुसूचित जातियों के लिये जगहें रक्षित रखने की अवधि बढ़ाई जाये। गत मास ऐसा ही संकल्प राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। उस पर पर्याप्त चर्चा हुई थी और और मंत्री के विश्वासोत्पादक उत्तर से प्रस्तावक श्री राज भोज ने संकल्प वापस ले लिया था। यह संकल्प भी वैसा ही है अन्तर केवल इतना है कि इस में समस्या के सभी पहलुओं की कालावधि बढ़ाने के लिये कहा गया है और अवधि को १० वर्ष के लिये ही बढ़ाने के हेतु कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती आल्वा]

दोनों ओर के सदस्यों ने इस विषय पर भावुकतापूर्ण विचार व्यक्त किये हैं और प्रायः सभी ने उन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है। किन्तु हर्ष की बात यह है कि एक सदस्य ने संकल्प का विरोध करते हुये यह कहा है कि रक्षण से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्यायें हल नहीं हो सकतीं।

इतिहास का उल्लेख करते हुये सदस्यों ने रेम्से मेकडानल्ड और साम्प्रदायिक निर्वाचनों का भी उल्लेख किया था। हमें महात्मा गांधी का सर्वविख्यात उपवास भी याद है। उन का यह स्वप्न था कि अस्पृश्यता को सर्वथा समाप्त कर दिया जाये और इन लोगों को तथाकथित सभ्यता तथा सुविधा का जीवन प्रदान किया जाये। यह कैसे हो सकता है?

थोड़ी ही देर पहले मुझे सुश्री मणिबेन पटेल ने बताया था कि कतिपय कार्यों में सफलता विशेष ढंग से प्राप्त हो सकती है। यह बात कुछ असंगत है कि मैं इस की अनुमति चाहती हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा था कि गांधी जी ने तो इस समस्या के लिये कुछ किया था किन्तु उस के पश्चात् कोई कार्य नहीं हुआ। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि केवल धन व्यय करने और नीति का उपबंध करने से समस्या हल नहीं हो सकती। सुश्री मणिबेन पटेल ने मुझे बताया है कि बनसकंत में एक हरिजन महिला बिना निर्वाचन लड़े स्थानीय बोर्ड की सदस्या बनाई गई है। बम्बई के वरली मुहल्ले में चाल हरिजनों के लिये खोल दी है। जिस महिला ने इस सभा में गंवारू ढंग में भाषण दिया था उस ने बताया था कि किस किस प्रकार की बुराइयां फैली हुई हैं। बम्बई के केथरलेज में सभी प्रकार के हरिजन लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी अनुभूत बातों को बहुत स्पष्ट ढंग से कहा था। हमें उनकी बातों पर विचार करना चाहिये।

यदि हम उन दिनों की ओर ध्यान दें जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो हमें अल्प संख्यकों के लिये रक्षण की समस्या का ज्ञान होगा। उन दिनों केवल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां ही अल्प संख्यक नहीं थीं। मुसलिम, इसाई और सिख भी अल्प संख्यक थे किन्तु उन्होंने संविधान में रक्षण के अधिकार को त्याग दिया और उसका उन्हें लाभ ही हुआ है।

किन्तु सरकार और संविधान सभा ने यह अनुभव किया कि समाज के दुर्बल भागों को जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से दुर्बल हैं, प्रतिनिधित्व में रक्षण दिया जाये। सरदार पटेल अल्प संख्यक समिति के सभापति थे। उन्होंने अल्प संख्यकों को यह विश्वास दिलाया कि यद्यपि उन्हें रक्षण देना आवश्यक है किन्तु यह भी सच है कि रक्षण से साम्प्रदायिक और अन्य भेदभाव दूर नहीं हो सकते।

हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हम जिस लोकतंत्रात्मक ढंग से प्रगति कर रहे हैं, उस में एक न एक दिन हमें रक्षण को छोड़ना ही होगा। अन्यथा ऐसा वर्ग विभाजन हो जाता है जिस से अच्छाई के बदले बुराई ही होती है। मैं इस विषय की अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख नहीं करना चाहती क्योंकि संविधान के अनुसार इस पर १९६० में विचार किया जायेगा किन्तु हमारे विधान मंडल १९६२ में विघटित होंगे। उस समय जो सदस्य रक्षित जगहों पर होंगे उन्हें १९६२ तक रहने दिया जायेगा। अतः इस समय यह प्रश्न १९६२ तक पैदा नहीं होना चाहिये। किन्तु सरकार भी इस विषय पर विचार कर रही है क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि समाज के निर्बल भाग अभी इतने सशक्त नहीं हुये कि वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें। तो भी इस का पूर्ण लेखा जोखा करना होगा और वह हम सभी संसाधनों द्वारा कर रहे हैं। आप

के पास जो प्रतिवेदन है उन से तो यही पता लगता है कि कमजोर भाग सदा कमज़ोर रहते हैं अतः उन्हें कुछ और समय के लिये रक्षण की आवश्यकता है। समय आने पर हम निर्णय करेंगे। इस समय कोई बहुत जल्दी नहीं है। उस समय यदि तथ्यों से यही पता लगा और सरकार ने यह निश्चय किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मंडलों में रक्षण की आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। उस समय माननीय सदस्य इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर सकेंगे। मैं स्वय यह अनुभव करती हूं कि समाज के कमजोर भाग बहुत शीघ्र प्रगति नहीं कर रहे। केवल धन के व्यय से या नीति के उपबन्ध से जो कि हम ने राष्ट्रपिता से प्रेरणा पा कर संविधान में रखी थी, समस्या का हल नहीं हो सकता। इसलिये हार्दिक सहनुभूति की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस के लिये प्रयास करना होगा। जब हम कोई ऐसा मापदण्ड तैयार कर लें जिस से यह पता लग सके कि प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य के लिये कहां तक तैयार हो गया है तभी हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हमारी नीति का अच्छा परिणाम निकला है और किये गये व्यय का फल मिला है। किन्तु तब तक हम सब को सामूहिक प्रयत्न करना होगा और कमज़ोर भाग की प्रत्येक कमज़ोरी को दूर करना होगा। हमें ही होस्टल बनाने हैं, ऐसी बस्तियां बसानी हैं जहां सभी प्रकार के हरिजन रह सकें और दूसरे लोग भी इन योजनाओं में भाग लें ताकि शीघ्र ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का भाग्योदय हो। कह नहीं सकते यह कब तक हो सकेगा क्योंकि व्यक्तिगत भावनायें एक बड़ी बाधा है। जिस रूप में सवर्ण हिन्दुओं की आलोचना की गई है, मैं उसे पसंद नहीं करती। कुछ ऐसी बातें हैं जो सदियों से हो रही हैं। अब हम ने क्या करना है ? यह एक प्रश्न है जो हम में से प्रत्येक को अपने हृदय से पूछना चाहिये। अनुसूचित जातियों को भी अपने हृदय से पूछना होगा। किन्तु एक बात निश्चय के साथ कह सकते हैं कि हम ने यह नीति बनाई है और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जितनी शीघ्र अस्पृश्यता समाप्त होगी उतनी ही जल्दी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां उस सभ्यता और सामाजिक प्रगति के स्तर पर पहुंच सकेंगी जिसे हम श्रेयस्कर समझते हैं।

वाद विवाद पर इन कुछ टिप्पणियों के साथ मैं प्रस्तावक से अनुरोध करती हूं कि वे संकल्प को वापस ले लें। उन्हें सरकार के विचारों का पता है। उन्हें इस बात का भी पता है कि इस काम में जल्दी की जरूरत है या नहीं। हम इस विषय की जांच कर के राष्ट्र के प्रति न्याय ही करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्तावक महोदय का क्या विचार है ?

श्री दीनबन्धु परमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के सामने मैंने जो रेज़ोल्यूशन पेश किया है, वह इस भावना के साथ पेश किया कि आज देश में हरिजन और आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको हर तरह से......

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप क्या चाहते हैं, यह बतला दीजिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : प्रैस (आग्रह) करेंगे या विड्ड्रा (वापस लेंगे) ?

श्री दीनबन्धु परमार: सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया गया है कि हमारा जो रिज़र्वेशन है, वह कायम रहेगा उस को दृष्टि में रखते हुए मैं इस रेज़ोल्यूशन को वापस लेना चाहता हूं।

†मूल अंग्रेज़ी में

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी भी अपनी अमेंडमेंट वापस लेना चाहते हैं ।

श्री वाजपेयी : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री तंगामणि अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लाभप्रद कामों में शीघ्रता से पुनः संस्थापन के निमित्त एक व्यापक योजना बनाने की दृष्टि से उनसे सम्बन्धित सब प्रश्नों पर विचार करने के लिये दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १७ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

------

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२३११—३४
तारांकित प्रश्न संख्या	
९५४. डीज़ल रेलवे इंजन	२३११–१२
९५६. रुद्रपुर (उत्तर प्रदेश) में ग्रामीण विश्वविद्यालय	२३१२—१४
९५८. दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन	२३१४–१५
९६०. चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी	२३१५—१८
९६३. रेनीगुण्टा में पटाखों का विस्फोट	२३१८—२०
९६४. टेलीग्राफ वर्कशापों के कर्मचारी	२३२०
९६५. डाक सम्बन्धी सुविधायें	२३२१–२२
९६८. अनाजों की खपत	२३२२–२३
९६९. १२ वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	२३२३–२४
९७०. हावड़ा के गुड्स एकाउण्ट्स आफिस में भ्रष्टाचार	२३२५—२७
९७२. अजानी स्टेशन पर इंजन की टक्कर	२३२७—२९
९७३. अहमदाबाद स्टेशन यार्ड का नव-निर्माण	२३२९
९७४. रेलगाड़ी की टक्कर	२३३०–३१
९७५. मनीपुर में बस दुर्घटना	२३३१–३२
९७६. रेलवे लाइनों की तोड़फोड़	२३३२–३३
९७७. मोकामा एक्सप्रेस में लूट	२३३३–३४
९७८. ईंधन उपभोग समिति	२३३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२३३४—६३
तारांकित प्रश्न संख्या	
९५३. जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन का अध्ययन करने वाली समिति	२३३४
९५५. विद्युत् प्रशुल्क	२३३४–३५
९५७. दिल्ली की पर्वत श्रृंखलायें	२३३५
९५९. उड़ीसा में चावल और धान के मूल्य	२३३५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
९६१. गन्ने का मूल्य	२३३५–३६
९६२. इन्दौर-उज्जैन रेलवे लाइन	२३३६
९६६. विशाखापटनम पत्तन	२३३६
९६७. दामोदर नदी परियोजना का जल-कर (वाटर टैक्स)	२३३६
९७१. भंडागार योजनायें	२३३६–३७
९७९. स्थानीय निकायों के लिए आदर्श अधिनियम का प्रारूप	२३३७
९८०. दिल्ली में फल परिरक्षण	२३३७
९८१. तुंगभद्रा परियोजना की उच्चस्तरीय नहर	२३३८
९८२. गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	२३३८
९८३. पूर्ण परियोजना, बम्बई राज्य	२३३८
९८४. मदुरै में टेलीफोन एक्सचेंज	२३३८
९८५. गाड़ियों में चोरियां व अपराध	२३३९
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१२६४. चिदाम्बरम रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण	२३३९
१२६५. पत्तन तथा गोदी कर्मचारी	२३४०
१२६६. विमान परिवहन करार	२३४०
१२६७. विमान सेवाओं के कर्मचारियों के लिये रहने के मकान	२३४०
१२६८. जहाज बनाने का उद्योग	२३४१
१२६९. भांडागार	२३४१
१२७०. दिल्ली और फाजिल्का के बीच एक्सप्रेस गाड़ी	२३४२
१२७१. पशुपालन	२३४२
१२७२. सुपर फासफेट्स	२३४२
१२७३. समुद्री घास	२३४३
१२७४. ओडिहार स्टेशन पर रेल के ऊपर का पुल	२३४३
१२७५. राजस्थान में औद्यानिकी का विकास	२३४३–४४
१२७६. खाद्यान्नों का सम्भरण	२३४४
१२७७. रेलवे में वार्धक्य निवृत्त कर्मचारी	२३४४–४५
१२७८. कृषि कालेज, कानपुर	२३४५
१२७९. ट्रेन एग्ज़ामिनर्स	२३४५
१२८०. उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दुकानें	२३४५–४६

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१२८१. परती भूमि	२३४६
१२८२. गिर के शेर	२३४६-४७
१२८३. रेलवे स्टेशनों पर हथकरघों के कपड़े की बिक्री	२३४७
१२८४. दिल्ली में चलते-फिरते औषधालय	२३४७
१२८५. दिल्ली के लिये स्वास्थ्य योजनायें	२३४७-४८
१२८६. पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	२३४८-४९
१२८७. उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में खेती वाली जमीन	२३४९
१२८८. नई दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र में बन्दरों की मृत्यु	२३४९
१२८९. योगाभ्यास	२३४९-५०
१२९०. हिमाचल प्रदेश में सड़कें	२३५०
१२९१. आंध्र प्रदेश में डाक घरों का खोला जाना	२३५०
१२९२. पटसन का उत्पादन	२३५१
१२९३. रामगुंडम्-निजामाबाद रेल सम्पर्क	१३५१
१२९४. इम्फल-दीमापुर रोड पर यात्री परिवहन	२३५१-५२
१२९५. बरेली के व्यापारियों को माल-डिब्बों का सम्भरण	२३५२
१२९६. सल्फेट आफ अमोनिया का मूल्य	१३५२-५३
१२९७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन सिंचाई योजनायें	२३५३
१२९८. रेलवे दुर्घटना	२३५३
१२९९. सारडीन मछली का तेल	२३५३-५४
१३००. दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा	२३५४
१३०१. रेल के किराये	२३५४
१३०३. हिमाचल प्रदेश में जल-संभरण योजना	२३५४
१३०४. हिमाचल प्रदेश में मेवों की खेती	२३५५
१४०५. त्रिपुरा सामुदायिक विकास खण्ड	२३५५
१३०६. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं की हड़ताल	२३५५-५६
१३०७. रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२३५६
१३०८. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड	२३५६-५७
१३०९. अनुसूचित जातियां तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	२३५७
१३१०. भारत में तपेदिक के रोगी	२३५७
१३११. सल्फा औषधियों का आयात	२३५७-५८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१३१२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तपेदिक निरोधी कार्य	२३५८
१३१३. दिल्ली में खेती वाली जमीन	२३५८
१३१४. हिमाचल प्रदेश में सफाई का प्रबन्ध	२३५८
१३१५. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिये संघ (यूनियन)	२३५९
१३१६. सड़क परिवहन	२३५९
१३१७. राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ को चौड़ा करना	२३५९
१३१८. बम्बई का भोजन व्यवस्था तथा संस्था प्रबन्ध कालेज	२३६०
१३१९. एर्णाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन	२३६०-६१
१३२०. रेलवे यात्रियों के आंकड़े	२३६१
१३२१. बी० सी० जी०	२३६१-६२
१३२२. दिल्ली में टेलीफोन के कनैक्शन	२३६२-६३
१३२३. मनीपुर में नगर समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र	२३६३
१३२४. आन्ध्र में सरकारी चीनी कारखाने	२३६३
स्थगन प्रस्ताव	२३६४-६५
अध्यक्ष ने फर्रुखाबाद पैसेंजर गाड़ी में रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की तथाकथित हत्या के बारे में चार स्थगन प्रस्ताव, जिनकी सूचना सर्वश्री राम सेवक यादव, तंगामणि, स० म० बनर्जी, हेम बरुआ, और ब्रजराज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३६५-६६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गय :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष, १९५६–५७ के लिये इण्डियन एयर अर्थस् (प्राइवट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे सहित ।

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के आगे दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) पहला विवरण	चौथा सत्र, १९५८
(२) अनुपूरक विवरण नं० ३	तीसरा सत्र, १९५७
(३) अनुपूरक विवरण सं० ९	दूसरा सत्र, १९५७

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये प ा—(क्रमशः)

(४) अनुपूरक विवरण सं० १० . . पहला सत्र, १९५७

(३) संविधान के अनुच्छेद २८१ के अन्तर्गत राज्य-सरकारों को ऋणों के बारे में द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २३६६-६७

(१) सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा ८ मार्च, १९५८ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५८ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक और सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी, १२ मार्च, १९५८ की बैठक में सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का संकल्प पारित किया है और प्रार्थना की है कि लोक-सभा सहमति दे और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को बताये ।

सामान्य आय-व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा २३६७–८६

१९५८–५९ के सामान्य आय-व्ययक पर और आगे चर्चा जारी रही ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २३८६

सोलहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस लिया गया . . . २३८६–२४१२

श्री दीनबन्धु परमार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाई जाए ।

लोक-सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया ।

र सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन . . . २४१२

श्री तंगामणि ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, १७ मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्ययक, १९५८–५९ पर सामान्य चर्चा ।